

21 April 1994

वशाम माल

1915 (मल)

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

नवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

पृष्ठ	पवित्र/प्र. संख्या	के स्थान पर	पट्टिए
48	प्रश्न सं. 363	डा० अमृत लाल कालीदास	डा० अमृतलाल कालीदास पटेल
24, 211	प्रश्न सं. 372	श्री एस.एन. केकरिया	श्री शिवलाल नागजीभाई ठेका
15	4239	सवाल	सवाल
32	प्रश्न संख्या 380	श्री एस.एम. लालजान बाशा	श्री एस.एम. लालजान बाशा
37	प्रश्न संख्या 4051	श्री आनन्दअडिरवार	श्री आनन्द अहिरवार
55	प्रश्न संख्या 4073	श्री के. तुलसिएया वान्डाया	श्री के. टी. वान्डाया
65	14	बिकारी	बोकारी
73	प्रश्न सं. 4086	श्री जगबीर सिंह	श्री जगबीर सिंह
74	नवि से 3	कोयला मंत्रालय में	कोयला मंत्रालय के
77	प्रश्न संख्या 4098	श्री सोमजी भाई दागौर	श्री सोमजी भाई डामोर
97	प्रश्न संख्या 4118	श्री के. डी. सुल्तानपुरी	श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी
98	5	पुलिस	पुलिस बल
117, 120	प्रश्न संख्या 4130	श्री विजय नवल पाटील	श्री विजय एन. पाटील
105	प्रश्न संख्या 4122	श्री सदीपन भावान	श्री सदीपान भावान और रात
124, 122	प्रश्न संख्या 4140	डा० के. डी. जेस्वाणी	डा० कुरीराम डुंगरोमल जेस्वाणी
124	8 और 11	नलबंदी	नसबंदी
163	प्रश्न संख्या 4183	श्री रीता वर्मा	प्रो० रीता वर्मा
170	प्रश्न संख्या 4196	॥क॥	॥क॥ से ॥घ॥
172, 220	प्रश्न संख्या 4194	प्रो० श्रीमती श्रीमती वित्री लक्ष्मण	प्रो० सावित्री लक्ष्मण
177	प्रश्न संख्या 4200	श्री रामकृष्ण कुसमरिया	डा० रामकृष्ण कुसमरिया
187	प्रश्न संख्या 4210	श्री मुमताज अंसारी	डा० मुमताज अंसारी
181	पवित्र 6	॥घ॥	॥ग॥

विषय सूची

दशम माला, खंड 30, नवां सत्र, 1994/1915-16 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 21 अप्रैल 1994/1 वैशाख, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
विषय संबंधी उल्लेख	1-6
श्री पी.वी. नरसिंह राव	2
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	3
श्री शरद यादव	4
श्री सोमनाथ चटर्जी	4
श्री इन्द्रजीत गुप्त	5
श्री पी.जी. नारायणन	6
श्री ई. अहमद	6
श्री सनत कुमार मंडल	6
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	7-250
तारांकित प्रश्न संख्या : 361 से 380	7-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4045 से 4062	
4064 से 4281	33-250

200	प्रश्न संख्या 4225 श्री छोटूभाई गाम्भीत	श्री छोटूभाई गाम्भीत
211, 216	प्रश्न संख्या 4239 श्री मंजय लाल 4240	श्री मंजय लाल
228	प्रश्न संख्या 4263 श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर	श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर
228	नीचे से 2 कौयला मंत्रालय में	कौयला मंत्रालय के
245	नीचे से 7 गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री राजेश पायलट	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥ श्री राजेश पायलट ॥

विषय सूची

दशम माला, खंड 30, नवां सत्र, 1994/1915-16 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 21 अप्रैल 1994/1 वैशाख, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
संबंधी उल्लेख	1-6
श्री पी.वी. नरसिंह राव	2
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	3
श्री शरद यादव	4
श्री सोमनाथ चटर्जी	4
श्री इन्द्रजीत गुप्त	5
श्री पी.जी. नारायणन	6
श्री ई. अहमद	6
श्री सनत कुमार मंडल	6
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	7-250
तारांकित प्रश्न संख्या : 361 से 380	7-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4045 से 4062	
4064 से 4281	33-250

लोक सभा

गुरुवार, 21 अप्रैल 1994/1 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण मुझे आपको अपने एक सहयोगी श्री रामप्रकाश चौधरी और हमारे दो भूतपूर्व सहयोगियों श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह और मेजर जनरल रजिन्दर सिंह स्पैरो के निधन का दुःखद समाचार देना है।

श्री रामप्रकाश चौधरी इस सभा के वर्तमान सदस्य थे और हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से 1971-77 और 1984-90 तक पांचवीं, आठवीं, और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1952 से 66 तक पंजाब विधान सभा के और 1966 से 71 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे थे। वह 1968 से 1971 तक हरियाणा के गृह मंत्री भी रहे।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री रामप्रकाश चौधरी ने 1943-45 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना (आजाद हिन्द फौज) में भी कार्य किया था। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए।

पेशे से अध्यापक और कृषिविद् श्री रामप्रकाश चौधरी एक सक्रिय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने गरीबों, पिछड़ों और दलितों के उत्थान में विशेष रुचि ली थी। वह फुटबाल, बालीबाल और कुश्ती जैसे खेलों से भी संबद्ध थे।

इस सभा के सदस्य के रूप में श्री रामप्रकाश चौधरी ने संसदीय कार्यवाहियों में गहरी रुचि ली और अपने लम्बे अनुभव से वाद-विवाद को समृद्ध बनाया। वह पंजाब और हरियाणा विधान सभाओं की कई समितियों के सदस्य थे। उन्होंने अनेक संसदीय समितियों में भी काम किया। वह 1988-89 के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के अध्यक्ष थे।

देश-विदेश की अनेक यात्रायें कर चुके श्री रामप्रकाश चौधरी अनेक देशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य थे।

श्री रामप्रकाश चौधरी का 19 अप्रैल, 1994 को 66 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे और वह उत्तर प्रदेश से अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। इससे पूर्व वह 1967-68 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

पेशे से अधिवक्ता और कृषिविद् श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह अनेक शैक्षिक संस्थाओं से भी संबद्ध थे।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह ने सदन की कार्यवाहियों में गहरी रुचि ली।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह का 15 अप्रैल, 1994 को 56 वर्ष की आयु में सुल्तानपुर में निधन हो गया।

मेजर जनरल राजिन्द्र सिंह स्पैरो 1980-89 तक सातवीं और आठवीं लोकसभा के सदस्य थे और पंजाब के जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

इससे पूर्व वह 1967-68 में पंजाब विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में राजस्व, कृषि, सहकारिता और खाद्य एवं आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करते हुए बहुत अच्छी तरह से पंजाब राज्य की सेवा की थी।

राजनीति में आने से पहले मेजर जनरल स्पैरो सेना के एक विशिष्ट जनरल थे। वह सभी युद्धक सेनाओं के पहले व्यक्ति थे, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हें युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दोहरे महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था।

बहुमुखी व्यक्तित्व वाले मेजर जनरल स्पैरो एक कृषिविद्, शिक्षाविद्, एक लेखक और एक अन्तर्राष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी थे। वह पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर दोनों के सीनेटर थे। वह एक अखिल भारतीय पोलो और क्रिकेट खिलाड़ी भी थे और उन्होंने विश्वविद्यालय के खेलकूद में सक्रिय भाग लिया था।

एक सक्रिय संसदविद्, मेजर जनरल स्पैरो सभापति तालिका के सदस्य थे और उन्होंने 1983-85 के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट रूप से कार्य किया। वह 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल के भी सदस्य थे।

मेजर जनरल स्पैरो का 79 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल, 1994 को निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारे साथ अपनी संवेदना प्रकट करेगी।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने तीन सहयोगियों के निधन पर भारी मन से अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनमें से एक सहयोगी श्री रामप्रकाश चौधरी इस लोक सभा के सदस्य थे, दो अन्य सहयोगी मेजर जनरल राजिन्द्र सिंह स्पैरो और श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह ने विगत वर्षों में संसद सदस्यों के रूप में देश सेवा की है।

श्री रामप्रकाश चौधरी इस सभा के अति सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। राजनीति में आने से पहले वह थोड़े समय के लिए सेना में भी रहे।

उन्होंने लगभग दो दशकों तक पहले पंजाब विधान सभा और बाद में हरियाणा विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1968 और 1971 में हरियाणा में गृह मंत्री के रूप में कुशल प्रशासनिक कौशल और कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। वह 1977 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। संसद में उन्होंने इसके वाद-विवादों और समितियों की कार्यवाहियों में अपना योगदान दिया।

चौधरी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए अपने सामाजिक कार्यों का विस्तार ही माना। उन्होंने इस काम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका निधन इस सभा और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।

जनरल राजिन्द्र सिंह स्पैरो भारत के उन बहादुर सपूतों में से एक थे, जिन्होंने युद्ध में अनुकरणीय बहादुरी से सेना में अपने लिए स्थान बनाया। पेशे से एक कृषिविद् होते हुए भी वह एक पेशेवर सिपाही बने और "जय जवान जय किसान" के नारे पर पूरे उत्तरे और दो बार महावीर चक्र प्राप्त किया। सेना, विज्ञान, कृषि, संगीत और खेलकूद जैसे विविध क्षेत्रों में उनकी विशेष रुचि थी।

जनरल स्पैरो पंजाब और देश के लोगों की सेवा करने हेतु अपने असीम कौशल और अत्यन्त प्रतिष्ठा को राजनीति में लेकर आए। राजनीति में भी उन्होंने उसी साहस और समर्पण का परिचय दिया, जिससे उन्होंने सेना में अपने लिए बहादुरी के सम्मान अर्जित किये। पंजाब में मंत्री के रूप में और बाद में संसद सदस्य के रूप में उन्होंने महान प्रशासनिक और वाद-विवाद करने के कौशल का परिचय दिया। वह कुछ समय के लिए पंजाब प्रदेश समिति के सदस्य भी थे तथा वह ऐसे समय में वहां थे, जबकि पंजाब में अनेक कठिनाइयां थीं। उन्होंने इन सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना किया और हमें समय-समय पर अनेक मामलों पर बहुत ठोस परामर्श दिये। वह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी भी थे और हाकी, क्रिकेट और पोलो खेलते थे। ऐसे प्रतिभावान और अच्छे इंसान कभी-कभार ही पैदा होते हैं।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह 1977 में अमेठी से इस सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह पेशे से एक अधिवक्ता और कृषिविद् थे। उन्होंने भी संसदीय कार्यवाहियों में बहुत अधिक योगदान दिया और अपने निर्वाचन क्षेत्र की बहुत सेवा की।

मैं इन कर्मठ सदस्यों के निधन पर व्यक्तिगत क्षति और हम सब को जो दुख हुआ है, उसका इजहार करता हूँ।

ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री तारा चन्द खंडेलवाल जी की मृत्यु का घाव पूरी तरह भरने नहीं पाया था कि एक और हमारे सहयोगी हमारे बीच में से उठ गये। चौधरी राम प्रकाश जी पहले प्रदेश में और फिर संसद सदस्य के नाते राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहे। प्रशासन में भी उनका योगदान रहा। सदन के सदस्य के नाते वह जन समस्याओं को बड़ी गंभीरता से उठाते थे और अपने क्षेत्र के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे। हम सब उनके दुखद निधन से बहुत दुखी हैं।

[अटल बिहारी वाजपेयी]

जनरल स्पैरो एक बहादुर सिपाही और सेनापति के रूप में याद किये जाते हैं। लोगों ने उन्हें जन प्रतिनिधियों संस्थाओं में जब निर्वाचित किया तो एक तरह से उनके रूप में हमारी बहादुर सेनाओं का ही सम्मान किया, लेकिन एक बार सेना को छोड़ कर वह सार्वजनिक रूप में आ गये तो फिर सार्वजनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जुट गये। जैसा कि अभी आपने और प्रधान मंत्री जी ने उल्लेख किया। पंजाब के सीमा प्रदेश राज्य में और फिर संसद के सदस्य के रूप में हमने उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय पाया। जब पंजाब में आतंकवाद भारी तादाद में था तो जनरल स्पैरो बड़े चिंतित दिखायी देते थे और हमेशा किस तरह से आतंकवाद पर विजय पायी जा सकती है, इसके बारे में ठोस सुझाव देते रहते थे।

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह लोक सभा के सदस्य उस परिवर्तन के काल में निर्वाचित हुए थे, जब देश ने एक करवट ली थी। अपने क्षेत्र से उनका बहुत गहरा सम्बन्ध था। वह खेती से जुड़े हुए थे, शिक्षा संस्थाओं के साथ सम्बन्धित थे और समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करते रहते थे। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनायें प्रकट करता हूँ। इति

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, स्वर्गीय राम प्रकाश चौधरी जी इस सदन के मैम्बर रहे और अम्बाला क्षेत्र से वह जीतते रहे। विशेषतौर पर खेती और ग्रामीण जीवन के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में वह सम्पूर्ण तौर पर आकंठ समर्पित व्यक्ति थे। शोषित, और पीड़ित लोगों की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा।

जनरल स्पैरो अपने आप में एक संस्था थे। इस सदन में कई बार उनके वक्तव्यों और विचारों को सुनने का मौका मिलता रहता था। वह हर गुण से सम्पन्न थे और हर तरह से सक्षम और सचेत व्यक्ति थे। बहादुरी से सदन की बहस में हिस्सा लेकर उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया।

रविन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथी थे। हिन्दुस्तान में जब आपातकाल लगा, उसके खिलाफ लड़ाई में वह हम सब लोगों के साथ थे और वह इस सदन के मैम्बर थे। निजी तौर पर उनके साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक था। वह बहुत बहादुर और किसान ही नहीं थे, वकील भी बढ़िया थे। उस क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में बहादुरी का वह परिचय दिया करते थे। मैं यह इसलिए जानता हूँ, क्योंकि अमेठी से मैं एक बार चुनाव लड़ा हूँ और वह भी एक बार चुनाव लड़े थे।

इन तीनों साथियों के निधन से, जो एक अभाव हुआ है, वह खलता है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और विश्वास और आशा के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतात्माओं को शान्ति मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ षटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से, आपने, सभा के नेता के विपक्ष के नेता ने और श्री शरद यादव, ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे स्वयं को संबद्ध करता हूँ। एक ऐसे मित्र और सहयोगी को खोना दुःख की बात है, जो कि हाल ही तक हमारे साथ थे और इस वर्तमान सभा के सदस्य थे।

श्री रामप्रकाश चौधरी ने संसद की कार्यवाहियों में सक्रिया भाग लेकर स्वयं को प्रतिष्ठित किया और वह बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य और सहयोगी थे।

इस सभा के सदस्य के रूप में मेजर जनरल स्पैरो की विशिष्ट भूमिका को मैं भूल नहीं सकता हूँ। यह हमारा सौभाग्य रहा कि वह दो पृथक अवधियों के दौरान हमारे सहयोगी रहे। एक सिपाही, एक जनरल और भारत के उन सपूतों के रूप में, जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, के रूप में उन्होंने अपना विशिष्ट जीवन शुरू किया। सभा में उनका हस्तक्षेप विशेष रूप से पंजाब समस्या को हल करने के लिए उनके बहुमूल्य सुझावों ने उन विवादग्रस्त समस्याओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला, जो कि इस देश के समक्ष थीं और हमने हमेशा उन से कुछ सीखा है। वह इतने सौहार्दपूर्ण व्यक्ति थे कि उनके संसर्ग में आया हुआ कोई भी व्यक्ति उनके स्नेह को भूल नहीं सकता है। मुझे कुछ समितियों में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला और मुझे यह भी मालूम है कि वह समितियों के विचार-विमर्श में और सभा की कार्यवाहियों में भी कितनी सक्रियता से भाग लेते थे।

मैं इस सभा में, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह को भी याद करता हूँ। जब वह इस सभा के लिए चुन कर आए थे, तो उस समय वह युवा थे और अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करते थे और वह सभा की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

महोदय, हम अपने सहयोगियों के निधन पर शोक प्रकट करते हैं, महोदय, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ, जिन्हें कृपया आप उन तक पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने तीन सहयोगियों को खो दिया है और ये सभी इस सभा में अपनी तरह से सक्रिय सदस्य थे और मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से हमें जो क्षति हुई है, उसके लिए गहरा दुःख प्रकट करता हूँ।

श्री राम प्रकाश चौधरी एक प्रसन्नचित्त वृत्ति के व्यक्ति थे और अपने सहयोगियों से हमेशा हंसते और मजाक करते रहते थे। मैं उन्हें इस रूप में याद रखता हूँ।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह भी एक सक्रिय सदस्य थे।

महोदय, मैं मेजर जनरल स्पैरो को सभा में आने से पहले से ही अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसा कि अन्य सहयोगियों ने उल्लेख किया है, उन्होंने अपने आपको युद्ध के मैदान में प्रतिष्ठित किया था। मुझे याद है कि पंजाब के मैदानी भागों में जब पाकिस्तानी युद्धक टैंकों ने बड़ा आक्रमण किया तो यही मेजर जनरल स्पैरो थे, जिन्होंने हमारी आर्म्ड कोरों के संसाधनों का क्रमबद्ध इस्तेमाल किया और शत्रु को कुछ बड़े युद्धों में उलझा दिया, जो हमारे सैनिक इतिहास शब्दकोश में प्रसिद्ध हो गया है। वह इन आक्रमणों में प्रतिरोध कर सके थे। बाद में वह यद्यपि इस सभा के लिए निर्वाचित होकर आए। वह एक किसान भी थे, जो पंजाब की घटनाओं से खिन्न थे। वह इस सच्चाई पर गहरी चिन्ता प्रकट करते थे कि उनके अनुसार, पंजाब के युवकों को हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर पथभ्रष्ट किया जा रहा था। एक बार इनके फार्महाउस पर भी आक्रमण किया गया था और वह इस बारे में बहुत दुःखी थे। खैर अब वह हमारे बीच नहीं हैं। उनके दो पुत्र हैं, जो हमारी सेना के विशिष्ट अधिकारी

हैं। अतः मैं इन तीनों सदस्यों के निधन पर शोक प्रकट करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि शोकसंतप्त परिवारजनों तक हमारी हार्दिक शोक संवेदनाएं पहुंचा दें।

श्री पी.जी. नारायणन (गोविन्देट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, हम इस सभा के वर्तमान सदस्य श्री रामप्रकाश चौधरी के निधन का समाचार सुनकर वास्तव में स्तब्ध हैं। उन्होंने आजाद हिन्द फौज में कार्य करके स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेकर सचमुच ही प्रशंसनीय जीवन बिताया है। उन्हें पंजाब और हरियाणा की संयुक्त विधान सभा में कार्य करने का भी सौभाग्य मिला। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया। उनका निधन समाज के लिए एक क्षति है।

• श्री स्पैरो और श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रदत्त सेवाएं भी बहुमूल्य हैं और उनकी सेवाओं को याद रखा जाएगा। मैं अपने दल की ओर से शोकसंतप्त परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, हम एक सप्ताह के भीतर इस सभा के एक अन्य वर्तमान सदस्य के निधन पर शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। श्री रामप्रकाश चौधरी जी अपने अधिकार से एक नेता थे और कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों की, उन्होंने जो सेवा की उसे हमेशा याद रखा जाएगा। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से स्वयं को, आपने माननीय प्रधान मंत्री जी ने और सभा के अन्य नेताओं ने, जो शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं, उनसे संबद्ध करता हूँ।

महोदय, मुझे मेजर जनरल स्पैरो से उस समय मिलने का अवसर मिला, जब उन्होंने चुनाव के दौरान केरल का दौरा किया था। वह बहुत ही सौहार्दपूर्ण और एक गरिमावान व्यक्ति थे, जिनके राष्ट्र संबंधी मामलों के बारे में अपने दृढ़ विचार थे।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह भी इस सभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, श्री रामप्रकाश चौधरी के निधन से हमने एक सच्चा और समर्पित संसदविद् खो दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भी सक्रिय भाग लिया था।

जहां तक मेजर जनरल स्पैरो का संबंध है, वह एक प्रतिष्ठित सिपाही थे और भारतीय शस्त्र सेनाओं के पहले व्यक्ति थे, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर जनरल स्पैरो ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मध्यपूर्व के युद्ध में भाग लिया था।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह एक सक्रिय संसदविद् और शिक्षाविद् थे।

मैं अपनी और अपनी पार्टी आर.एस.पी. की ओर से तीनों दिवंगत सदस्यों के शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे।

11.23 म.पू.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शुक्रवार, 22 अप्रैल, 1994/2 वैशाख, 1916 (शक) को समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण

*361. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान भारतीय प्रसासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं के लिए कुल कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय हुआ, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परीक्षाओं में बैठने वाले प्रत्याशियों में से कितने प्रतिशत प्रत्याशी सफल हुए ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबाबु) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की कुल संख्या, जिन्होंने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (आई.ए.एस./आई.पी.एस./एलाएड) के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग प्राप्त की, इस प्रकार है :

1991-92	(प्रारम्भिक)	645
	(मुख्य)	431
1992-93	(प्रारम्भिक)	582
	(मुख्य)	400

(ख) इस पर कुल व्यय है :

1991-92	—	137.47 लाख रुपये
1992-93	—	145.93 लाख रुपये

(ग) सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता है :

1991-92	—	7.66 प्र.
1992-93	—	8.25 प्र.

अल्पसंख्यकों का कल्याण

*362. श्री दत्तात्रेय बंडारु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को अधिक व्यापक और कारगर बनाने हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ख) अल्पसंख्यक संस्थाओं के स्वरूप को समुचित रूप से परिभाषित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किये जाने का विचार है;

(ग) क्या सभी राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को नियत समय पर सावधिक रिपोर्ट भेज रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो कौन-कौन से राज्य आयोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने उन संस्थाओं को छोड़कर, जो अनन्य रूप से धार्मिक अनुदेशों का प्रचार करते हैं, अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को नीतिगत मानदंड तथा सिद्धान्त जारी किये हैं।

(ग) राज्य अल्पसंख्यक आयोगों से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कोई पाक्षिक रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर मॉनीटर किया जाता है।
- केन्द्र स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित मामलों के लिए प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने के लिए कल्याण मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्राप्त रिपोर्टों का संकलन, विश्लेषण, पुनरीक्षण किया जाता है तथा पाई गई कमियों को उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।
- राज्य स्तर पर, आमतौर पर इस कार्यक्रम को मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव द्वारा मॉनीटर किया जाता है।
- जिला स्तर पर, आमतौर पर इस कार्यक्रम को जिला आयुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा मासिक आधार पर मॉनीटर किया जाता है।

15-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उठाए गए ठोस कदम

1. अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देना

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जनवरी, 1978 में गठित किया गया था, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।

2. शिक्षा/तकनीकी शिक्षा

- शिक्षा विभाग ने पारम्परिक संस्थाओं अर्थात् मदरसों/मकतबों में विज्ञान, गणित समाज अध्ययन तथा भाषाओं को लागू करने के लिए मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू की है।
- शिक्षा विभाग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम की एक योजना भी आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी शैक्षिक अवसंरचना तथा सुविधा प्रदान करना है, जहां प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का समुचित प्रावधान नहीं है।
- भारत सरकार ने समाज के शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 5 करोड़ रुपये की सहायता का अनुदान प्रदान किया है।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए संगत समुचित तकनीकों तथा कौशलों में तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों में सामुदायिक पोलिटेक्निक विस्तार केन्द्र चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक पोलिटेक्निक की योजना के अंतर्गत सभी 41 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले शामिल किए गए हैं।

3. परीक्षा-पूर्व कोचिंग

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रत्याशियों को तैयार करने हेतु 52 केन्द्रों के माध्यम से (20 विश्वविद्यालयों तथा 33 महाविद्यालयों) अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग योजना चलाता आ रहा है।
- आठवीं पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ कल्याण मंत्रालय द्वारा आर्थिक मानदंड पर आधारित अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण की एक नई योजना शुरू की गई है। 1994-95 के लिए बजट में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

4. त्वरित कार्य बल

- साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के विशेष कार्य के लिए त्वरित कार्रवाई बल का गठन किया गया है। इस बल को इस प्रकार के कार्य के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित तथा सुसज्जित किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

5. सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

- अल्पसंख्यकों के उन वर्गों को, जिन्हें भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल सेवाओं तथा पदों में आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है, अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों के समतुल्य ऐसे आरक्षण के लाभ के लिए पात्र होंगे।

6. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

- अल्पसंख्यक में से कमजोर वर्गों के समाजार्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंशपूँजी के साथ एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम चालू वर्ष के दौरान कार्य करना आरंभ कर देगा, रूप रेखा तैयार की जा रही है।

प्राकृतिक गैस

*363. डा. अमृतलाल कालीदास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्रों तथा विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की राज्यवार कुल मांग कितनी है;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विभिन्न राज्यों की प्राकृतिक गैस की मांग की तुलना में राज्यवार कितनी पूर्ति करता है;

(ग) गुजरात राज्य ने अपने विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए बाम्बे हाई/एच.बी.जे. पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा की मांग की है;

(घ) क्या गुजरात को आबंटित मात्रा इसकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है, और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों से उर्वरक संयंत्रों और विद्युत उत्पादन के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गैल) के पास पंजीकृत मांग और जिन यूनिटों को गैस आबंटन किए गए हैं, उन यूनिटों को 1993-94 में की गई प्राकृतिक गैस की कुल राज्यवार आपूर्तियां नीचे दर्शाई गई हैं :

राज्य का नाम	उर्वरक संबंधों के लिए पंजीकृत मांग	विद्युत संयंत्रों के लिए पंजीकृत मांग	विभिन्न यूनियों को कुल राज्यवार गैस आपूर्तियां (1993-94)
आन्ध्र प्रदेश	10.01	3.20	1.62
असम			2.21
दिल्ली			0.77
गुजरात	11.63	12.09	12.53
हरियाणा	0.60	0.80	0.32
मध्य प्रदेश	3.19	4.20	1.72
महाराष्ट्र	10.70	12.70	9.20
राजस्थान	2.50	5.99	2.16
तमिलनाडु	2.76	1.80	0.06
त्रिपुरा			0.28
उत्तर प्रदेश	3.50	13.64	6.38
विविध (दक्षिणी क्षेत्र)	9.04	13.07	
विविध (पूर्वी क्षेत्र)	1.00	2.50	
योग	54.93	69.99	37.26

(ग) जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से विदित होता है गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के लिए गैल के पास पंजीकृत मांग 12.09 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(घ) और (ङ) गुजरात में प्राकृतिक गैस की मांग इसके आबंटन से अधिक है, फिलहाल अतिरिक्त आबंटन करना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि उपलब्ध गैस का पूर्णतया आबंटन किया जा चुका है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां

*364. श्री एन.जे. राठवा :

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र आबंटित किए गए;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी एजेंसियां/खुदरा विक्रय केन्द्र आबंटित किए जाएंगे,

(ग) अनुसूचित जातियों के लोगों को इनमें से कितनी एजेंसियां और खुदरा विक्रय केन्द्र आबंटित किए जाएंगे, और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए निर्धारित कोटे में से सामान्य श्रेणी के कितने लोगों को रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र आबंटित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नांकित संख्या में एल.पी.जी. (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की गई हैं :

वर्ष	एल.पी.जी. (रसोई गैस)	खुदरा बिक्री केन्द्र
1991-92	72	70
1992-93	104	32
1993-94	381	671

राज्यवार ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विपणन योजनाओं में पहले से सम्मिलित लगभग 1400 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 850 एल.पी.जी. (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 1994-95 के दौरान आबंटित की जानी हैं। वास्तविक संख्या विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा तेल चयन बोर्डों द्वारा किए जाने वाले साक्षात्कारों की संख्या जैसे विविध पहलुओं पर निर्भर करेगी।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार 25 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्यवार आधार पर अ.जा./अ.ज.जा. को आबंटित की जाती हैं।

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान अ.जा. के लिए आरक्षित की गई कोई भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप "सामान्य" श्रेणी को आबंटित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट नहीं की गई है। पिछड़ी जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

विवरण

राज्य	1991-92		1992-93		1993-94	
	खु.वि.के./एल.पी.जी.		खु.वि.के./एल.पी.जी.		खु.वि.के./एल.पी.जी.	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2	12	—	13	42	30

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	—	2	2
असम	—	—	—	1	9	6
बिहार	1	5	1	11	69	16
गोवा	—	—	1	—	4	5
गुजरात	—	1	2	2	21	25
हरियाणा	4	—	2	2	25	18
हिमाचल प्रदेश	2	2	1	3	7	2
जम्मू और कश्मीर	1	3	—	2	—	13
कर्नाटक	3	3	2	14	52	20
केरल	—	—	1	—	26	16
मध्य प्रदेश	1	3	2	9	72	35
महाराष्ट्र	1	6	2	11	39	56
मणिपुर	—	1	—	—	—	2
मेघालय	—	1	—	—	4	—
मिजोरम	1	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	1	—
उड़ीसा	1	1	—	—	20	13
पंजाब	2	3	1	4	27	21
राजस्थान	1	—	3	4	32	11
सिक्किम	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	2	4	2	5	60	17
उत्तर प्रदेश	30	19	9	12	92	39
पश्चिम बंगाल	—	—	2	1	16	14

1	2	3	4	5	6	7
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	—	—	—	1	—
चंडीगढ़	1	—	—	2	4	—
दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	16	3	—	8	43	15
दमन और द्वीव	—	—	—	—	1	—
पांडिचेरी	—	—	—	—	2	5
योग :	70	72	32	104	671	381

[हिन्दी]

विद्युत गृहों को कोयले की सप्लाई

*365. डा. साक्षी जी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य विद्युत बोर्डों के विभिन्न विद्युत-गृहों में कोयले की कुल वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार इन विद्युत गृहों को वास्तव में कुल कितना कोयला सप्लाई किया गया;

(ग) इन विद्युत गृहों को राज्यवार कोयले की कुल कितनी कम सप्लाई हुई, और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विद्युत गृहों को अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) कोयला कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई अनन्तिम सूचना के अनुसार देश में राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य विद्युत उपयोगिताओं के अंतर्गत सभी विद्युत गृहों को वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 162.8 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई है।

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कोयले की विद्युत उपयोगितावार मांग और आपूर्ति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। यह बात देखने में आयी है कि विद्युत क्षेत्र को समग्र रूप में की गई आपूर्ति वर्ष 1993-94 की मांग से अधिक रही है।

प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रत्येक विद्युत गृह के लिए, उनके मामले में विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए रखे गए लक्ष्यों के अनुसार, कोयले की कुल आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है। इन आवश्यकताओं के अनुसार कोयला मंत्रालय द्वारा स्थापित विद्युत के लिए स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा तिमाही आवंटन किए जा रहे हैं। कोयले के प्रेषणों पर दैनिक आधार पर निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, स्थिति पर मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक में प्रत्येक सप्ताह स्थिति की समीक्षा की जाती है। रेलवे द्वारा विद्युत गृहों को कोयले का संचलन किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। आवधिक समीक्षाओं के आधार पर, जहां भी अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(आंकड़ा अनन्तिम)

(आंकड़े पूं. 000 टन में)

विद्युत उपयोगिताएं	1992-93 के लिए मांग (सी.ई.ए. के अनुसार)	1992-93 के लिए प्रेषण	1993-94 के लिए मांग (सी.ई.ए. के अनुसार)	1993-94 के लिए प्रेषण
1	2	3	4	5
उ.प्र.रा.वि.बो.	12125	12172	12674	11918.9
पं.रा.वि.बो.	5724	5388	6040	6773.3
ह.रा.वि.बो.	3244	3241	31	2194.8
रा.रा.वि.बो.	3147	2988	3200	3038.9
डेसू	1718	1793	1770	1473.0
म.प्र.वि.बो.	11143	10275	10972	10601.2
जी.ई.बी.	10873	11030	11780	10847.0
ए.ई.सी.	1378	1379	1575	1460.5
म.रा.वि.बो.	22088	21124	23120	23862.5
टरोम्बे	670	327	650	201.6
त.ना.वि.बो.	8888	8686	9970	9558.1

1	2	3	4	5
के.पी.सी.एल.	2993	2024	3010	2745.2
आं.प्र.रा.वि.बो.	8063	8207	8270	8036.8
प.बं.रा.वि.बो.	2233	1804	2755	2386.8
बी.एन.ई.बी.	3652	3108	3300	2907.8
डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल.	3125	2935	3870	3577.1
डी.पी.एल.	675	771	820	584.2
सी.ई.एस.सी.	2285	2425	2265	2483.2
उ.रा.वि.बो.	1118	1310	1390	1381.6
डी.वी.सी.	4761	3579	5033	4518.2
एन.टी.पी.सी.	40271	43721	42690	50616.2
ए.एस.ई.बी.	360	295	605	238.9
पटना	8	15	60	11.6
लखनऊ	0	6	31	4.6
एन.सी.टी.पी.पी.	546	428	900	1357.2
भेल	50	63	120	33.0
जोड़ :	151138	149094	160000	162812.5

[अनुवाद]

मलेरिया की रोकथाम

*366. श्री वी. धनजय कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कितनी सहायता दी गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही;

(घ) क्या मलेरिया तटवर्ती राज्यों में अधिक होता है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन नहीं दिया है। तथापि, उनके द्वारा सन् 1994 तथा 1995 दो वर्षों में उपस्करों, रसायनों की खरीद एवं प्रशिक्षण/फैलोशिप के लिए 3,50,000 यू.एस. डालर दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

जानपदिक रोग विज्ञानी स्थिति

वर्ष	मलेरिया के मामले (मिलियन में)	वार्षिक परजीवी घटनाएं	फालसिपेरम मामले (मिलियन में)	मौतें
1991	2.11	2.61	0.90	421
1992	2.13	2.58	0.88	422
1993 (अनन्तिम)	1.68	2.01	0.53	131

(घ) उठाये गये कदमों में अधिक खतरे वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए स्थानिक मारी वालों जोनों का मलेरियाजेनिक स्तरण रोग का सक्रिय रूप से पता लगाना तथा उसका शीघ्र उपचार करना, कीटनाशक छिड़काव तथा लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के लिये विश्व बैंक सहायता के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दवाओं की कमी

*367. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी और इनके उपलब्ध तक न होने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस औषधालयों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों में आवश्यक आवश्यक दवाओं के पर्याप्त भंडार और उनकी अविच्छिन्न सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाए किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) सामान्यतया औषधालयों में दवाओं की कमी नहीं होती। तथापि, कभी-कभार होने वाली कमी को अनुमोदित स्थानीय केमिस्टों से खरीद कर के पूरा कर लिया जाता है।

[अनुवाद]

आयोडीन की कमी संबंधी रोग

*368. श्री श्रवण कुमार पटेल :

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में लगभग 6 करोड़ 30 लाख आयोडीन की कमी संबंधी रोग से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोडीन की कमी संबंधी रोग से ग्रस्त लोगों के संबंध में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इस रोग के उन्मूलन या इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्य योजना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आयोडीन हीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे 1962 में राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, के अंतर्गत खाने के नमक के सामान्य आयोडीकरण और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया जाता है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गलगंड ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गलगंड ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (मि. में)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.168
2.	असम	1.016
3.	गोवा	0.275

1	2	3
4.	हिमाचल प्रदेश	0.428
5.	जम्मू व कश्मीर	1.124
6.	मणिपुर	0.367
7.	मेघालय	0.062
8.	मिजोरम	0.338
9.	नागालैंड	0.119
10.	सिक्किम	0.117
11.	त्रिपुरा	0.348
12.	चंडीगढ़ (केन्द्र शासित)	0.111
13.	दादरा व नागर हवेली	0.022
14.	दमन व दीव	0.009
15.	दिल्ली	1.710
16.	आंध्र प्रदेश	6.210
17.	बिहार	6.720
18.	गुजरात	4.600
19.	हरियाणा	0.579
20.	कर्नाटक	2.790
21.	केरल	1.660
22.	मध्य प्रदेश	8.670
23.	महाराष्ट्र	6.020
24.	उड़ीसा	0.990
25.	पंजाब	1.488
26.	राजस्थान	0.753
27.	तमिलनाडु	0.815
28.	उत्तर प्रदेश	13.811

1	2	3
29.	पश्चिम बंगाल	2.070
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	(सर्वेक्षण नहीं किया गया)
31.	लक्षद्वीप	-तदैव-
32.	पांडिचेरी	-तदैव-
कुल		63.370

[हिन्दी]

पिछड़े वर्ग

*369. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री बापू हरि चौर :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मण्डल आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने आरक्षण और अन्य सुविधाओं के लिए पात्र अन्य पिछड़े वर्गों की सूची संशोधित तथा अधिसूचित कर दी है;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आरक्षण का कितना-कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) शेष राज्य इन सूचियों को कब तक प्रकाशित कर देंगे, और

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) : (क) 14 राज्यों अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने मण्डल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख अर्थात् 16 नवम्बर, 1992 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां अधिसूचित कर दी थीं। असम, गोवा, और हिमाचल प्रदेश राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा गठित आयोगों/समितियों की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान कर ली है/सूचियां अधिसूचित कर दी हैं। असम, गोवा और हिमाचल प्रदेश के मामले में, राज्य सरकार ने आयोगों की स्थापना किए बगैर अन्य पिछड़े वर्गों को अधिसूचित कर दिया है।

उड़ीसा राज्य के लिए मंडल आयोग द्वारा तैयार की गई सूची को ध्यान में रखते हुए दास आयोग द्वारा अभिज्ञात जातियों के आधार पर उड़ीसा राज्य ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची 10 सितंबर, 1993 को अधिसूचित कर दी थी।

राजस्थान राज्य ने मंडल आयोग की रिपोर्ट में यथा उल्लिखित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अपना ली है और इसे 1 सितंबर, 1993 को अधिसूचित कर दिया है। दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट में यथा उल्लिखित अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां दिनांक 27 जनवरी, 1994 को अधिसूचित कर दी हैं।

(ख) कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने सूचना दी है कि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में केवल आदिवासी जनसंख्या है।

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके द्वारा पिछड़े वर्गों की सूचियां अभी अधिसूचित की जानी हैं, वे हैं—जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु अनुसूचित किया गया है। इन राज्यों द्वारा सूचियों के प्रकाशनार्थ कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मामला राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) सरकार ने आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं।

संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग ने 8 सितंबर, 1993 के पश्चात् उनके द्वारा अधिसूचित विभिन्न परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उन्हें भेजे गए विज्ञापनों को भी अधिसूचित किया है, जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किए गए हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्रथम नियुक्ति दिनांक 20 फरवरी, 1994 की गई जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में सहायक प्रबंधक के पद पर एक अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को नियुक्त किया गया।

विवरण

राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता

क्रम सं.	राज्य का नाम	अन्य पिछड़े वर्ग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	असम	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	बिहार	26

1	2	3
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	27*
7.	हरियाणा	10
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू व कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	50
11.	केरल	40
12.	मध्य प्रदेश	14
13.	महाराष्ट्र	6 विमुक्त जाति, 10 अन्य पिछड़े वर्ग
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	12
19.	पंजाब	5
20.	राजस्थान	22
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	50
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	27
25.	पश्चिम बंगाल	—
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार	—
2.	चंडीगढ़	—
3.	दादरा एवं नागर हवेली	—

1	2	3
4.	दिल्ली	—
5.	दमन और दीव	—
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडिचेरी	—

* 1 मई, 1994 से

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक आयोग

*370. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

श्री हरिभाई पटेल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों तथा बोर्डों के अध्यक्षों की एक बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक की कार्यसूची तथा इसमें लिए गए प्रमुख निर्णय और की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है, और

(ग) इन निर्णयों तथा सिफारिशों पर विचार करने तथा उन्हें लागू करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 7-2-1994 को नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों तथा राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगमों का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया।

(ख) और (ग) सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :

- (1) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन;
- (2) साम्प्रदायिक सदभाव;
- (3) सार्वजनिक नौकरियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व;
- (4) अल्पसंख्यकों की शिक्षा, तथा
- (5) अल्पसंख्यकों का सामाजिक और आर्थिक विकास।

आयोग ने अभी तक सरकार का औपचारिक रूप से सम्मेलन की सिफारिशों तथा निर्णयों से सूचित नहीं किया है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में कंटीले तार लगाना

*371. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने तथा फलड-लाईट की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर के जम्मू सेक्टर में भारत पाक सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने की व्यवहार्यता की सरकार जांच कर रही है।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

*372. श्री एस.एन. बेकारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर काबू पाने के लिए किए गए अनुसंधान पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है और उसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) देश की विभिन्न संस्थाओं में इस समय इस संबंध में किस प्रकार का अनुसंधान चल रहा है;

(घ) क्या सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर अनुसंधान के संबंध में कोई दीर्घकालिक नीति तैयार की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 48.44 करोड़ रुपये।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान किए गए 60.40 करोड़ रुपयों में से वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान 19.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) गर्भ निरोधक तरीकों, परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थाएं अनुसंधान कर रही हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां।

मानव प्रजनन में अनुसंधान पर एक राष्ट्रीय समिति परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों में समन्वय रख रही है और राष्ट्रीय हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को निर्देशित कर रही है।

टाडा के मामले

*373. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सभी "टाडा" मामलों की समीक्षा करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी समितियों का गठन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन राज्यों ने ऐसी समितियां बना कर इन मामलों की समीक्षा पूरी कर ली है;

(ङ) "टाडा" के कितने मामले अभी लम्बित हैं;

(च) क्या न्यायालय ने "टाडा" की कुछ धाराओं को अवैध करार कर दिया है और इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी सुझाए हैं, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों/निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने संबंधी समग्र कार्य के एक हिस्से के रूप में इस प्रकार की समितियों का गठन करने के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है।

(च) और (छ) अभियुक्त की फोटो के आधार पर शिनाख्त करने से संबंधित टाडा की धारा 22 को न्यायालय ने अवैध करार दिया है। न्यायालय ने "दुष्प्रेरण" और "अपील" इत्यादि से संबंधित उपबंधों के बारे में अधिनियम में कुछ संशोधन करने के सुझाव भी दिये हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना

*374. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने संबंधी सरकार की योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह कार्य एक निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या 31 मार्च, 1994 तक हुई प्रगति को संतोषजनक माना गया है;

(घ) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार कंटीले तारों की लगाई गई बाड़ की कुल लम्बाई कितनी है तथा इस पर कितनी लागत आई है;

(ङ) 1993-94 के लिए कितनी लागत पर कितने किलोमीटर लम्बी बाड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था और वह कितना प्राप्त हुआ, और

(च) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है और इसकी अनुमानित लागत क्या होगी तथा परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) भारत-बांग्लादेश सीमा पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार बाड़ लगाई जानी है :

असम	—	158 कि.मी.
मेघालय	—	231 कि.मी.
पश्चिम बंगाल	—	507 कि.मी.

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) 31-3-1994 तक प्राप्ति के लिए तय किए गए लक्ष्यों में कुछ गिरावट आई है।

(घ) 47.84 करोड़ रु. के व्यय से 249 कि.मी. बाड़ लगाई जा चुकी है।

(ङ) 1993-94 के दौरान बाड़ बंदी के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

लक्ष्य		उपलब्धियां	
भौतिक (कि.मी. में)	वित्तीय (करोड़ रु. में)	भौतिक (कि.मी. में)	वित्तीय (करोड़ रु. में)
160	28.82	101	23.73

(च) इन तीनों राज्यों के लिए परियोजना के लक्ष्य, 1994-95 के लिए अनुमानित लागत और इसकी कुल अनुमानित लागत इस प्रकार है :

लक्ष्य	अनुमानित लागत	परियोजना की कुल लागत
286	34.54 करोड़ रु.	128.03 करोड़ रु.

मंदबुद्धि बच्चे

*375. श्री हाराधन राय : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में मंद बुद्धि/विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनायी गई है;

(ख) इन बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी संस्थाएं स्थापित की गई हैं/की जाएगी, और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई और 1994-95 के लिये कितनी नियत की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबातु) : (क) और (ग) सरकार ने निम्नलिखित तीन योजनाएं बनायी हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है :

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता की योजना : यह योजना विकलांग व्यक्तियों की सभी चार श्रेणियों के लिए है, जिनमें मानसिक रूप से मंद व्यक्ति/बच्चे शामिल हैं।

	1993-94	1994-95
आवंटन (करोड़ रु. में)	10.40	8.70

2. प्रमस्तिष्काघात और मानसिक मंदता के क्षेत्र में मानव शक्ति विकास संबंधी संगठनों को सहायता की योजना : यह योजना प्रमस्तिष्काघात और मानसिक मंदता के क्षेत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अभिप्रेत है।

	1993-94	1994-95
आवंटन (करोड़ रु. में)	0.30	0.30

3. विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा विकास की योजना : यह योजना सभी चार श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों के लिए है, जिसमें मानसिक रूप से मंद व्यक्ति शामिल हैं।

	1993-94	1994-95
आवंटन (करोड़ रु. में)	1.50	1.50

(ख) भारत सरकार ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सिकन्दराबाद में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है।

	1993-94	1994-95
आवंटन (करोड़ रु. में)	1.60	1.60

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

*376. श्री वी. कृष्णा राव :

श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में कितनी अधिकतम आय सीमा निर्धारित की है,

(ख) क्या सरकार का विचार इस अधिकतम सीमा को बढ़ाने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इन योजनाओं के लिए नियत धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालु) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए आय सीमा 2000 रुपये प्रति माह तक है, जो कि निम्नानुसार है :

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) उन छात्रों के मामले में, जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से प्रतिमाह आय 1500 रुपये से अधिक नहीं है। | पूरा निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस। |
| (2) उन छात्रों के मामले में, जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से प्रतिमाह आय 1500 रुपये से अधिक है, किन्तु प्रतिमाह 2000 रुपये से अधिक नहीं है तथा जो निम्नलिखित पाठ्यक्रम जारी रखता है : | |
| (i) समूह "क" के पाठ्यक्रम (चिकित्सा/अभियांत्रिकी, उच्च तकनीकी/व्यावसायिक अध्ययन) | पूरा निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस। |
| (ii) समूह "ख" के पाठ्यक्रम (भारतीय चिकित्सा में मैट्रिकी, चिकित्सा/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा), "ग" (अभियांत्रिकी/चिकित्सा/प्रौद्योगिकी प्रमाण-पत्र, कला/विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम), "घ" (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम—दूसरे वर्ष से आगे) तथा "ङ" (10+2, सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम का पहला वर्ष)। | |

विदेश में उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए आय सीमा 5000 रुपए प्रति माह है।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत आय सीमा में वृद्धि का निर्णय योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है। राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा, जो कि वर्ष 1992-93 से निश्चित की गई थी, में वृद्धि का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है, क्योंकि सीमा युक्ति संगत है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सहायता उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले वर्ष निर्मुक्त निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की जाती है।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विदेश में स्थित भारतीय मिशन विदेश में अध्ययन कर रहे छात्रों को सीधे ही निर्वाह भत्ता तथा अन्य ग्राह्य अनुदान तथा संबंधित शैक्षिक संगठनों को सीधे ही शिक्षण तथा अन्य फीस वितरित करता है। विदेश स्थित शैक्षिक संस्थानों तक आने-जाने हेतु छात्रों की यात्रा के लिए वायुयान के किराये का भुगतान भी संबंधित भारतीय मिशनों अथवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जैसी भी स्थिति हो, सीधे ही एयरलाइंस को किया जाता है।

तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार

*377. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993 के दौरान देश में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार होने की संभावना का पता चला है, और

(घ) इनकी खुदाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया लि. ने जमीनी भाग में कुल 29539 एस.एल. के तथा 3659 जी.एल. के 2-डी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा 753 वर्ग कि.मी./एस.एस. के 3-डी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा अपतटीय भाग में 32,507 एल.के. 2-डी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा 2331 एल.के. 3-डी भूकंपीय सर्वेक्षण किए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भूकंपीय आंकड़ा प्राप्त किए जाने के पश्चात इसे अन्वेषी वेधन हेतु उपर्युक्त स्थानों को पहचानने के संबंध में संसाधित एवं प्रस्तुत किया जाएगा। यह एक अनवरत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संभावना का मूल्यांकन इसके गुणों के आधार पर किया जाता है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन

*378. श्री डी. वेकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समूचे विश्व से कुष्ठ रोग के उन्मूलन का कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत से कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कार्य योजना बनायी है, और

(घ) इस संबंध में भारत को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग की घटना दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम करके सन् 2000 ईसवी तक कुष्ठ के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।

(ग) भारत सरकार ने, न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कुष्ठ उन्मूलन के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्री बजट के अन्तर्गत राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 1994-1995 के दो वर्षों के लिए 207100 अमरीकी डालर का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

कोकिंग कोयला

*379. श्री नीतीश कुमार :

डा. चिंता मोहन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान कोकिंग कोयले की उत्पादन प्रतिशतता में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1989-90 की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान होने वाले कोयले के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत कोकिंग कोयला होगा;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कोकिंग की मांग भी बढ़ी है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में कोकिंग कोयले की मांग को इसका आयात करके पूरा किया जाता रहा है, और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने कोकिंग कोयले का देश में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान हुए कोयले के कुल उत्पादन तथा कच्चे कोककर कोयले के उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	कुल उत्पादन (मिलियन टन)	कच्चे कोककर कोयले का उत्पादन			
		इस्पात एवं वाशरी ग्रेड	अन्य ग्रेड (मि.टन.)	जोड़ (मि.टन.)	कुल उत्पादन की प्रतिशतता
1989-90	200.89	34.86	9.57	44.43	22.12
1991-92	229.28	32.77	12.95	45.72	19.94
1992-93	238.26	32.33	13.07	45.40	19.05
1993-94	246.83	38.93	14.14	45.07	18.32

(अनन्तिम)

उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि कच्चे कोककर कोयले के उत्पादन में समग्र रूप से गिरावट नहीं आ रही है, किन्तु कोककर कोयले के उत्पादन की हिस्सेदारी की प्रतिशतता में कोयले के उत्पादन में समग्र रूप में वृद्धि होने के कारण गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आयी है।

(घ) और (ड) इस्पात संयंत्रों और देश में आपूर्ति किए जाने के लिए अपेक्षित धुले तथा सीधे फीड कोककर कोयले के मांग संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मिलियन टन में)

वर्ष	इस्पात संयंत्रों द्वारा धुले कोककर कोयले की मांग	वास्तविक देशीय (धुला तथा सीधा फीड)
1989-90	15.07	11.40
1991-92	17.15	12.17
1992-93	18.53	12.62
1993-94	20.91	13.73

(अनन्तिम)

(च) जी, हां। आंशिक रूप में जैसा कि (घ) में दिया गया है।

(छ) कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

- (1) विद्यमान खानों का पुनर्गठन तथा नई खानों का विकास करके कच्चे कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना।
- (2) उपयुक्त गुणवत्ता वाले निम्न वाष्पशील मध्यम कोककर कोयले की आपूर्ति के माध्यम से वाशरियों के कच्चे कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किया जाना।
- (3) विद्यमान धुलाई क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए मधुबंद तथा केडला के स्थान पर निर्माणाधीन दो नई वाशरियों को शीघ्र चालू किया जाना।
- (4) विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों के सुधार कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना, ताकि क्षमता उपयोगिता तथा धुले हुए कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
- (5) असम क्षेत्र की खानों से निम्न राख वाले कोककर कोयले को बढ़ी हुई मात्रा में उपलब्ध कराया जाना।

[अनुवाद]

मिलावटी मिट्टी का तेल

*380. श्री मोहन रावले :

श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और उड़ीसा में लोगों द्वारा मिलावटी मिट्टी का तेल प्रयोग किए जाने के कारण हताहत हुए लोगों के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई उच्चतम स्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं तो यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या हताहतों के निकटस्थ संबंधियों को मुआवजा दिया गया है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)

जी, हां।

(ख) जांच रिपोर्ट परीक्षण के लिए 19-4-1994 को ही प्रस्तुत की गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उच्च स्तरीय जांच समिति की सिफारिश के आधार पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अलावा सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य सावधानियों के संबंध में संबंधित मैनुअलों में पहले से निर्धारित अनुदेशों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तेल कम्पनियों को पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) और (च) मृतकों के निकटस्थ संबंधियों को आई.ओ.सी. द्वारा 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा घायल व्यक्तियों को समुचित राशि का भुगतान करने के लिए भुगतान राज्य सरकार को किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

4045. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देहरादून, उत्तर प्रदेश में विकास नगर के पुलिसकर्मियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग के निष्कर्ष प्राप्त हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो ये कब तक प्राप्त हो जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देहरादून जिले के विकास नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कथित पुलिस ज्यादतियों और परिणामतः श्री असद अली और श्री कमल कुमार की मौत की शिकायत को आयोग ने संज्ञान में लिया। आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस संबंध में कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

ताड़ी निकालने वालों के लिए कल्याण कोष

4046. श्री धर्मभिक्षम : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में ताड़ी निकालने वालों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कल्याण कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (के.वी. तंगकाबालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण

4047. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया है, और

(ख) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस ऋण-राशि से चलाई जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस समय इनकी क्या स्थिति है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) एशिया विकास बैंक ने 1993-94 में गैल की एच.बी.जे. उन्नयन परियोजना के लिए 260 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने इस परियोजना को मार्च, 1994 में अनुमोदित कर दिया है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल योजना

4048. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना के तहत किसी राष्ट्रीय जल परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अंतर्गत अनुमानित रूप से सिंचाई होने वाली कृषि भूमि के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी, और

(घ) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना क्रेडिट सं. 1770-आई.एन.के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश की 21 सिंचाई योजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। इन योजनाओं का नाम, इनका संबंधित कृषि योग्य कमान क्षेत्र और अनुमानित लागत संलग्न विवरण में दी गयी है। राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के लिए बढ़ायी गयी समापन तारीख 31-3-1995 है।

विवरण

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	चन्द्रादेशार	4000	0.68
2.	बीला	13516	4.18
3.	बरना	57904	17.72
4.	चीलार	7112	1.43
5.	हलाली	27924	0.38
6.	मोरवान	4000	0.98
7.	केथान	3187	0.90
8.	गगन	1490	0.51
9.	सुक्ता	17643	3.77
10.	सरोवा	12012	2.62
11.	कुण्डा	1000	0.37
12.	रातापानी	2692	0.50
13.	साकाव्दा	2350	0.64
14.	सेगवाल	1200	0.36
15.	सोनखेड़ी	1122	0.34
16.	खुरंग	60000	16.64

1	2	3	4
17.	गंगुलपारा	4093	1.26
18.	औदा	8900	2.20
19.	मोला	3563	1.05
20.	परेंच	2614	0.94
21.	तवा	41000	13.30
कुल		277322	78.77

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

4049. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना, (चरण-दो) पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है, और

(ख) उक्त धनराशि में से जलग्रहण क्षेत्र के विकास, वृक्ष लगाने, सड़कों के निर्माण, कृषि कार्यों और जल निकासी के विकास और विस्तार के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जून, 1993 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लगभग 1039 करोड़ रुपए की कुल राशि खर्च की गयी है।

(ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल

4050. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल में कुल कितने कर्मी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल पर प्रतिवर्ष कुल कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई, और

(ग) गैर-सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के कितने कर्मियों को तैनात किया गया और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31-3-1994 को सीमा सुरक्षा बल में कुल 1,72,944 व्यक्ति थे।

(ख) पिछले 3 सालों के दौरान सीमा सुरक्षा बल पर हुआ कुल व्यय निम्न प्रकार से है :

वर्ष	रुपये हजारों में
1991-92	722,64,50
1992-93	806,37,80
1993-94	952,31,73

(ग) राज्य सरकारों की मांग के आधार पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकी को सीमा के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सरकारी अस्पताल

4051. श्री आनन्द अडिरवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं एवं अन्य सामग्री की खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं तथा प्रशासन में भारी कुप्रबंध व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं ग्लूकोज आदि की खरीद के कितने मामले दर्ज किए गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (घ) जी.बी. पंत अस्पताल में भंडार की खरीद के संबंध में अनियमितताएं पाई गई हैं। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे जांच के लिए इन मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सुपुर्द कर दें।

(ग) अस्पतालों को उपयुक्त उपकरण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे अपने कार्यकरण में सुधार ला सकें।

[अनुवाद]

नर्मदा बांध

4052. श्री राम नाईक :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या नर्मदा बांध के "स्तूइस गेट" को बंद कर दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या किसी हिस्सेदार राज्य ने "स्तूइस गेट" के बंद किए जाने का विरोध किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और
- (ङ) केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) सरदार सरोवर बांध के निर्माण द्वारा, जिनकी संख्या 10 हैं, प्रत्येक का आकार 2.1X2.7 मीटर है और ऊंचाई (एलिकेशन) स्तर 18 मीटर पर स्थित है, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा 23 फरवरी, 1994 को बन्द कर दिये गये थे।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

द्वीपों का विकास

4053. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या गृह मंत्री द्वीपों का विकास के बारे में 23 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी प्राप्त की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) 23 दिसंबर, 1993 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3433 के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है। अभी कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचना भेजी जानी है।

[अनुवाद]

"टाटा नोट किंग अप ए रो" शीर्षक से समाचार

4054. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 मार्च, 1994 के "फाइनान्शियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "टाटा नोट किंग अप ए रो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,
- (ख) यदि हां, तो इसमें बताये गये मामले के तथ्य क्या हैं,

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रक्रिया है, और

(घ) यह मामला इस समय किस चरण में है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समाचार में मध्यमाकार के क्षेत्रों की संविदाएं दिए जाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने रत्ना, पन्ना, मुक्ता और मध्य एवं दक्षिणी ताप्ती क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद इन क्षेत्रों के विकास के लिए संविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के लिए अनुमोदन दे दिया है।

मोतियाबिंद

4055. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शल्यचिकित्सा के अतिरिक्त मोतियाबिंद रोग को दूर करने का कोई अन्य इलाज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वृद्ध व्यक्तियों का मोतियाबिंद का आपरेशन कभी-कभी ही सफल होता है, और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या वैकल्पिक इलाज किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी आयु के अधिकतर रोगियों में मोतियाबिन्द के आपरेशन सफल होते हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी क्षेत्र में ड्रिलिंग

4056. **श्री एस.बी. सिदनाल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दक्षिणी क्षेत्र में नदी घाटियों में जनवरी, 1994 में ड्रिलिंग की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला, और

(ग) इन नदी घाटियों से कितनी मात्रा में तेल निकाला गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1994 के दौरान के.जी. और कावेरी बेसिनों में परीक्षित/परीक्षणाधीन 7 कूपों में से 4 कूप हाइड्रोकार्बनयुक्त और 3 शुष्क साबित हुए। इसके अलावा 31-1-1994 की स्थिति के अनुसार एक विकास कूप सहित 18 कूपों में वेधन कार्य चल रहा था।

(ग) आरंभ से (मार्च, 1994 तक) ओ.एन.जी.सी. के दक्षिणी क्षेत्र से कंडेन्सेट सहित बेसिनवार कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :

(आंकड़े मि.मी. टन में)

बेसिन	तेल उत्पादन
कावेरी	1.523
के.जी. अपतटीय	0.147
के.जी. तटीय	0.109
योग :	1.779

कोयले का उत्पादन

4057. श्री उद्धव बर्मन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में कोल इंडिया लि. के अंतर्गत विभिन्न कोयला खानों से प्रतिवर्ष कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कोयला खानों के आधुनिकीकरण की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. के अंतर्गत असम में विभिन्न कोलियरियों से हुए उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

(आंकड़े 000 टन में)

	1993-94	1992-93	1991-92
टिपोंग	155	153	151
लीडो/तिरप	100	95	89
बारामोलई	127	118	112
जयपोरे	27	22	25
तिरप ओ.का.	590	603	488
टिकाक ओ.का.	200	109	85
कुल ना.ई.को.	1199	1100	950

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. के अंतर्गत असम की कोयला खानों से हुए लाभ को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	सी.पी.आर.ए. के बाद लाभ/हानि (करोड़ रुपये में)
1993-94 (अन्तिम)	+3.64
1992-93	+3.30
1991-92	+0.72

(ग) और (घ) जी, हां। असम क्षेत्र की कोयला खानों में भू-गर्भीय परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, जहां कि कोयले के भंडार बहुत मोटाई में, कुछ गैस वाले और बहुत ढलवा इन्कलाइनों में विद्यमान हैं। विद्यमान भू-खनन परिस्थितियों को देखते हुए नई खनन प्रौद्योगिकी, जैसे-लचीला रूफिंग और शील्ड उत्खनन किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस संयंत्र

4058. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक रसोई गैस बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ग) इस समय एक रसोई गैस बाटलिंग प्लांट स्थापित करने में अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भराई संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तकनीकी आर्थिक साध्यता तथा आस-पास के खपत क्षेत्रों में मांग क्षमता के आधार पर नये एल.पी.जी. भराई संयंत्र स्थापित किये जाते हैं। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में नया एल.पी.जी. भराई संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किसी भराई संयंत्र को स्थापित करने की लागत इसके आकार, भूमि की कीमत तथा स्थान आदि पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

ग्वालियर में अस्पताल

4059. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साऊदी अरब के सहयोग से ग्वालियर में अस्पताल की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की कुल लागत क्या है, और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) ग्वालियर में एक 600 पलंगों वाले अतिविशिष्टता वाले अस्पताल का निर्माण करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को साऊदी अरब सरकार के समक्ष सहायतार्थ प्रस्तुत किया गया है। परियोजना लागत 72.50 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। साऊदी अरब ने इस प्रयोजन के लिए पहले छह करोड़ रियाल की वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी। साऊदी अरब सरकार के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

एड्स नियंत्रण

4060. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 तक केरल में एड्स के कितने रोगियों का पता चला;

(ख) 1993-94 के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केरल को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में एड्स निगरानी केन्द्र खोलने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य सरकार द्वारा एड्स के 76 मामलों की सूचना दी गई है।

(ख) केरल को 1993-94 के दौरान 16,18,900 रुपये के नकद अनुदान का भुगतान किया गया।

(ग) और (घ) एक निगरानी केन्द्र सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम में पहले ही कार्य कर रहा है।

जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों की गतिविधियां

4061. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1994 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार "जे.के मिलिटेंट्स बैन उर्दू डेली" की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार को प्रश्नाधीन रिपोर्ट की जानकारी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है और समाचार पत्र आमतौर पर प्रकाशित हो रहा है।

(ग) उग्रवादी संगठनों की इस प्रकार की कार्रवाइयों का प्रेस और आम जनता द्वारा उत्तरोत्तर विरोध किया जा रहा है। इन संगठनों का उद्देश्य प्रेस का मुंह बंद करना, इसे अपना प्रवक्ता बनाने के लिए मजबूर करना और इस प्रकार का वातावरण पैदा करना, जिसमें भ्रान्तियां फैलायी जा सकें। उग्रवादियों के उपरोक्त प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा भी सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4062. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सरकार ने राज्यों में पिछड़े वर्ग (अनुसूची एक) और पिछड़े वर्ग (अनुसूची दो) के अंतर्गत वर्गीकरण किया है और सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार का विचार इन पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करने और केंद्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण का समान प्रावधान करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पद समाप्त करना

4064. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीरम वैज्ञानिक और रसायन परीक्षक विभाग द्वारा क्या कार्य किया जाता है।

(ख) क्या इस विभाग के कुछ पद समाप्त किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या इससे इस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य में बाधा पड़ने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) किया जाने वाला कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न नैदानिक रिएजेंटों, वी.डी.आर.एल. एंटीजन प्रजाति, विशिष्ट एंटीसीरा के उत्पादन के उत्पादन और विपणन, रक्त समूह सीरम विज्ञान और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा कानूनी प्रदर्शनों/जीव विज्ञानी सामग्रियों के बारे में विशेषज्ञों की राय, प्रयोगशाला और परा-चिकित्सीय कार्मिकों के प्रशिक्षण और इम्यूनोडायग्नोस्टिक में अनुसंधान से संबंधित है।

(ख) और (ग) यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित पदों को जब कभी वे खाली होंगे, न भरकर/उन्हें सरप्लस सेल में स्थानांतरित करके समाप्त कर दिया जाए :

अपर सीरम विज्ञानी एवं रसायन परीक्षक	1
सहायक सीरम विज्ञानी एवं रसायन परीक्षक	3
लेखा अधिकारी	1
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	1
तकनीकी सहायक	5
वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन	4
प्रयोगशाला तकनीशियन	9
उच्च श्रेणी लिपिक	1
अवर श्रेणी लिपिक	5
	30

(घ) जी नहीं, क्योंकि बहुत से राज्यों ने अपने फारेंसिक सेवा संस्थान/प्रयोगशालाएं स्थापित कर ली हैं।

प्रवासियों को नागरिकता

4065. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक अनुमानतः कितने व्यक्तियों ने भारत में प्रवास किया;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इनमें से किसी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार, अपनी नीति के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को भारत में प्रवास करने की अनुमति प्रदान नहीं करती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

4066. श्री राम सिंह कस्वां :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री सुरील चन्द्र वर्मा :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की उन बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं तथा उन पर आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है जो केंद्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं, और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्र में प्राप्त हुई मध्य प्रदेश व राजस्थान की नई वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्र में प्राप्त हुई मध्य प्रदेश व राजस्थान की नई वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4

(क) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयी, कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाये।

वृहद

1.	बाणसागर यूनिट-II	344.56	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	बरगी व्यापवर्तन	1101.23	राज्य सरकार द्वारा राज्य के वित्त विभाग को सहमति प्राप्त करनी है।
3.	राजघाट नहर	309.21	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	सिन्धु फेज-II	510.94	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण व वन मंत्रालय से वन स्वीकृति और राज्य के वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त करनी है।
5.	बरगी बहुउद्देशीय	566.34	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण व वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति और राज्य के वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त करनी है।
6.	कोलार	139.14	राज्य सरकार द्वारा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है तथा सतही व भूजल के संयुक्त प्रयोग के लिए प्रस्ताव तैयार करने हैं।

7. थानवर सरोवर 24.38 राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास व पुनर्स्थापन पहलुओं सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करनी है।
8. पेंच व्यापवर्तन 184.04 राज्य सरकार द्वारा आठवीं योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।
9. महान 39.00 राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा उसके द्वारा अद्यतन लागत प्राक्कलन प्रस्तुत करने हैं।
10. ओंकारेश्वर बहु-उद्देशीय 1784.29 राज्य सरकार द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।

मध्यम

— शून्य —

(ख) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल किए जाने हैं।

बृहद

1. महानदी जलाशय 916.30 राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2. केलो सिंचाई 51.88 राज्य सरकार द्वारा कोयला खानों की जलमग्नता के बारे में कोयला मंत्रालय से तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पर्यावरण एवं कल्याण मंत्रालय से स्वीकृतियां प्राप्त करनी हैं। उसे केन्द्रीय जल आयोग के साथ अन्य तकनीकी पहलुओं को भी हल करना है।
3. मोंगरा 77.27 राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के साथ मिलकर विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दों को अंतिम रूप देना है तथा उसके द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय व वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4
4.	अर्पा	265.71	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल करने हैं तथा उसके द्वारा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास व पुनर्स्थापन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करनी है।
	मध्यम		
1.	महुआर	42.67	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करना है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	वरवार	7.54	यह परियोजना सलाहकार समिति द्वारा पहले 11/85 में 7.54 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकार्य पायी गयी थी। 1/91 में प्राप्त हुए 11.91 करोड़ रुपये के अद्यतन लागत प्राक्कलन की जांच की गयी और टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गयीं। राज्य को इन टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
3.	सूतिया पेट	15.60	अद्यतन लागत अनुमान हल ही में 7/93 में प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजनाओं के बारे में कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	गेज	8.79	यह परियोजना सलाहकार समिति द्वारा पहले 4/86 में स्वीकार्य पायी गयी थी। राज्य सरकार द्वारा अद्यतन लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाने हैं तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
5.	अपर बेडा	89.17	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
6.	उरिबाग	89.17	

-वही-

राजस्थान

(क) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है और सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयी है कि कुछ टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया जाये।

बृहद

1. बिलासपुर 309.97 राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास व पुनर्स्थापन पहलुओं के बारे में कल्याण मंत्रालय पेयजल व सिंचाई की तथा पर्यावरणीय व वन दृष्टिकोण से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी है।

2. नर्मदा नहर 467.53 यह परियोजना निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास भेज दी गयी।

मध्यम

1. बेथाली सिंचाई 13.07 राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजनाओं के बारे में कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी है।

2. चौली 28.87 यह परियोजना निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत की गयी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल किये जाने हैं।

बृहद

1. इंदिरा गांधी चरण-I 86.39 राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करना है।

मध्यम

1. बांदी सेन्दा 15.56 -- वही --

2. सुकली सिंचाई 15.41 राज्य सरकार ने हाल ही में 2/94 केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन किया है।

1	2	3	4
3.	घाकन सिंचाई	7.98	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
4.	गंभीरी आधुनिकीकरण	16.71	राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत किए जाने हैं।
5.	गरारदा सिंचाई	36.50	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
6.	पिपलाड सिंचाई	16.93	राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट हाल ही में 1/94 में प्राप्त हुई है।
7.	ओलवाडा लिफ्ट सिंचाई	9.00	यह परियोजना हाल ही में 12/93 में प्राप्त हुई है।

टिप्पणी : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय आदि से स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को मिट्टी के तेल की सप्लाई

4067. श्री पी. कुमारसामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार से मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) जी, हां।

(ख) मिट्टी का तेल एक कमी वाला उत्पाद है और हमारी जरूरत के 40 प्रतिशत से अधिक भाग की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती है। देश में मिट्टी के तेल की सीमित उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की कठिनाई और अपेक्षित भारी सबसिडी के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं है।

हालांकि अब समानांतर विपणन योजना के अन्तर्गत बाजार निर्धारित मूल्यों पर बिक्री हेतु तेल का आयात किया जा सकता है।

[हिन्दी]

निजी मेडिकल कालेज

4068. श्री राजेन्द्र अग्रिहोत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने निजी मेडिकल कालेज हैं;

(ख) उनमें से कितने कालेज मान्यताप्राप्त हैं;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश कालेज छात्रों से कैपिटेशन शुल्क ले रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के प्रबंध मंडल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 41 प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं। इनमें से 25 परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने अपने 7-10-1993 के निर्णय में इन कालेजों के लिए अनुमानित फीस निर्धारित की है और सरकार से शीर्षस्थ परिषद के साथ परामर्श करके नियमित आधार पर इसका निर्धारण करने को कहा है।

दिल्ली में स्वापक औषधियों की बिक्री

4069. श्री मंजय लाल :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में स्वापक औषधियों की अवैध बिक्री के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में अब तक दिल्ली में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई है, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 1992 में सूचित 902 मामलों के मुकाबले वर्ष 1993 में 761 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 1994 के प्रथम तीन महीनों के दौरान 210 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 197 मामले दर्ज किए गए थे।

(ग) वर्ष 1991, 1992, 1993 और 1994, (31-3-94) तक के दौरान सूचित किए गए मामलों, गिरफ्तार किए व्यक्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	न्यायालय में चालान किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	दोष मुक्त व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध मामले		रिहा कर दिए गए व्यक्तियों की संख्या
						मुकदमे के लिए लम्बित है	जांच पड़ताल के लिए लम्बित है।	
1991	1187	1212	1177	92	43	1042	—	35
1992	902	926	898	67	7	824	3	25
1993	761	769	82	1	686	24	3	
1994								
(1-3-94 तक)	200	209	39	—	—	39	170	—

[अनुवाद]

फार्मासिस्टों के पद

4070. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) में फार्मासिस्टों के 223 पदों को उच्चिकृत कर मुख्य फार्मासिस्ट करने का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

जे.के. कैंसर संस्थान

4071. श्री देवी बक्स सिंह :

डा. रमेश चन्द तोमर :

श्री बलराज पासी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर का दर्जा बढ़ाकर इसे क्षेत्रीय कैंसर संस्थान बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में कब तक निर्णय लेने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर का दर्जा बढ़ाकर उसे क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बनाने के लिए तथा इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्य में अन्य संस्थानों के ऐसे ही अनुरोधों के साथ-साथ यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बधिर और मूक के लिए सम्मोहन

4072. श्री रामदेव राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बधिर और मूक व्यक्तियों को सम्मोहन तथा एक्यूप्रेसर के उपचार से ठीक किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस उपचार को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जिससे सिद्ध हो कि बधिर और मूक रोगी सम्मोहन तथा एक्यूप्रेसर से ठीक किए जा सकें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कावेरी बेसिन में तेल की खोज

4073. **श्री के. तुलसिएया वान्डायार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई ईंधन ऊर्जा प्रणाली हेतु राज्य परिवहन निगम को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अब तक कावेरी बेसिन से तेल की खोज करने के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) चोलस रोडवेज कारपोरेशन के लिए 500 सी.एम.डी. का आबंटन किया गया है। इस आबंटन के प्रति नारीमनम से आपूर्तियां की जा रही हैं।

(ग) कावेरी बेसिन में अन्वेषण प्रयासों से अब तक 10 हाइड्रोकार्बन वाले प्रासपेक्ट स्थापित हुए हैं। 1-4-93 के अनुसार 20.51 मि.मि. टन तेल और गैस के समतुल्य तेल का वसूली योग्य भंडार स्थापित हुए हैं।

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र

4074. **श्री बारे लाल जाटव :**

श्री आनन्द अहिरवार :

श्री जंगबीर सिंह :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र केन्द्रीय सुरक्षा बलों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के निरीक्षण में चल रहे हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने रंगरूटों की मृत्यु हुई है;

(ग) मरने वालों में कितने रंगरूट अनुसूचित जातियों के थे;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इन मौतों की कोई जानकारी है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ) पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में केन्द्रीय सुरक्षा बलों से प्रतिनियुक्त अधिकारियों के पर्यवेक्षण में दो पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं, नामतः कमान्डो प्रशिक्षण केन्द्र, बहादुरगढ़, सीमा सुरक्षा बल से प्रतिनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्री टी.एस.गिल के अन्तर्गत कार्य रहा है और पी.आर.टी.सी. जाहन खेलान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस से प्रतिनियुक्त श्री एच.एस. गोपया के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। पिछले एक वर्ष के दौरान इन प्रशिक्षण केन्द्रों में दो रंगरूटों की मौत हुई। एक रंगरूट कान्सटेबल जोगिन्दर सिंह की मृत्यु प्रशिक्षण केन्द्र के पास वाली नदी में डूबने से हुई। यह एक दुर्घटना संबंधी मौत थी। दूसरे रंगरूट, कान्सटेबल हरचरण सिंह की मृत्यु बीमारी के कारण अस्पताल में हुई। एक रंगरूट अनुसूचित जाति समुदाय का था। कान्सटेबल हरचरण सिंह की मृत्यु की जांच की गयी थी, जिसका यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी कर्मचारी शिक्षण संबंधी लापरवाही के लिए जिम्मेवार नहीं था, क्योंकि रंगरूट कारस्टेबल स्वर्गीय हरचरण सिंह की मृत्यु बीमारी के कारण अस्पताल में हुई।

चिकित्सा उपकरण

4075. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कई मेडिकल कालेजों ने चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिये केंद्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कुष्ठ उन्मूलन केंद्र

4076. श्री पीटर जी. मरबनिआंग :

श्री सत्य देव सिंह :

श्री थाइल जॉन अंजलोज :

श्री प्रवीन डेका :

श्री बृजभूषण शरणसिंह :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने कुष्ठ उन्मूलन केंद्र कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार इन केंद्रों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता दी गई;

(ग) 1993-94 में प्रत्येक राज्य में कितने कुष्ठ उन्मूलन केंद्र खोले गए;

(घ) क्या जातीय क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और कुष्ठ रोगियों को मुफ्त दवा की आपूर्ति की जाएगी, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग) कार्य कर रहे कुष्ठ केंद्रों की संख्या वर्ष 1993-94 में प्रस्तावित केंद्रों की संख्या और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I से III में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में कुष्ठ कार्यकर्ताओं के अलग संगठन के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय कुष्ठ-उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहे केंद्रों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	478
2.	अरुणाचल प्रदेश	37

1	2	3
3.	असम	293
4.	बिहार	1276
5.	गोवा	36
6.	गुजरात	446
7.	हरियाणा	7
8.	हिमाचल प्रदेश	30
9.	जम्मू और कश्मीर	50
10.	कर्नाटक	831
11.	केरल	346
12.	मध्य प्रदेश	705
13.	महाराष्ट्र	1345
14.	मणिपुर	29
15.	मेघालय	22
16.	मिजोरम	14
17.	नागालैंड	39
18.	उड़ीसा	250
19.	पंजाब	22
20.	राजस्थान	34
21.	सिक्किम	24
22.	तमिलनाडु	322
23.	त्रिपुरा	31
24.	उत्तर प्रदेश	1336
25.	पश्चिम बंगाल	243
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	16
27.	चंडीगढ़	—

1	2	3
28.	दादरा और नागर हवेली	—
29.	दमन और दीव	—
30.	दिल्ली	7
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	32
योग		8301

विवरण-II
वास्तविक लक्ष्य 1993-94

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुष्ठ नियंत्रण इकाई	शहरी कुष्ठ केन्द्र	संशोधित कुष्ठ नियंत्रण	सर्व उन्मूलन और उपचार	जिला कुष्ठ अधिकारी	अस्थायी अस्पताली वार्ड	स्वैच्छिक कुष्ठ पलंगों का रखरखाव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	-	1	-	-	-	-	300
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	1	-	-	20
3.	असम	-	-	1	5	-	-	50
4.	बिहार	1	2	1	5	1	-	50
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	20
6.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	50
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	50
8.	हिमाचल प्रदेश	-	1	-	-	-	-	20
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	4	-	-	40
10.	कर्नाटक	-	1	-	-	-	-	100
11.	केरल	-	1	-	5	-	-	100

१२.	मध्य प्रदेश	१	२	१	५	—	—	—	२००
१३.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	२००
१४.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	२०
१५.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	२०
१६.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	२०
१७.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	२००
१८.	उड़ीसा	१	१	—	२	—	—	—	५०
१९.	पंजाब	—	१	—	—	—	—	—	२०
२०.	राजस्थान	—	—	१	—	—	—	—	२०
२१.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	२०
२२.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	१००
२३.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	२०
२४.	उत्तर प्रदेश	—	२	१	५	—	—	—	१००
२५.	पश्चिम बंगाल	१	१	१	५	—	—	—	२००
२६.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	२०
२७.	चंडीगढ़	—	१	—	१	—	—	—	३०
२८.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	२०

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	दादरा और नागर हवेली -	-	-	-	2	-	-	20
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	100
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	20
32.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	20
	कुल	4	14	6	41	1	0	2220

विशेष टिप्पणी : वास्तविक लक्ष्य केवल उसी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए जाने हैं, जहां जनसंख्या की व्याप्तता प्रति हजार 2+ से अधिक है।

विवरण-III

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गत 3 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	254.56	249.15	288.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.28	8.31	8.8
3.	असम	23.77	19.32	21.2
4.	बिहार	155.74	131.54	138.18
5.	गोवा	1.13	1.35	1
6.	गुजरात	42.38	53.58	46.57
7.	हरियाणा	8.63	7.08	7.5
8.	हिमाचल प्रदेश	8.22	7.06	7.58
9.	जम्मू व कश्मीर	5.49	6.57	17.87
10.	कर्नाटक	122.96	102.62	137.2
11.	केरल	80.31	87.1	146.15
12.	मध्य प्रदेश	202.08	208.62	199
13.	महाराष्ट्र	56.68	80.46	69.51
14.	मणिपुर	2.36	1.93	2.54
15.	मेघालय	5.38	5.07	5.07
16.	मिजोरम	5.38	5.07	5.76
17.	नागालैंड	3.51	4.24	3.79
18.	उड़ीसा	159.09	120.06	167.75
19.	पंजाब	8.74	8.12	8.18
20.	राजस्थान	33.59	28.8	57.96

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	15.38	12.13	16.91
22.	तमिलनाडु	207.21	153.83	212.74
23.	त्रिपुरा	21.86	8.55	18.16
24.	उत्तर प्रदेश	185.79	251.86	364.88
25.	पश्चिम बंगाल	119.63	96.4	135.53
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8.12	7.51	7.57
2.	चंडीगढ़	1.08	0.56	1.08
3.	दमन व दीव	2.16	1.14	1.59
4.	दादरा व नागर हवेली	0.87	0.97	0.56
5.	दिल्ली	0.62	1.66	3.14
6.	लक्षद्वीप	1.25	1.06	1.03
7.	पांडिचेरी	5.12	1.56	8.84
योग		1758.37	1672.89	2112.02
केन्द्रीय क्षेत्र		467.17	535.25	1226
योग		2225.54	2208.14	3338.02

[अनुवाद]

गैस की सप्लाई में कमी

4077. श्री श्रीकान्त जेना :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री राम विलास पासवान :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1994 से हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन के सभी एककों की प्राकृतिक गैस की सप्लाई में पूर्व निर्धारित दर के आधार पर 15 प्रतिशत कटौती की गयी है,

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं,

(ग) यह नए उर्वरक संयंत्रों के लिए कितनी लाभप्रद होगी, और

(घ) गैस की सप्लाई 15 प्रतिशत कम करने के बाद इसे अन्य एककों को दिए जाने के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1994-95 में एच.बी.जे. पाइपलाइन से गैस की उपलब्धता के 1993-94 से समान ही होने की आशा है, जबकि नयी इकाइयों से अतिरिक्त मांग की जाएगी। इससे आपूर्तियों में यथानुपात कटौती की जरूरत उत्पन्न हुई है।

(ग) और (घ) 1994-95 में गड़ेपान और बबराला स्थित नयी उर्वरक इकाइयां 1.37 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक गैस प्राप्त करेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

4078. श्री रीता वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल छोटा-नागपुर, धनबाद और बीकारो क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के अपने मिशन में सफल नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है, न कि सामान्य क्षेत्रों को।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शरणार्थियों को मिलने वाले लाभ

4079. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री मोहन रावले :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1994 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "स्टेयिंग इन पंजाब, गेटिंग रिफ्यूजी बेनीफिट्स इन दिल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा पंजाब, कश्मीर और दिल्ली में शरणार्थियों पर माहवार कितना खर्चा किया जा रहा है, और

(घ) फर्जी शरणार्थियों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान, पंजाब के प्रवासियों पर लगभग 61.79 लाख रुपये प्रतिमाह और जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों पर लगभग 37.20 लाख रुपये प्रतिमाह व्यय किये गये ।

(घ) संदेहास्पद मामलों को सत्यापन के लिए पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है ।

प्रवासियों को नागरिकता

4080. **श्री राम कापसे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आने वाले हिन्दुओं को 1947 की पाकिस्तान शर्तों और बाद में हुए नेहरू-लियाकत अली समझौते के अनुसार अविलम्ब नागरिकता अधिकार दिए जाने थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इन लोगों को अभी तक नागरिकता प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डिस्पोजिबल सीरिज

4081. **श्री मोहन रावले :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्पोजिबल सीरिजों के बार-बार प्रयोग का प्रयोक्ताओं के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और देश के अन्य प्रमुख शहरों के विभिन्न बाजारों में पुनः पैक और प्रयोग की हुई डिस्पोजिबल सीरिजों का खुले आम व्यापार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दो वर्ष पहले भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ ने सरकार से डिस्पोजिबल सीरिज को खाद्य और औषधि अधिनियम के कार्य क्षेत्र में शामिल करने का अनुरोध किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, और

(च) पुनः प्रयोग की हुई डिस्पोजिबल सीरिजों के व्यापार को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) डिस्पोजिबल सीरिजों को दोबारा इस्तेमाल में लाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(ख) और (ग) इस प्रकार की रिपोर्टें समय-समय पर प्रकाशित होने वाले समाचार से ध्यान में आई है। सभी राज्य औषध नियंत्रकों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्रेक्टीशनर यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय बरतें कि प्रयोग करने के बाद डिस्पोजिबल सीरिजें तथा सूइयों प्रभावी ढंग से नष्ट कर दी जाएं। इसके अतिरिक्त सभी लाइसेंस धारकों को एक लेबल छापना होगा, जिसमें लिखा होगा "एक बार इस्तेमाल के बाद नष्ट कर दें" ताकि उस वस्तु के पुनः इस्तेमाल को रोका जा सके।

(घ) से (च) सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत (1) डिस्पोजिबल हाइपोडर्मिक सीरिजों (2) डिस्पोजिबल हाइपोडर्मिक सुइयों तथा (3) डिस्पोजिबल परफ्यूजन सेटों को 17-3-1989 से औषधों के रूप में पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

रोग नियंत्रण

4082. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में सरकार किन-किन रोगों की रोकथाम पर अधिक जोर देगी, और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सरकार मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, एड्स, दृष्टिहीनता, कैंसर और आयोडीन की कमी वाले रोगों सहित संचारी तथा गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन पर बल देना जारी रखेगी।

(ख) आवंटित धनराशि :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	1994-95 के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	110.00

1.	2	3
2.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	46.00
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	94.00
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	82.55
5.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	40.00
6.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	18.00
7.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	1.00

उप-केंद्रों को अनुदान

4083. श्री शांताराम घोटदुखे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत उप-केंद्रों के लिए अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सम्पूर्ण देश में उप-केंद्रों को स्वीकृत किए जाने वाले अनुदान की वर्तमान पद्धति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक उपकेन्द्र हेतु दी जाने वाली सहायता का पैटर्न इस प्रकार है :

	वार्षिक राशि
1. सहायक नर्स मिडवाइफ का वेतन	18000 रुपये
2. स्वैच्छिक कार्यकर्ता का वेतन	600 रुपये
3. आकस्मिकता	600 रुपये
4. मकान किर्ग	1000 रुपये
5. औषधियां	2000 रुपये
6. लेडी हैल्थ विजिटर का 1/6 वेतन	3330 रुपये
योग :	25530 रुपये

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

4084. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री राम पाल सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) कब से ये परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ग) कब तक इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायगी;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में चालू सिंचाई परियोजनाओं को अधिक वित्तीय सहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने संबंधी कोई व्यापक योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) से (छ) वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निरूपण, वित्त पोषण और क्रियान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा अपने योजनागत संसाधनों में से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों व अनुदानों के रूप में दी जाती है, जो किसी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क) परियोजनाएं, जिन पर सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयी कि टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाये।					
वृहद्					
1.	मोदाहा बांध	27,700	6682	3/90	राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करना है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण व वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	मेजा बांध को ऊंचा करना	17,880 (अतिरिक्त)	5218	3/92	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	जमानिया पम्प नहर क्षमता बढ़ाना	31,821 (अतिरिक्त)	3981.2	4/83	— वही —
4.	बोवरपोषक परियोजना	9,800	2781	9/88	— वही —

5.	बाणसागर नहर (अतिरिक्त)	1,50,132	33019 (बांध व समान्य कार्यों की अंश लागत सहित)	6/89	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
6.	राजघाट नहर परियोजना (अतिरिक्त)	1,38,660	12643	9/88	— वही —
मध्यम					
1.	हिन्दन कृष्णा-दोआब में चैनलों की व्यवस्था करना।	3,000	1553	4/93	राज्य सरकार को अपने वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
(ख) परियोजनाएं, जिन पर राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।					
1.	बुन्देलखण्ड व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना।	23,778 (अतिरिक्त)	5737	5/92	राज्य सरकार को नहर के डिजाइन पहलुओं को स्वीकृत कराना है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	जरौली पम्प नहर	46,450	2754	1/93	राज्य सरकार को मूल आयोजना पहलुओं सहित सिंचाई आयोजना को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत कराना है।
3.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	11,830	3033	10/93	राज्य सरकार को जल विज्ञान व सिंचाई आयोजना पहलुओं को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत कराना है।

1	2	3	4	5	6
4.	कन्हर सिंचाई	33,120	17427	2/94	राज्य सरकार को अन्तर्राज्यीय मुद्दों, जल विज्ञान व सिंचाई आयोजना पहलुओं को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत कराना है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण व वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

टिप्पणी : परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय आदि से स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

[हिन्दी]

भूजल स्तर

4085. श्री जंगबीर सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भूमिगत जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे हरियाणा विशेषकर दक्षिण हरियाणा कहां तक प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने राज्य में भूमिगत जल की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) देश में स्थानीय पाकेटों के भूजल स्तर में धीरे-धीरे गिरावट देखी गयी है।

(ख) हरियाणा के स्थानीय भागों में जनवरी, 1994 में किए गए प्रेक्षणों के अनुसार जनवरी, 1993 में किए गए इसी प्रकार के प्रेक्षणों की तुलना में भूजल के स्तर में 2 से 4 मीटर तथा 4 मीटर से अधिक गिरावट देखी गयी है। रिवाड़ी, गुड़गांव और फरीदाबाद दक्षिणी जिलों में भूजल के स्तर में 2 मीटर से कम गिरावट देखी गयी है, जबकि भिवानी जिले में भूजल स्तर में गिरावट 5 मीटर तक है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण और अन्वेषण के अनुसार हरियाणा के वार्षिक पुनर्भरणीय जल संसाधन 8523.58 मिलियन घन मीटर आंके गए हैं।

(ङ) प्रयोगिक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने मार्गनिर्देश तैयार किए हैं, ताकि राज्य सरकारें कृत्रिम पुनर्भरण योजनाएं तैयार कर सकें। कृत्रिम पुनर्भरण योजनाओं को तैयार करने के मार्गनिर्देशों वाले मैनुअल के प्रारूप को बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन

4086. डा. विश्वनाथम केनिथी :

डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री जगबीर सिंह :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली सुविधाओं तथा परिवार नियोजन न अपनाने वाले लोगों को जिन सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है, और

(ख) सरकार द्वारा देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) मजदूरी की हानि के एवज में मुआवजा देने के लिए इस समय केंद्र सरकार महिला नसबंदी/पुरुष नसबंदी के स्वीकारकर्ताओं को 100 रुपये नगद मुआवजा देती हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (निर्दिष्ट आयु सीमा के भीतर) जिनके एक, दो अथवा तीन बच्चे हैं और वे नसबंदी करवाते हैं, तो उन्हें वैयक्तिक वेतन के रूप में एक विशेष वेतन वृद्धि जिसे भविष्य में वेतन वृद्धि में शामिल नहीं किया जाएगा, पाने के भी हकदार हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य प्रोत्साहन इस प्रकार है :

- (i) ग्रह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर में आधा प्रतिशत की छूट, और
- (ii) पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी जिनके तीन से अधिक बच्चे न हों, को नसबंदी करवाने पर क्रमशः 7 और चौदह दिनों तक का विशेष आकस्मिक अवकाश।

इसके अलावा कोई निरुत्साहन नहीं है कि केंद्रीय सरकार की किसी महिला कर्मचारी को तीसरे अथवा इसके बाद के बच्चे के लिए कोई प्रसूति अवकाश नहीं दिया जाता है।

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्यों के प्रशासनों के परामर्श से परिणामोन्मुखी कार्य योजना तैयार की गई है। इसकी मुख्य विशेषताओं में सेवाओं की गुणवत्ता और दूर-दराज के क्षेत्रों की सेवा प्रदाय में सुधार करना, युवा आयु के दम्पतियों में बच्चों के जन्म में अंतर रखने के तरीकों को बढ़ावा देना, पिछड़े हुए 90 जिलों के जनांकिकी पैरामीटरों में सुधार करने के लिए उन पर विशेष ध्यान देना और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के साथ-साथ मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के उपायों को सुदृढ़ करना शामिल है।

अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग

4087. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. कोयला धोवनशालाओं के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने कोयला वाशरियों ने अवशिष्ट पदार्थों के प्रयोग के लिए पहले ही उपाय शुरू कर दिए हैं, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

- (i) दो ग्रहीत विद्युत संयंत्र प्रत्येक 2x10 मे.वा. क्षमता का तरलीकृत बेड कम्बयुशन के साथ (एफ.बी.सी.) बॉयलरों को मूनीडीह में स्थापित किया गया है। भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) एवं कथारा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) जहां वाशरियों के अवशिष्ट सामग्री को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। ये विद्युत संयंत्र चालू किए जाने से अंतिम चरण में हैं।
- (ii) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने तीन और गृहीत विद्युत उत्पादक यूनिटों को स्थापित करने की योजना बनाई है, जोकि प्रत्येक एफ.बी.सी. तकनीकी पर आधारित 10 मे.वा. क्षमता की होगी और ये गिड्डी राजरप्पा (से.को.लि.) और भोजपूडीह (भा.को.को.लि.) की वाशरियों से प्राप्त अवशिष्ट सामग्री का ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगी।

गुजरात में रसोई गैस कनेक्शन

4088. श्री चन्द्रभाई देशमुख :

श्री हरिन पाठक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2,50,000 नए रसोई गैस कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) और (ख) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से समय-समय पर एल.पी.जी. कनेक्शनों के आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। नए कनेक्शनों का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है। नए एल.पी.जी. कनेक्शन देश स्तर पर कुल नए ग्राहकों के पंजीकरण, राज्य में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उपलब्ध गुंजाइश, प्रतीक्षा सूची और उत्पाद उपलब्धता के आधार पर दिए जाते हैं। फिर भी यथासंभव अधिकाधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के सतत प्रयास जारी हैं। अपेक्षाकृत निम्नतर संख्या में पंजीकरण और कनेक्शन जारी किए जाने का मुख्य कारण इस उत्पाद की सीमित उपलब्धता है। इस प्रयोजन के लिए मौजूदा उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नए संयंत्र लगाकर और आयातों के माध्यम से आपूर्ति में बढ़ोत्तरी करके एल.पी.जी. की उच्चतर उपलब्धता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान

4089. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य से कितने स्वयंसेवी संगठनों ने 1993-94 के दौरान सहायता अनुदान की मांग की है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार प्रत्येक संगठन को कितना सहायता अनुदान दिया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम		ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार संख्या, जिन्होंने 1993-94 में सहायता अनुदान मांगा था	वर्ष 1993-94 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को राज्यवार सहायता अनुदान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	101	1,04,55,695
2.	असम	22	36,08,075
3.	बिहार	155	1,11,17,069
4.	मध्य प्रदेश	62	1,81,50,990
5.	महाराष्ट्र	116	1,81,59,390
6.	केरल	53	50,21,110
7.	कर्नाटक	54	1,31,63,090
8.	उड़ीसा	211	99,22,874
9.	तमिलनाडु	119	1,45,48,882
10.	उत्तर प्रदेश	273	2,74,71,596
11.	पश्चिम बंगाल	135	99,28,624
12.	दिल्ली	12	1,20,03,218
13.	हिमाचल प्रदेश	7	22,00,000
14.	हरियाणा	20	49,76,000
15.	मणिपुर	22	30,15,560
16.	राजस्थान	34	70,82,911

1	2	3	4
17.	गुजरात	13	63,82,652
18.	जम्मू व कश्मीर	2	10,00,000
19.	नागालैंड	3	50,000
20.	दादरा व नागर हवेली	1	10,000
21.	पांडिचेरी	1	25,000
22.	अरुणाचल प्रदेश	2	3,00,000
23.	पंजाब	7	24,63,300
24.	मेघालय	2	7,50,000
25.	त्रिपुरा	3	11,75,000
26.	चण्डीगढ़		18,31,750
27.	गोवा		1,00,000
28.	मिजोरम		50,000
29.	सिक्किम		75,000
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह		25,000
31.	दमन व दीव		50,000
32.	लक्षद्वीप		10,000

नोट : 1. मोतियाबिन्द आपरेशन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि धनराशि संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से रिलीज की जाती है।

2. जहां तक परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विशेष स्कीमों का संबंध है, सहायता अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को स्कीम के अनुसार रिलीज किया जाता है। इसलिए 1993-94 के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

गैस की आपूर्ति

4090. श्री सोमजी भाई दामोर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात बिजली बोर्ड और गुजरात सरकार "उट्रान" को गैस देने का खर्च स्वयं वहन करने के लिए तैयार है;

(ख) क्या गुजरात बिजली बोर्ड तथा गुजरात सरकार ने पहले ही यह वायदा किया है कि गन्धार से गैस उपलब्ध होने पर हजीरा से दी जाने वाली गैस को स्वयं ही बन्द कर दिया जायेगा;

(ग) क्या गुजरात बिजली बोर्ड और गुजरात सरकार द्वारा मांगी गयी गैस जलाई जा रही है;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग गैस पर आधारित "उद्गान" बिजली घर के लिए हजीरा से गैस की आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (ङ) गुजरात विद्युत बोर्ड, उत्तरान को 0.7 एम.एस.सी.एम.डी. की वचनबद्धता किसी हद तक अंकलेश्वर/गंधार क्षेत्रों से संपूर्णतया पूरी की जा रही है। फिलहाल हजीरा से गुजरात विद्युत बोर्ड, उत्तरान को आपूर्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

4091. श्री गुमान मल लोढा :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई और पीने के लिए जल प्राप्त करने हेतु अल्पकालीन और दीर्घकालीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं और आयोजनाओं को पारित करने में कोई अवरोध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं, और

(ङ) पश्चिमी राजस्थान के गांवों में विशेषतया मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्र में राज्य सरकारों से तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते वृहद एवं मध्यम सिंचाई और बहु प्रयोजनी, परियोजनाएं प्राप्त होती हैं। लघु सिंचाई योजनाओं को राज्यों द्वारा स्वयं ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। केन्द्र में वृहद एवं मध्यम सिंचाई और बहु प्रयोजनी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जल उपलब्धता में बाधाओं के कारण पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों में जल की कमी को पूर्णतया दूर करना संभव नहीं है। तथापि, राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों के गांवों में पेयजल समस्या को आठवीं योजना के अंत तक पर्याप्त रूप से हल करने की योजना है।

विवरण

केन्द्र में प्राप्त राजस्थान की नयी वृहद एवं मध्यम सिंचाई तथा
बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4

वृहद

1. विसालपुर पेय जल और सिंचाई 309.07 राज्य सरकार को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पहलुओं पर कल्याण मंत्रालय से तथा पर्यावरण एवं वन दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2. नर्मदा नहर 467.53 इस परियोजना को निवेश स्वीकृति के वास्ते योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

मध्यम

1. बेताली सिंचाई 13.07 राज्य सरकार को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्रदान करनी है तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्रस्तुत करनी है।
2. चौली सिंचाई 28.87 इस परियोजना को निवेश स्वीकृति के वास्ते योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है।

वृहद

1. इंदिरा गांधी नहर चरण-I 86.39 राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

मध्यम

1. बांदी सेन्द्रा 1.56 -वही-
2. सुकली सिंचाई 15.41 राज्य सरकार ने हाल ही में 2/94 में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना की है।

1	2	3	4
3.	चाकन सिंचाई	7.98	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी है।
4.	गम्भीरी आधुनिकीकरण	16.71	राज्य सरकार को परियोजना का अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना है।
5.	गरारदा सिंचाई	36.50	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है, तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
6.	पिपलाद सिंचाई	16.93	राज्य सरकार से हाल ही में 1/94 में अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
7.	ओतवारा लिफ्ट सिंचाई	9.00	यह परियोजना हाल ही में 12/93 प्राप्त हुई है।

टिप्पण : परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण और वन तथा कल्याण मंत्रालय आदि से स्वीकृति प्राप्त करती है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग लगना

4092. श्रीमती शीला गौतम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितनी कोयला खानों में आग लगी है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कुल कितने टन कोयले का नुकसान हुआ, और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में कोयला खानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा, जिनमें (1992 और 1993) के विगत दो वर्षों के दौरान आग लगने की सूचना मिली है तथा इसके साथ उत्पादन में हानि के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	खानों की संख्या जहां आग लगी है	उत्पादन की हानि (लाख टन में)
पश्चिम बंगाल	16	2.86
बिहार	2	0.70
उड़ीसा	2	0.30
मध्य प्रदेश	1	0.57
जोड़	21	4.43

कोयला खानों में आग का लगना स्वतः ज्वलनशील स्वरूप के कारण हैं, जोकि भारतीय कोयले की प्रकृति में निहित है। अतः खान की आगों से निपटा जा रहा है और इन पर नियमित आधार पर नियंत्रण रखा जाता है। भूमिगत खानों पर सभी पर्यवेक्षक कार्मिकों के भूमिगत निरीक्षणों को नियमित रूप से जांच करने, त्वरितता से आग का पता लगाए जाने और खान की आगों को नियंत्रित किए जाने के लिए तेज कर दिया गया है।

काला-आजार

4093. श्री दत्ता मेघे :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में काला-आजार के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके फलस्वरूप कितनी मौतें हुईं, और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग के फैलने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1992 के दौरान महाराष्ट्र में काला आजार के केवल एक रोगी का पता लगाया गया है। 1992 और 1993 के दौरान गुजरात में ऐसे किसी रोगी की सूचना नहीं मिली। इन राज्यों में काला आजार से होने वाली मौत की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ग) उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं : रोगियों का शुरु में पता लगाना और उपचार करना। कीटनाशकों के छिड़काव के जरिए वेक्टर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य शिक्षा।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

4094. श्री डी.डी. खनोरिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हिमाचल प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई के लिए 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितना धन आवंटित किया तथा 1994-95 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) हिमाचल प्रदेश में 49.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की शाह नहर नामक एक वृहद सिंचाई परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें 26,536 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है।

(ख) परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा अनुपालना करने, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दे शीघ्र हल करने तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

(ग) हिमाचल प्रदेश की राज्य योजना के अंतर्गत वृहद और मध्यम सिंचाई क्षेत्र के लिए वर्ष-वार व्यय/परिव्यय निम्न प्रकार है :

वर्ष	व्यय/परिव्यय (करोड़ रुपए)
1991-92 (व्यय)	2.76
1992-93 (व्यय)	2.32
1993-94 (परिव्यय)	2.69
1994-95 (प्रस्तावित परिव्यय)	2.74

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले की दुलाई

4095. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व सैनिकों को कोल इंडिया लि. के परिवहन और अन्य क्षेत्रों में कंपनीवार रोजगार दिया गया है;

(ख) क्या नियमानुसार सभी परिवहन ठेके भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. में कार्यरत कोयला दुलाई कंपनियों को कोयला क्षेत्र में कार्यरत माफिया को कमीशन देना पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनीवार कोयला परिवहन संविदाओं और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :

क्र.सं.	कंपनी	कोयला परिवहन संविदाओं में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक	अन्य क्षेत्रों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक
1.	ई.को.लि.	—	543
2.	भा.को.को.लि.	9	553
3.	से.को.लि.	19	3093
4.	सा.ई.को.लि.	515	33
5.	ना.को.लि.	—	237
6.	के.खा.भा.डि.सं.लि.	—	92
7.	वे.को.लि.	2	—
8.	म.को.लि.	508	270
9.	ना.ई.को.	—	4
10.	डी.सी.सी.	—	3

(ख) परिवहन संविदाएं, भूतपूर्व सैनिकों को तैयार किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों को तेल क्षेत्र दिया जाना

4096. श्री चित बसु :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक प्रमाणित तेल क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजी निवेश हेतु विदेशी कम्पनियों को पेशकश की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ और ऐसे तेल क्षेत्रों का चयन किया है, जिन्हें दूसरे दौर के निविदाओं के लिए नियत कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तेल उद्योग के निजीकरण हेतु अन्य कोई और प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) अगस्त, 1992 में सरकार ने 31 लघु तथा 12 मध्यम आकार के तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास में भाग लेने के लिए विदेशी और भारतीय कम्पनियों को आमंत्रित किया था।

(ग) और (घ) सरकार ने अक्तूबर, 1993 में 8 मध्यम तथा 33 लघु आकार के क्षेत्रों को द्वितीय चक्र के तहत निजी कम्पनियों द्वारा विकास हेतु प्रस्तावित कर दिया था।

(ङ) और (च) जनवरी, 1994 में प्रसारित बोली के सातवें दौर के तहत 45 ब्लाक तेल तथा गैस के अन्वेषण के संबंध में कम्पनियों को प्रस्तावित किए गए हैं। बोलियां प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 30 जून, 1994 है। निजी पार्टियों को टैंकेज, पाइपलाइनें, भरण संयंत्र, पत्तन सुविधाएं इत्यादि स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिन्हें तेल कम्पनियों को पट्टे पर दिया जा सकता है। निजी पार्टियां असरणीबद्ध पेट्रोलियम उत्पादों के आयात एवं विपणन संबंधी क्रियाकलापों को भी कर रही हैं। निजी क्षेत्र की पांच कम्पनियों को रिफाइनरियां स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिए गए हैं तथा निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम के तहत चार रिफाइनरियां कार्यान्वयन के विविध स्तरों पर हैं।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति

4097. श्री बलराज पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति हेतु कोई पृथक योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुमाऊं विकास निगम ने केन्द्रीय सरकार को इस क्षेत्र में गैस गोदाम के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एल.पी.जी. विपणन कंपनियों को पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची को निम्नानुसार निपटाने हेतु अनुदेश दिए गए हैं :

(1) वर्ष 1993-94 के दौरान 4500 फुट और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र की संपूर्ण प्रतीक्षा सूची (1-4-93 के अनुसार) और

(2) 2000 फुट से 4499 फुट तक के क्षेत्रों में प्रतीक्षासूची (1-4-93 के अनुसार) का 50 प्रतिशत 1993-94 के दौरान तथा शेष 50 प्रतिशत 1994-95 के दौरान।

(ग) और (घ) कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कुमाऊं क्षेत्र में और अधिक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा विस्तार बिन्दु आबंटित करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज में प्रवेश

4098. श्रीमती भावना बिखलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से मेडिकल कालेज हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों, पुत्रियों, पौत्रों/पौत्रियों के प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित है;

(ख) प्रत्येक कालेज में ऐसे व्यक्तियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है;

(ग) ऐसे कालेजों में प्रवेश के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं, और

(घ) 1993-94 के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कितने पुत्रों, पुत्रियों और पौत्रों को प्रवेश दिया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने मेडिकल कालेजों में स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों, पुत्रियों और पौत्रों/पौत्रियों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में नकली कलाकृतियों की बिक्री

4099. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ बाजारों में गाय तथा भैसों की हड्डियों से बनी नकली हस्तितंत कलाकृतियों की बिक्री करके लोगों को ठगा जा रहा है, जैसा कि 10 फरवरी, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है;

(ङ) ऐसी कलाकृतियों के निर्माण में लगी फैक्ट्रियां दिल्ली में किन-किन स्थानों पर स्थित हैं, और

(च) इन फैक्ट्रियों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में ऐसा कोई कारखाना उनके ध्यान में नहीं आया है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4100. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक और अन्य विदेशी संगठनों ने कितनी धनराशि प्रदान की है, और

(ख) इन राज्यों की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

राष्ट्रीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. धुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संगठनों द्वारा प्रदान की गयी निधियां और इन राज्यों की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की विद्यमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

(आंकड़े मिलियन)

क्रम सं.	दाता मुद्रा	करार की तारीख	क्रेडिट समाप्त होने की तारीख	कुल सहायता	के दौरान वितरण			निर्माणाधीन परियोजना का 28-2-94 तक संचयी वितरण	
					1990-91	91-92	92-93		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1. महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई-III परियोजना	अमेरिकी डालर	5-12-85	31-12-96	224.22	11.37	15.25	6.39	74.20
2. सरदार सरोवर जल वितरण एवं जल विकास परियोजना	अमेरिकी डालर	10-5-85	1-7-92	197.60	61.87	67.15	27.57	ऋण समाप्त
3. सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना	अमेरिकी डालर	10-5-85	30-6-95	336.15	31.60	46.60	46.12	*
4. गुजरात मध्यम सिंचाई-II परियोजना	अमेरिकी डालर	26-8-84	31-3-94	203.88	27.63	21.55	16.69	ऋण समाप्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना	अमेरिकी खलर	30-6-83	31-8-91	39.65	4.35	1.78	-	ऋण समाप्त
ख. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिकरण (यू. एस. ए. आई. डी.) से सहायता प्राप्त परियोजनाएं									
1.	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	अमेरिकी खलर	31-7-84	31-8-92	30.09	2.61	10.25	7.12	ऋण समाप्त
2.	महाराष्ट्र श्री जल संसाधन प्रबंध प्रशिक्षण परियोजना में एक भागीदार राज्य था।								
ग. यूरोपियन आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त परियोजनाएं									
1.	फसलों के विक्रीकरण के लिए महाराष्ट्र जल नियंत्रण प्रणाली	ई.सी.यू.	25-10-88	31-12-94	15.00	0.54	0.52	0.53	2.11
2.	लवणीय मृमि पुनरुद्धार परियोजना फेज-1	ई.सी.यू.	22-8-84	30-6-93	20.00	2.79	0.32	0.17	ऋण समाप्त

फ्रांस द्वारा सहायता प्रदान की गयी परियोजनाएं

1. मजलगांव सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र पर सिंचाई प्रणाली के गतिक विनियमन पर प्रायोगिक परियोजना)	फ्रेंच फ्रैंक 30-11-92	30-11-95	7.30
2. अहमदाबाद क्षेत्र (गुजरात) में बेकार जल के पुनः चक्रण के अध्ययन पर प्रायोगिक परियोजना	फ्रेंच फ्रैंक 20-3-92	20-3-95	4.47
3. गुजरात में वनकबोरी वीयर के स्तर को बढ़ाने के लिए हाइड्रोपल्स प्रणाली	फ्रेंच फ्रैंक 20-12-92	शुरू होने की तारीख से एक वर्ष	7.30

वितरण अभी किया जाना है।

*भारत सरकार ने 29-3-1993 से सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना को विश्व बैंक वित्त पोषण से अलग कर दिया है।

ई.सी.यू. - यूरोपीय मुद्रा यूनित

[अनुवाद]

सरदार सरोवर पावर हाउस हेतु जापानी सहायता

4101. श्री हरिन पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री 9 दिसंबर, 1993 अतारांकित प्रश्न संख्या 1264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के "रीवर बैंड पावर हाउस" के लिए टर्बो जेनरेटिंग सेट्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए जापानी सहायता की दूसरी किस्त प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) ओवरसीज इकोनोमिक को-आपरेशन फंड द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के लिए टरबो जेनरेटिंग सेटों के निर्माण और आपूर्ति के वास्ते ऋण की दूसरी किस्त अभी तक निर्मुक्त नहीं की गयी है। उन्होंने इसके कोई कारण भी नहीं बताये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में भूमि जल संसाधन

4102. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमि जल संसाधनों का आंकलन करने के लिए केंद्रीय सरकार ने कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व निष्कर्ष क्या है, और

(ग) उक्त अध्ययन में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण और अन्वेषण के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के सूखा प्रवण जिलों अर्थात् अनन्तपुर, चित्तूर, कडप्पा, करनूल, नलगोंडा, महबूबनगर, प्रकाशम, रंगारेड्डी के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 11302.35 मिलियन घन मीटर आंके गए हैं।

पुल के निर्माणार्थ धनराशि

4103. श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में पुलों के निर्माणार्थ कोई धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में पुलों के निर्माणार्थ अब तक कितनी धनराशि खर्च की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ओ.एन.जी.सी. आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न छोटे पुलों और पुलियों के निर्माण, उनके सुदृढ़ीकरण और मरम्मत पर अब तक 73.77 लाख रुपये खर्च कर चुका है। वशिष्ठ नदी पर एक सड़क पुल के निर्माण के लिए अपने हिस्से के रूप में 6 करोड़ रुपये का अंशदान करने के लिए भी ओ.एन.जी.सी. सहमत हो गया है। ओ.एन.जी.सी. ने इस राशि में से 2 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार को कर दिया है तथा शेष राशि पुल के निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जानी है।

सिंचाई परियोजनाएं

4104. **श्री बी.एन. रेड्डी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्षवार स्वीकृत की गई बड़ी और मंझौली सिंचाई परियोजनाओं का, राज्यवार, अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है, और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) 1-4-91 से 31-3-94 की अवधि के दौरान निवेश स्वीकृति दी गयी नई वृहद, मध्यम और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1-4-1991 से 31-3-1994 की अवधि के दौरान निवेश स्वीकृति दी गयी नई वृहद, मध्यम बहु-उद्देशीय परियोजनाओं का व्यौरा
(लाख रुपये)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम	राज्य	लागत	3/92 तक व्यय	आठवीं योजना परियध्य
1	2	3	4	5	6	7
1991-92						
1.	दांतिवावाड़ा सिंचाई का आधुनिकीकरण	वृहद	गुजरात	3488	3901.61	142
2.	भादर सिंचाई का आधुनिकीकरण	वृहद	गुजरात	1860	1885.34	150
3.	फतेहवाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	वृहद	गुजरात	2477	2630.91	240
4.	खारीकुट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	वृहद	गुजरात	810	686.82	39
5.	शेतरंजी सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	वृहद	गुजरात	2668	2058.69	800
6.	पंढकोरी	मध्यम	बिहार	955	444.00	1063
7.	दैरवा	मध्यम	बिहार	2019	1007.50	1600
8.	वतरक	वृहद	गुजरात	4371	5050.31	768

1992-93

9.	ज्ञानपुर पम्प हाउस	वृहद	उत्तर प्रदेश	11051	5552.00	5430
10.	केशो जलाशय योजना	मध्यम	बिहार	1614	449.00	1262
11.	जायमण्ड आधुनिकीकरण	वृहद	राजस्थान	1240	249.29	3010
12.	मान सिंचाई	वृहद	मध्य प्रदेश	44100	3227.00	2500
13.	दोलई थाबी बराज	मध्यम	मणिपुर	1886	-	1886
14.	देव सिंचाई	मध्यम	उड़ीसा	5223	129.31	5000
15.	पथरई बांध	मध्यम	उत्तर प्रदेश	1254	465.00	832
16.	अपर गंगा नहर फेज-1 का आधुनिकीकरण	वृहद	उत्तर प्रदेश	46776	28720.00	28700
17.	करन्ज सिंचाई	वृहद	कर्नाटक	9800	7806	4200
18.	देवगढ़ सिंचाई योजना	मध्यम	महाराष्ट्र	2464	417.00	2000
19.	अनइमछयु जलाशय	मध्यम	तमिलनाडु	1146	1146.09	परियोजना पूर्ण
20.	उबैन	मध्यम	गुजरात	1249	1298.55	20
21.	मेनीथोरा	वृहद	कर्नाटक	7325	2264.00	4000
22.	येराकलवा	मध्यम	आन्ध्र प्रदेश	4652	2036.00	1600
23.	मादीलेरु	मध्यम	- वही -	2856	40.00	800
24.	कोलासनाला	मध्यम	- वही -	2049	413.00	800

1	2	3	4	5	6	7
	1993-94					
25.	मुक्तेश्वर	मध्यम	गुजरात	1937	1581.24	522
26.	बुगावंका	मध्यम	आन्ध्र प्रदेश	2596	608.00	1200
27.	नराज बैरेज	वृहद	उड़ीसा	12574	-	8000
28.	तितलागढ़ सिंचाई	मध्यम	उड़ीसा	2113	11.48	1020
29.	पंजाब की नहर प्रणाली में नहर नियामक संरचनाओं की पुनर्स्थापना एवं सुधार	वृहद	पंजाब	3449	-	2304
30.	पंजाब सिंचाई-II जल मार्गों का पक्का करना	वृहद	पंजाब	11747	-	8424
31.	वनकावाडी बेयर पर हाइड्रोप्लस फ्यूज द्वारों की व्यवस्था	वृहद	गुजरात	858	-	-
32.	उकई ककरापार का आधुनिकीकरण	वृहद	गुजरात	6012	5638.60	895

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं

4105. श्री रामपाल सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गयी कल्याणकारी योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी योजनाओं को स्वीकृति दे दी गयी है और कितनी धनराशि प्रदान की गयी है, और

(ग) योजना के लिये स्वीकृत शेष धनराशि कब तक दे दी जायेगी?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान 13 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन 13 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 8037.57 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

अत्याचारों को रोकने के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

4106. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि पूर्ण शक्तियों के अभाव में वह दलितों पर अत्याचारों को रोकने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/जनजाति पर अत्याचारों को रोकने के लिये उसे पूरे अधिकार देने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से पता लगाने पर यह पाया गया कि आयोग ने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि अत्याचार रोकना इसके कार्यों में नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

धार्मिक स्थान

4107. श्री दिलीप भाई संधाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में क्षतिग्रस्त किये गए धार्मिक स्थानों की मरम्मत के संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार की विद्यमान नीति के अधीन, पूजा स्थलों सहित अचल सम्पत्ति को हुए नुकसान के मामलों में मरम्मत इत्यादि करवाने के लिए क्षति 50 प्रतिशत मुआवजे के रूप के दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण

4108. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण के सभी सरकारी निर्देशों को कार्यान्वित किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) निगम द्वारा सरकार के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भर्ती/प्रोन्नति हेतु आरक्षण पर सरकार के निर्देशों को क्रियान्वित करता रहा है, तथापि कोटे में बकाया होने पर, यदि कोई हो, तो इसे विशेष भर्ती अभियान चलाकर, समाप्त किया जाता है। 31-12-93 की स्थिति के अनुसार कुल 10,786 कर्मचारियों में से 1966 कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा 784 अनुसूचित जनजाति के थे, जिसके प्रति 2 अनुसूचित जाति तथा 10 अनुसूचित जनजाति का बकाया था। सरकार के निर्देश के अनुसार 8-9-93 की प्रभावी तिथि से अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी कारपोरेशन द्वारा उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

4109. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में फैल रही संक्रमण की बीमारियों की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार ने कुष्ठ और क्षयरोग नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश राज्य के कुल आवंटन में वृद्धि की है। इसमें से कुल आवंटन का क्रमशः 23 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत 1993-94 के दौरान राज्य की आदिवासी उप-योजना के लिए निर्धारित किया गया था। 1994-95 के आवंटन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जनजाति निगम

4110. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा जनजातिय निगमों की स्थापना की गई है और इन्हें सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) इन निगमों द्वारा इन लोगों के उत्थान हेतु कितनी राशि का ऋण वितरित किया जा रहा है, और

(ग) गत एक वर्ष के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक टीके

4111. **डा. राजगोपालन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुरुषों के लिए किसी गर्भनिरोधक टीके को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इसका वाणिज्यिक प्रयोग कब से शुरू हो जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और औषध नियंत्रक, भारत ने पुरुषों में शुक्राणु ले जाने वाली नलिका के संशोधन के लिए चरण-I नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है, जिनका परीक्षण किया जा चुका है और चरण-II नैदानिक परीक्षण की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

(i) इन्जेक्शन डी.एम.पी.ए. और टेस्टेस्टेरोन इनेन्थैटा का परीक्षण शुरू किया जायेगा।

(ii) 3 केन्द्रों में एण्टी-एफ.एस.एच. वैक्सीन से चरण-I नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) संचरण-I नैदानिक परीक्षणों के परिणामों के अनुसार यह पाया गया है कि पुरुषों में शुक्राणु ले जाने वाली नलिका का संशोधन एक सुरक्षित प्रक्रिया है और कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आया है।

(ड) यह बात किये जा रहे नैदानिक परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

पुलिस का आधुनिकीकरण

4112. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लंबित है, और

(ग) इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

मुम्बई अपतट क्षेत्र का विकास

4113. श्री महेश कन्नोडिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मुम्बई अपतट क्षेत्र के विकास के संबंध में संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आई है, और

(घ) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से, (घ) मुम्बई अपतट में अनेक क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाएं समय-समय पर अनुमोदित की गई हैं। हाल ही में सरकार ने 542.32 करोड़ रुपये की लागत पर एस-1 सैंड क्षेत्र तथा 452.54 करोड़ रुपये की लागत पर दक्षिण हीरा फेज-2 के विकास के लिए ओ.एन.जी.सी. की परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जबकि एस-1 सैंड परियोजना को करीब दो वर्षों में पूरा किया जाएगा, दक्षिण हीरा चरण-2 को पूरा करने में करीब तीन वर्षों का समय लगेगा।

[अनुवाद]

कावेरी नदी जल विवाद

4114. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर इन राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस मुद्दे के हल के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) केरल और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के अलावा कर्नाटक तथा तमिलनाडु कावेरी नदी जल का उपयोग करने के वास्ते मुख्य पार्टी हैं। कावेरी जल का उपयोग और विकास पूर्व शाही राज्य मैसूर तथा मद्रास प्रांत के बीच हुए 1892 और 1924 के करारों द्वारा विनियमित होता था। 50 वर्षों के समाप्त होने पर प्राप्त किए गए अनुभवों और सिंचाई आदि के विस्तार की और संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 1924 के करार की कुछ धाराओं की पुनरीक्षा करने की व्यवस्था की गयी थी। आरोप लगाते हुए कि वर्ष 1924 के करार का उल्लंघन हो रहा है तथा कर्नाटक तमिलनाडु के विद्यमान अयाकट को उसके जल के अधिकृत हिस्से से वंचित कर रहा है, तमिलनाडु सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा-3 के अन्तर्गत अधिकरण गठित करने के वास्ते जुलाई, 1986 में औपचारिक अनुरोध किया था।

इस बात से स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद कि यह विवाद बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता है, भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण गठित कर दिया तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को अधिनिर्णय के वास्ते उसे भेज दिया।

विवाद से संबंधित पक्षों ने अधिकरण के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत किए। इसी दौरान तमिलनाडु और पांडिचेरी की सिविल विविध याचिकाओं को सुनने के बाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 को आदेश दिया, जिसमें तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को अंतरिम राहत प्रदान की गयी। इसके परिणामस्वरूप आदेश और इसके शामिल मुद्दों के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकट किए गए विचार को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा-6 के अनुसार 10-12-1991 को राजपत्र में अधिकरण के निर्णय को प्रकाशित कर दिया, जो पक्षकार राज्यों पर अंतिम और बाध्य हो गया। राज्य सरकारों को इस निर्णय को लागू करना है।

केरल को मिट्टी के तेल का आवंटन

4115. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से पारम्परिक मछुवारों के लिए मिट्टी के तेल का पर्याप्त आवंटन करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिमाह कितने तेल की मांग की गयी है और सरकार द्वारा प्रतिमाह कितना तेल आवंटित किया गया है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मांग के अनुरूप मिट्टी के तेल का आवंटन करने का निर्णय लिया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों हेतु केरल राज्य के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है। केरल राज्य के लिए किए गए केरोसीन के कुछ आवंटन में से राज्य सरकार द्वारा मछुआरों की जरूरत को पूरा किया जाता है। वर्ष 1993-94 के दौरान केरल राज्य के लिए आवंटित केरोसिन की कुल मात्रा 267270 मी. टन है।

केरोसीन एक कमी वाला उत्पाद है तथा हमारी जरूरत का 40 प्रतिशत से अधिक आयातों द्वारा पूरा होता है। देश में केरोसीन की सीमित उपलब्धता, विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाई तथा निहित भारी आर्थिक सहायता के कारण राज्यों की पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। तथापि, अब केरोसीन का समानांतर विपणन योजना के तहत बाजार मूल्य पर बिक्री हेतु आयात किया जा सकता है।

"ट्रौमा केयर सेंटर"

4116. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1994 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "ओवर 6 लाख डाइ इन मिसहेप्स इन ए ईयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के प्रत्येक बड़े अस्पताल में अभिघात देखभाल केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रमुख अस्पताल दुर्घटनाग्रस्त रोगियों सहित सभी आपाती रोगियों के उपचार के लिए सज्जित हैं। केन्द्रीयकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवा (केट्स) योजना दिल्ली में चल रही है और यह दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को आपाती अस्पताली परिचर्या प्रदान करने हेतु ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही है। दिल्ली के लिए एक दुर्घटना एवं अभिघात परिचर्या परिसर स्थापित करने की परियोजना भी बनाई गई है।

प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान

4117. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपचार सुविधाएं स्थापित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । भारत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा का संवर्धन करती है तथा इस कार्य में लगे संगठनों की राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान तथा केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों के जरिए सहायता भी करती है ।

सिंगरेनी खानें

4118. श्री जे. चोक्का राव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में सिंगरेनी खानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सिंगरेनी खानों से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति की गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) ने वर्ष 1992-93 के दौरान किए गए 22.51 मि. टन के उत्पादन स्तर से आठवीं योजना (1996-97) के अन्तिम वर्ष तक लगभग 28.3 मि. टन तक कोयले का उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए एक योजना निष्पादित की है ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिं.को.कं.लि. ने तिमाही संयोजनाओं के विभिन्न संतोषप्रद स्तरों के आधार पर विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति की है । संतोषप्रदता-स्तर 1991-92 में 78.35%, 1992-93 में 92.2% और 1993-94 में 97% था । वर्ष 1991-92 में संतोषप्रदता में कमी मुख्यतः सिं.को.कं.लि. में कम उत्पादन होने के कारण थी । सिं.को.कं.लि. में अब उत्पादन में वृद्धि होने लगी है और मांग संतोषप्रदता में भी 97% तक का सुधार हुआ है ।

[हिन्दी]

जनजातीय विकास विभाग

4119. श्री भेरू लाल मीणा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में जनजातीय विकास विभाग के आयुक्त के कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) शेष राज्यों में, यदि कोई हो, तो ऐसे कार्यालयों के कार्य न करने के क्या कारण हैं, और

(ग) 1992-93 के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उपलब्ध की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) और (ख) सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आयुक्त के कार्यालय को चलाने के लिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कल्याण मंत्रालय द्वारा निधि प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

जनगणना कर्मचारी

4120. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की जनगणना के लिए नियुक्त किये गये कई युवा यह कार्य पूरा हो जाने के पश्चात बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 1991 की जनगणना की सारणियों के आंकड़ों के मैन्युअल आम तौर पर सारणीकरण और उनके संसाधन के समयबद्ध अल्पकालिक कार्य के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ 35 वर्ष तथा उससे कम आयु के लगभग 18,400 व्यक्तियों को लगाया गया था। उनकी नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर उन्हें कार्य से हटा दिया गया है।

(ख) राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने उनको वैकल्पिक रोजगार देने के लिए कुछ रियायतें और छूट दिए जाने से संबंधित अनुदेश जारी किए हैं, इनमें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट देना, पदों की कुछ श्रेणियों के संबंध में रोजगार केन्द्र द्वारा प्रायोजित किए जाने की शर्त में छूट दिया जाना, जनगणना संगठन में सृजित होने वाले समूह "ग" पदों की रिक्तियों पर उन्हें खपाने के लिए कुछ समय तक उन्हें रोजगार केन्द्र से पुनः प्रायोजित किए जाने की आवश्यकता से छूट का दिया जाना तथा जनगणना

संगठन में रोजगार पाने के लिए 8000 'की' डिप्रेसन प्रति घंटा की मौजूदा अनिवार्य अर्हता को घटाकर 6000 'की' डिप्रेसन प्रति घंटा तक की छूट का दिया जाना शामिल है। राज्य सरकारों से भी राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में उनको इसी प्रकार की छूट देने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

23 मार्च, 1992 तक

क्रम सं.	जनगणना निदेशालय का नाम	मंजूर किए गए पदों की कुल संख्या	35 वर्ष की आयु से कम उमर के विद्यमान कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3355	461
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	37
3.	असम	1306	605
4.	बिहार	4512	3362
5.	गोवा	85	36
6.	गुजरात	2158	38
7.	हरियाणा	857	544
8.	हिमाचल प्रदेश	332	126
9.	कर्नाटक	2371	523
10.	केरल	1578	1131
11.	मध्य प्रदेश	3355	1964
12.	महाराष्ट्र	3934	2435
13.	मणिपुर	134	105
14.	मेघालय	109	781
15.	मिजोरम	55	55
16.	नागालैंड	69	61
17.	उड़ीसा	1641	755

1	2	3	4
18.	पंजाब	1034	433
19.	राजस्थान	2431	112
20.	सिक्किम	32	—
21.	तमिलनाडु	2946	2682
22.	त्रिपुरा	170	146
23.	उत्तर प्रदेश	7818	2084
24.	पश्चिम बंगाल	3443	—
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	18	17
26.	चंडीगढ़	54	1
27.	दिल्ली	645	532
28.	लक्षद्वीप	6	2
29.	पांडिचेरी	50	49
कुल योग		44550	18377

[अनुवाद]

डाक्टरों द्वारा हड़ताल

4121. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना बिखलिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन डाक्टरों ने क्या मांगें रखीं, और

(ग) इन मामलों को हल करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

4122. श्री सांदीपन भगवान :

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के विस्तार के लिए विदेशों से सहायता मिल रही है/मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस देश अथवा एजेंसी का नाम क्या है, जिसने सहायता दी है अथवा जो सहायता देगी;

(ग) विदेशों में प्राप्त सहायता का किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपयोग किया गया है/किये जाने के प्रस्ताव हैं, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी सहायता के उपयोग किये जाने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए प्राप्त विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये में)

अभिकरण का नाम	वर्ष		
	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
विश्व बैंक	86.81	162.17	178.58
नोराड	11.92	10.28	2.30
डेनिडा	11.43	6.80	4.00
विश्व स्वास्थ्य संगठन	4.23	4.95	5.70
यूनिसेफ	27.04	30.83	35.35

1	2	3	4
यू.एन.एफ.पी.ए.	28.78	32.14	32.90
ओ.डी.ए.(यू.के.)	5.96	1.91	9.05
यू.एस.एड.	52.61	9.92	9.61
कुल	228.78	259.00	277.49

टिप्पणी : ये आंकड़े धन देने वाले विदेशी अभिकरणों से वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त धन को दर्शाते हैं।

विवरण-II

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग
(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष		
	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7.03	5.05	7.45
अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.05	0.12
असम	1.28	2.06	1.75
बिहार	4.90	7.82	5.08
गोवा	0.04	0.05	0.02
गुजरात	4.62	9.17	5.86
हरियाणा	2.20	6.82	10.38
हिमाचल प्रदेश	9.63	6.36	9.14
जम्मू और कश्मीर	4.23	3.77	3.37
कर्नाटक	6.02	2.17	2.52
केरल	1.08	1.34	1.60

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	7.93	8.01	9.47
महाराष्ट्र	12.63	12.36	14.51
मणिपुर	0.07	0.10	0.06
मेघालय	0.06	0.13	0.16
मिजोरम	0.04	0.07	0.07
नागालैंड	0.05	0.05	0.07
उड़ीसा	10.51	4.17	3.32
पंजाब	3.02	8.51	7.28
राजस्थान	8.86	5.08	7.46
सिक्किम	0.04	0.04	0.05
तमलिनाडु	6.81	13.60	16.33
त्रिपुरा	0.12	0.11	0.11
उत्तर प्रदेश	15.38	12.98	12.19
पश्चिम बंगाल	13.82	14.78	9.63
अण्डमान और निकोबार	0.01	0.07	0.04
चंडीगढ़	0.02	0.01	0.03
दादरा और नागर हवेली	—	0.01	0.02
दिल्ली	0.25	0.16	0.26
दमण और दीव	—	0.03	0.13
लक्षद्वीप	—	0.02	0.01
पांडिचेरी	0.02	0.17	0.05
कुल	120.70	125.12	128.54

टिप्पणी : ये योग निम्नलिखित कारणों से विवरण-I में दिए गए योगों से मेल नहीं खाएंगे।

- (1) विवरण-II में दर्शाए गए वित्तीय सहायता के व्ययों तथा विवरण-I में दर्शाए गए विदेशी धनदाता अभिकरण द्वारा अगली प्रतिपूर्ति के मध्य समय का अंतर है।
- (2) विवरण-II में ऐसी वित्तीय सहायता शामिल नहीं है, जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार हिस्से विभिन्न कारणों से अलग-अलग देना सम्भव नहीं है।

कल्याण निधि का उपयोग

4123. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री के. प्रधानी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए दी गई धनराशि का कथित दुरुपयोग किये जाने अथवा इसका अन्यत्र उपयोग किये जाने के संबंध में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो संबद्ध राज्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) : (क) जहां तक अनुसूचित जनजाति विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं तथा समाज रक्षा के अंतर्गत योजनाओं का संबंध है, राज्य स्तर पर निधियों के दूर्विनियोग या विचलन के बारे में कोई सूचना नहीं है। जहां तक अनुसूचित जाति के कल्याण की योजनाओं का संबंध है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपेक्षित सूचना के लिए लिखा गया था। इसके प्रत्युत्तर में अब तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, दिल्ली, दमण तथा दीव, मेघालय तथा लक्षद्वीप ने निधियों का कोई विलन अथवा दूर्विनियोग से इंकार का जवाब दिया है।

(ख) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित निधियां उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएं, जिसके लिए वे अभिप्रेत हैं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप-योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण के लिए परिय्य हेतु अलग से बजट शीर्ष खोलने की सलाह दी गई है, राज्यों को केन्द्रीय अनुदान निर्मुक्त करने के आदेशों में भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

मेडिकल और डेंटल कालेज

4124. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी मेडिकल और डेंटल कालेजों ने 1993 के दौरान प्रवेश के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी है;

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद तथा भारतीय दन्त्य परिषद ने सूचित किया है कि कुछ निजी चिकित्सा/दन्त्य कालेजों ने वर्ष 1993 के दौरान एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 में यह व्यवस्था है कि जहां मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं प्रदान करने वाला प्राधिकरण अथवा संस्थान केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अध्ययन अथवा प्रशिक्षण में (जिसमें अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल है) अपनी प्रवेश क्षमता को बढ़ाता है तो अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसे प्राधिकरण अथवा संस्थान के किसी छात्र को दी गई चिकित्सा अर्हता को चिकित्सा अर्हता नहीं माना जाएगा। दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 में दन्त्य पाठ्यक्रमों के संबंध में ऐसा ही प्रावधान है।

निराश्रित बच्चों के लिए ग्राम

4125. **प्रो. एम. कामसन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में निराश्रित बच्चों के लिए ग्रामों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार उनके कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या इन ग्रामों में बच्चों के प्रवेश हेतु कुछ औपचारिकताएं और मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन ग्रामों में बच्चों को क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के कुछ अन्य भागों में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे कुछ और ग्रामों की स्थापना करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालु) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए वार्ता

4126. **श्री पी.सी. थामस :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने पाइपलाइन के जरिये गैस की सप्लाई के लिए भारत के साथ ठेका किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं, और

(ग) क्या इससे दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना शीघ्र चालू हो जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) दीर्घावधिक गैस आपूर्ति निविदा की शर्तों पर ओमान आयल कम्पनी के साथ वार्ता चल रही है। आयातित गैस के उपलब्ध होते ही दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना में तेजी लायी जाएगी।

[हिन्दी]

केरल में रसोई गैस की एजेंसियां

4127. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां कार्यरत हैं, और

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य में ऐसी एजेंसियों के आबंटन हेतु क्या योजना बनायी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार केरल में 172 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत थीं।

(ख) पूर्ववर्ती विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा 1992-94 की एल.पी.जी. विपणन योजना में केरल के लिए 14 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने में विज्ञापन की तारीख से लेकर लगभग एक-दो वर्ष का समय लग जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

हैदराबाद स्वतंत्रता सेनानी

4128. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के समतुल्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं कब से प्रदान की जा रही हैं, और

(ग) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) हैदराबाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों को, उस तारीख से अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के समान सुविधाएं दी जाती हैं, जब से उन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन दी जाती है। हैदराबाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जिन्हें पेंशन दी गयी है उन व्यक्तियों के बारे में पृथक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मंदबुद्धि बच्चों के लिए स्कूल

4129. श्रीमती सरोज दुबे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मंदबुद्धि बच्चों के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने स्कूल हैं;

(ख) क्या इन स्कूलों को दी जा रही वित्तीय सहायता में समय-समय पर वृद्धि की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) विवरण के रूप में एक सूची संलग्न है।

(ख) जी, हां। विवरण में एक सूची संलग्न है।

(ग) विवरण की सूची में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के आंकड़े हैं।

(घ) उक्त (ख) तथा (ग) को मददेनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1993-94 के लिए स्वैच्छिक संगठनों को मानसिक रूप से मंदों के लिए स्कूल/केन्द्र चलाने में समर्थ बनाने हेतु निर्मुक्त किया गया सहायतानुदान दर्शाने वाली सूची 1993-94

क्रम सं.	स्कूल/राज्य का नाम	1992-93 के दौरान संस्वीकृत राशि	1993-94
1	2	3	4

आंध्र प्रदेश

1.	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकेप्ड, हैदराबाद	39.67	44.41
2.	शांतिनिकेतन इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रेन, हैदराबाद	2.56	2.62
3.	चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद	5.42	4.61
4.	मानसिक विकाशु मेंडियम, विजयनंदा	26.15	41.82
5.	पमेनार, सिकन्दराबाद	4.78	5.30

1	2	3	4
6.	स्मीकार रिहेबिलिटेशन इंस्टिट्यूट फॉर हैंडीकेप्ड उपकार सरड, पॉकेट, सिकन्दराबाद	11.30	16.47
7.	करीमनगर जिला फ्रीडम फिफतर ट्रस्ट, करीमनगर	0.51	0.69
8.	पवनदीप, 6-5-685, पिक हाऊस, गोसामहल हैदराबाद-500012	—	0.15
9.	हरुण स्पेशल सेंटर, हैदराबाद	2.90	3.11
10.	आन्ध्र महिला सभा, ट्रस्ट, हैदराबाद	3.55	2.98
11.	श्रीमती मेरला रामाम्मा मेमोरियल ट्रस्ट कृष्णा जिला	2.89	5.45
12.	लोबंसनाइफ स्पेशल स्कूल फॉर दि मेंटली हैंडीकेप्ड, विशाखापट्टनम	6.11	6.28
13.	आंध्र प्रदेश एसोसिएशन फॉर दि वेल्फेयर ऑफ एम.आर. हैदराबाद	1.29	0.65
14.	रॉयलसीमा सेवा समिति, तिरुपति	7.13	7.29
	असम		
1.	शिशु सरोथी, स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ असम, गुवाहाटी	1.11	0.51
	बिहार		
1.	होम फॉर मेंटल रिटारडेड एंड साइकोलॉजिकल सफरर्स, पटना	5.43	5.43
2.	ग्रामीण विकास संस्थान, कोरमातु, गया	3.33	2.73
3.	बिहार स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, पटना	(—)	1.07
	गोवा		
1.	सोसायटी फॉर दि मेंटली रिटारडेड, राजकोट	1.74	2.06
2.	अंकुर स्कूल फॉर एम.आर. चिल्ड्रेन, भावनगर	0.36	—

1	2	3	4
3.	गुजरात केलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद	0.87	4.79
4.	शारदा ट्रस्ट, सरुती विकासशाला ऑफ एम.आर. चिल्ड्रेन धोमडुका	—	0.35
	हरियाणा		
1.	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, रोहतक	6.11	6.70
2.	हरियाणा स्टेट कॉरसियल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर चंडीगढ़	—	0.20
	जम्मू व कश्मीर		
1.	रोटरी इनरक्लीन होम फॉर दि हेंडीकेप्ड परसन्स, जम्मू	1.18	1.18
	कर्नाटक		
1.	अंगविकलारा आशा-किरण ट्रस्ट, चित्रदुर्ग	4.52	4.69
2.	एसोसिएशन फॉर दि मेंटली हेंडीकेप्ड बंगलौर	0.86	0.43
3.	श्री रेणुका विद्या समस्थी, विरघाका संघा सिस्त्रिटी	1.12	1.63
	केरल		
1.	जेयसी सोसायटी फॉर दि रिहैबिलिटेशन फॉर दि हेंडीकेप्ड, तेल्लीचेरी	3.18	1.50
2.	यंग वूमेन्स एसोसिएशन, क्विलांग	0.41	0.41
3.	सोसायटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली डेफिसियेंट चिल्ड्रेन, कन्नौरे	0.38	3.18
4.	आशा निलायम सोशल सर्विस, सेंटर, कोट्टायम	1.32	2.18
5.	विमला महिला समाजम्	4.24	7.33
6.	बाला विकास सोसायटी, त्रिवेन्द्रम	2.71	3.80
7.	एसोसिएशन फॉर दि वेल्फेयर ऑफ दि हेंडीकेप्ड कालीकट	0.40	—

1	2	3	4
8.	प्रतीक्षा ट्रेनिंग सेंटर प्रतीक्षा भवन इदुकी	2.87	5.39
9.	स्नेहभावना चॉरिटेबल सोसायटी	3.43	—
10.	रोटरी इंस्टिट्यूट फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, त्रिवेन्द्रम	7.78	4.45
11.	शान्ति भवन, सोशल सेंटर	2.39	1.20
12.	मडोना चॉरिटेबल सोसायटी, तिरुचर	1.92	2.00
13.	डायरेक्टरोरेट ऑफ सोशल एक्शन, पालघाट	6.15	6.02
14.	सोशल वेल्फेयर सेंटर, तिरुचर	8.11	5.93
15.	रक्षा सोसायटी फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रेन विद मल्टीप्ले हेंडीकेप्ड, कोचीन	2.16	2.29
16.	आशा किरण एसोसिएशन फॉर एम आर परसन्स	0.48	1.34
17.	सेंट कोलम्बस ट्रेनिंग सेंटर, कालीकट	1.10	—
18.	कालीकट इस्लामिक कल्चरल सोसायटी, कोजहीकोडे	0.84	1.61
19.	फेर. जेग्गा इंस्टिट्यूट फॉर एम.आर.वयानंद	1.01	—
20.	आल केरल एसोसिएशन फॉर एम.आर.चिल्ड्रेन, कोचीन	2.68	—
	मणिपुर		
1.	सेंटर फॉर मेंटल हाईजीन, इम्फाल	8.37	4.03
	मेघालय		
2.	लेडिज एंड चिल्ड्रेन रिक्रियेशन सेंटर, शिलांग	0.64	0.32
	पंजाब		
1.	नवजीवनी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन, पटियाला	2.50	1.50
	उड़ीसा		
1.	ओपन लर्निंग सिस्टम, भुवनेश्वर	4.32	6.67

1	2	3	4
राजस्थान			
1.	सोसायटी फॉर दि वेल्फेयर मेंटली रिटारडेड, जयपुर	1.50	2.64
तमिलनाडु			
1.	पथवे डा. दातु राव मेमोरियल चॉरिटेबल ट्रस्ट, मद्रास	1.31	0.99
2.	अंबगम इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हेंडीकेप्ड, मदुरई	2.17	0.55
3.	सुधार स्कूल फॉर एम.आर. चिल्ड्रन होम, तंजावुर	1.06	1.00
4.	कार्मिक पब्लिक एजुकेशनल एंड चॉरिटेबल ट्रस्ट, नैयइलादुथुरई	0.30	1.18
5.	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, मद्रास	9.42	6.02
6.	सेंट एन्नेस रिहेबिलिटेशन सेंटर, कोयम्बटूर	1.87	6.94
7.	बिशप सरगियंट स्कूल फॉर दि एम.आर.पलायमकोट्टई	—	0.20
8.	एरोड अरिमा सोसायटी, एरोडा	—	0.78
उत्तर प्रदेश			
1.	श्री कांची कामोक्ति पीतम शाहाकरा सेवा चॉरिटेबल ट्रस्ट, हरिद्वार	1.18	—
2.	चेतना, लखनऊ	2.43	9.67
3.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	2.97	5.22
4.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ	3.04	6.23
5.	रफेल राइदर चेशायर इन्टरनेशनल सेंटर, देहरादून	3.47	2.65
6.	अखिल भारतीय विकलांग केन्द्र समिति मण्डल, फैजाबाद	2.50	13.69
7.	अभिनय रोटेरी थियेटर एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट	3.04	3.04
दिल्ली			
1.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेल्फेयर सोसायटी, जामिया नगर	0.90	0.47

1	2	3	4
2.	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ नार्दर्न इंडिया, हौज खास, नई दिल्ली	11.00	18.75
3.	संजीवनी सोसायटी फॉर मेंटल हेल्थ, बिहारी मार्ग, नई दिल्ली	1.04	11.57
4.	अमरज्योति चॉरिटेबल ट्रस्ट, कड़कडडूमा, दिल्ली	8.73	11.55
5.	तमन्ना, नई दिल्ली	6.01	5.37
6.	असोसिएशन फॉर एडवांसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ हेंडीकेप्ड, वसंत विहार	2.09	—
7.	फेडरेशन फॉर दि वेल्फेयर ऑफ मेंटली रिटारडेड	7.28	8.13
8.	एक्लत सोसायटी फॉर दि वेल्फेयर ऑफ एम.आर.	1.97	2.07
9.	बलवन्तरी मेहता विद्या भवन, नई दिल्ली	7.95	—
10.	दिल्ली सोसायटी फॉर वेल्फेयर ऑफ मेंटली रिटारडेड चिल्ड्रेन, ओखला	4.74	—
11.	नेशनल ब्रदरहुड फॉर सोशल वेल्फेयर	—	0.77
महाराष्ट्र			
1.	रिसर्च सोसायटी फॉर दि केयर, ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बम्बई	7.48	3.73
2.	श्री ट्रस्ट, विरार	6.96	10.75
3.	सोसायटी फॉर दि वोकेशनल रिहैब. ऑफ दि एम.आर.	0.49	0.28
पश्चिम बंगाल			
1.	अलकेन्दु बोध निकेतन रेसिडेंसियल, कलकत्ता	5.40	45.77
2.	मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता	16.55	18.19
3.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन वेल्फेयर, कलकत्ता	2.22	0.89
4.	सोसायटी फॉर मेटल हेल्थ केयर, कलकत्ता	—	1.50
5.	शैलेन्द्रनाथ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय बरदवान	6.98	16.10
6.	प्रबर्तक संघ, कलकत्ता	1.19	0.90

1	2	3	4
7.	रीच, कलकत्ता	8.65	5.60
8.	होप, दुर्गापुर	-	0.33
9.	प्रवर्तक इन्स्टिट्यूट फॉर एम.आर. हुगली	5.16	3.25
10.	साउथ सुन्दरबन एजुकेशन एंड कल्चरल इन्स्टिट्यूट बरदापुर	1.37	0.98

[अनुवाद]**संयुक्त तेल शोधन परियोजनाएं**

4130. श्री विजय नवल पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गल्फ आयल ट्रेडिंग कारपोरेशन और भारतीय तेल निगम संयुक्त तेल शोधन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) पूर्वी समुद्र तट पर संयुक्त उद्यम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन को अनुमोदन दिया गया है। परियोजना में सह उद्यमी बनने हेतु मैसर्स अशोक लेलैंड ने आई.ओ.सी. को पेशकश की है। आई.ओ.सी. को अभी इस रिफाइनरी के लिए साझेदार के चयन को अंतिम रूप देना है।

तेल चयन बोर्ड

4131. श्री आर. अन्बारासू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने तेल चयन बोर्ड कार्यरत हैं;

(ख) तेल चयन बोर्डों के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनाएं जा रहे मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय तेल चयन बोर्डों का पुनर्गठन किया जाने वाला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) कब तक इनका पुनर्गठन कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सोलह।

(ख) प्रत्येक तेल चयन बोर्ड को एक अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, तथा 2 ऐसे सदस्यों को शामिल करके गठित किया जाता है, जो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक अ.जा./अ.ज.जा./कमजोर वर्गों से होता है।

(ग) से (ड) वर्तमान में तेल चयन बोर्ड राज्य/क्षेत्र आधार पर गठित किये जाते हैं। अलग-अलग आधार पर पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केरल-लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर के लिए तेल चयन बोर्ड के लिए मनोनयन विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों की मांगें

4132. **श्री विलास मुत्तमवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जून, 1992 में हुए समझौता ज्ञापन को लागू न करने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांगों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

रसोई गैस सिलिंडरों पर कमीशन

4133. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वितरकों को प्रति घरेलू और वाणिज्यिक रसोई गैस सिलिंडरों पर दी जाने वाली कमीशन की वर्तमान दर क्या है, और

(ख) इस कमीशन में पिछली बार कब वृद्धि की गई थी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कमीशन की वर्तमान दर निम्नानुसार है :

रसोई गैस सिलिंडर	कमीशन प्रति सिलिंडर (रु.)
घरेलू	
14.2 कि.ग्रा. का सिलिंडर	
2500 सिलिंडर प्रतिमाह की बिक्री तक	7.30
2500 सिलिंडर प्रतिमाह से अधिक	6.50
वाणिज्यिक	
19 कि.ग्रा. के सिलिंडरों के लिए	8.70
47.5 कि.ग्रा. के सिलिंडरों के लिए	21.70

(इ) इन दरों को गत 1-9-93 की प्रभावी तिथि से संशोधित किया गया था।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

4134. श्री प्रवीन डेका : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में असम में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्रों को निपटाया गया है तथा इनके लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;

(ग) कितने आवेदन विचाराधीन हैं, और

(घ) इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) :

(क) वर्ष	प्राप्त आवेदन की संख्या	
1991-92	5	
1992-93	14	
1993-94	11	
कुल	30	
(ख) वर्ष	निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या	मंजूर की गई राशि (रुपए लाख में)
1991-92	5	31.42
1992-93	7	31.69
1993-94	9	28.31
कुल	21	91.42

(ग) 2 आवेदन पत्र लम्बित हैं, 7 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए थे।

(घ) वैध लम्बित आवेदन पत्र पर चालू वित्त वर्ष में आर्थिक सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज**4135. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :****श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के नये स्रोतों की खोज में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन स्थानों पर खोज कार्य प्रगति पर है;

(ग) इस अवधि के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(घ) इस खोज कार्य के क्या परिणाम निकले हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. कारपोरेशन लि. तथा आयल इंडिया लि. उत्तर प्रदेश में तेल एवं गैस के अन्वेषण कार्य में लगे थे।

(ख) ओ.एन.जी.सी. का.लि. फिलहाल शाहजहांपुर-अम्मीर नगर क्षेत्र में भूकम्पीय आंकड़ों के अर्जन में लगा है। ओ.आई.एल. गंगा बेसिन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है, जो पूर्णतः या अंशतः, मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं तथा गढ़वाल जिलों में है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान (1991-92 से 1993-94 तक) ओ.एन.जी.सी.का.लि., तथा ओ.आई.एल. ने करीब 57 करोड़ रुपए के व्यय को वहन किया है।

(घ) ओ.एन.जी.सी.का.लि. ने इस क्षेत्र में दो अन्वेषी कूपों का वेधन किया है। तथापि इन कूपों में हाइड्रोकार्बनों का पता नहीं चला है। ओ.आई.एल. द्वारा एकत्रित भूकम्पीय आंकड़ों को फिलहाल भावी वेधन स्थानों की पहचान हेतु संसाधित तथा निर्वचन किया जा रहा है।

[अनुवाद]**तेल के कुएं****4136. श्री उदयसिंहराव गायकवाड :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में तेल के कुएं चालू कर दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1994 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ये कहां-कहां पर स्थित थे और प्रत्येक कुएं की प्रति दिन की उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल के आयात में भारी कटौती करने के उद्देश्य से तेल के कुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु कुछ उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के अन्य भागों में ऐसे ही तेल के कुएं चालू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च) तेल कूपों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए कुछ मुख्य उपाय निम्नानुसार हैं :

- (1) वर्कओवर रिंगों की संख्या में वृद्धि तथा चौबीसों घंटे प्रचालन।
 - (2) कूप उत्प्रेरण और कृत्रिम उठान के लिए अधिकाधिक प्रयास।
 - (3) अपेक्षाकृत कम समय में सुधारात्मक उपाय करने के लिए समस्या का पता लगाने के लिए जांच औजारों का उपयोग।
 - (4) निम्नलिखित क्षेत्रों में अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से जटिल मरम्मतें करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं/कम्पनियों को नियोजित करना।
- वाटर शट आफ
 - गैस शट आफ
 - कूप उत्प्रेरण
 - परिवर्तित प्रवृत्ति वाले कूपों का पुनर्समापन
 - ड्रेनहोल ड्रिलिंग

सरकार देश के ऐसे अन्य तेल उत्पादन बेसिनों में इसी प्रकार के उपय करेगी, जहां विकास योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी

4137. **प्रो. उम्मारैडि वेंकटेश्वरलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंबाकू उत्पादों के बहिर्भाग पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखा होना कानूनी रूप से अनिवार्य है;

(ख) ऐसी कानूनी अनिवार्यता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ तंबाकू उत्पादों को इस अनिवार्यता से छूट दे दी गई है, और

(घ) यदि हां, तो तंबाकू से बने ऐसे उत्पाद कौन-कौन से हैं, जिनके लेबलों पर चेतावनी लिखने की आवश्यकता नहीं होती?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (घ) सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 के अनुसार सिगरेट की सभी कार्टनों/पैकटों पर स्वास्थ्य चेतावनी को दर्शाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों से लोगों को अवगत कराना है। यह अधिनियम अन्य तम्बाकू उत्पादों पर लागू नहीं होता।

यातायात संकेत प्रणाली

4138. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल :

श्री गोविंदराव निकम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई मुख्य सड़कों, चौराहों और गोल चक्करों पर यातायात संकेत प्रणाली न होने के कारण बहुत अधिक संख्या में दुर्घटनाएं हुई हैं, और

(ख) उन स्थानों पर संकेत प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) किसी विशिष्ट चौराहे/क्रासिंग/गोल चक्करों पर सिग्नल लगाने का निर्णय यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। "इंडियन रोड कांग्रेस" ने कुछ अपेक्षाएं निर्धारित की हैं, जिनके आधार पर यातायात सिग्नल लगाए जाते हैं, ये इस प्रकार हैं :

- (i) न्यूनतम वाहन परिमाण;
- (ii) लगातार यातायात के कम व्यवधान;
- (iii) पैदल यात्रियों का न्यूनतम परिमाण, और
- (iv) पिछली दुर्घटनाओं का इतिहास।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

4139. कुमारी ममता बनर्जी :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में राज्यवार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि का उपयोग कर लिया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के लिए राज्यों को उनके हिस्से का धन देने से पहले, उनसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है कि उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान दिए गए धन का इस्तेमाल कर लिया है। कुल मिलाकर, राज्य सरकारों ने उस उद्देश्य के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि का इस्तेमाल कर लिया है।

विवरण

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	स्वीकृत राशि		
	1992-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	139.500	104.780	230.510
अरुणाचल प्रदेश	30.850	46.270	92.540
असम	63.620	47.710	47.710
बिहार	195.240	233.120	284.000
गोवा	—	58.060	43.610
गुजरात	100.120	103.682	123.220
हरियाणा	47.810	100.250	35.850
हिमाचल प्रदेश	27.130	40.690	81.380
जम्मू और कश्मीर	57.000	81.540	78.100
कर्नाटक	100.540	209.940	184.159
केरल	76.000	56.990	113.990
महाराष्ट्र	167.520	351.320	167.265
मध्य प्रदेश	156.640	237.820	309.212
मणिपुर	23.090	17.320	34.630
मेघालय	17.290	36.270	12.970
मिजोरम	29.260	61.360	87.780
नागालैण्ड	25.620	38.430	34.640
उड़ीसा	69.740	146.250	132.930

1	2	3	4
पंजाब	56.430	118.350	38.090
राजस्थान	103.280	154.920	105.020
सिक्किम	10.380	17.220	34.440
त्रिपुरा	31.020	46.530	46.530
तमिलनाडु	131.170	275.070	259.950
उत्तर प्रदेश	224.200	336.300	240.000
पश्चिम बंगाल	116.510	78.910	181.440

निमोनिया से मौतें

4140. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निमोनिया के कारण प्रति वर्ष हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) कुछ बच्चे निमोनिया से मरते हैं। शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के तहत सरकार तीक्ष्ण श्वसनी संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका लक्ष्य निमोनिया से होने वाली मौतों की रोकथाम करना है।

[हिन्दी]

दूरबीन विधि द्वारा नलबंदी

4141. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान राज्यवार दूरबीन विधि द्वारा कितने नलबंदी आपरेशन किये गये;

(ख) ऐसे आपरेशन करने वाले चिकित्सकों के प्रत्येक ग्रुप को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ग) ऐसे आपरेशनों में कम से कम लोगों की मृत्यु हो यह बात सुनिश्चित करने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान लेपरोस्कोपिक महिला नसबन्दी आपरेशनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एक डाक्टर, आपरेशन थिएटर नर्स और आपरेशन थिएटर तकनीशियन की एक टीम को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 22 केन्द्रीय लेपरोस्कोपिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) रोगियों का आपरेशन से पहले चयन, आपरेशन प्रक्रियाओं, आपरेशन के बाद परिचर्या, अनुवर्ती देख-रेख तथा औजारों को विसंक्रमित करने के बारे में अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

1993-94 के दौरान लेपरोस्कोपिक महिला नसबंदी आपरेशनों की राज्यवार संख्या (अप्रैल, 93 से दिसम्बर, 93)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लेपरोस्कोपिक महिला नसबंदी आपरेशनों की संख्या
		1993-94 (अप्रैल से दिसम्बर, 93)
1	2	3

I. प्रमुख राज्य (1 करोड़ या अधिक जनसंख्या)

1.	आन्ध्र प्रदेश	1166 *
2.	असम	3423
3.	बिहार	24525
4.	गुजरात	7447 **
5.	हरियाणा	27580
6.	कर्नाटक	45098 *
7.	केरल	19089
8.	मध्य प्रदेश	5688 *
9.	महाराष्ट्र	40240
10.	उड़ीसा	5897 *
11.	पंजाब	20458
12.	राजस्थान	30764 *
13.	तमिलनाडु	40451

1	2	3
14.	उत्तर प्रदेश	अप्राप्त
15.	पश्चिम बंगाल	54135
II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
1.	हिमाचल प्रदेश	6397
2.	जम्मू व कश्मीर	अप्राप्त
3.	मणिपुर	अप्राप्त
4.	मेघालय	— **
5.	नागालैंड	238 *
6.	सिक्किम	63 *
7.	त्रिपुरा	7591
8.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	354
9.	अरुणाचल प्रदेश	92 *
10.	चण्डीगढ़	802 *
11.	दादरा व नागर हवेली	— *
12.	दिल्ली	अप्राप्त
13.	गोवा	746
14.	दमन व दीव	77
15.	लक्षद्वीप	— *
16.	मिजोरम	575
17.	पांडिचेरी	11
कुल		346528 **

—शून्य

•आंकड़े अनन्तिम

*अप्रैल, 93 से सितम्बर, 93

**अप्रैल, 93 से जून, 93

•रेल मंत्रालय के आंकड़ों सहित

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरण

4142. श्री बोल्ता बुल्ली रामय्या :

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओबेसी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से गये चिकित्सकों के अमरीकी संगठन ने भारतीय अस्पतालों के लिए कीमती चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अभी तक भारतीय अस्पतालों को कितनी-कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या इस संगठन का भारतीय चिकित्सा परिषद् के समन्वय से भारतीय चिकित्सकों के लिए सम्मेलन करने और सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) 1985 में, भारतीय चिकित्सा परिषद् के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं को भारतीय चिकित्सकों के अमरीकी संगठन से चिकित्सीय उपकरणों और सतत चिकित्सीय शिक्षा के लिए दान प्राप्त होना शुरू हो गया है। इस परिषद् द्वारा आज तक उपकरणों, पुस्तकों और पत्रिकाओं के दान के लिए 61 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 91 अल्प अवधि सतत चिकित्सीय शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

उष्णकटिबन्धीय संक्रामक रोग

4143. श्री सुधीर गिरि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उष्णकटिबन्धीय संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार के रोगों की वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, और

(घ) क्या राज्य सरकारों को रोगों में हो रही वृद्धि की जानकारी दे दी गई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) कुष्ठ और गिनीकृमि के रोगियों में कमी हुई है, लेकिन मलेरिया के मामले में स्थिति स्थिर बनी हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ऐसे रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र

4144. श्री राम विलास पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रह रहे अन्य राज्यों के पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालु) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में 8 अप्रैल, 94 के पत्र द्वारा सभी राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं। इस पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एफ.सं. 12011/4/84-बी.सी.सी.

**भारत सरकार
कल्याण मंत्रालय
(बी.सी.सी.)**

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल, 1994

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य
क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव।

विषय : अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आकर बसे व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी किया जाना।

महोदय,

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 नवम्बर, 1993 के पत्र संख्या 36012/22/33-स्थापना (एस.सी.टी.) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को सूचित किया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों, जिन्होंने रोजगार, शिक्षा इत्यादि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में शरण ली है, को उस राज्य से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस राज्य को छोड़कर वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 नवम्बर, 1993 के पत्र संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी.) के अनुसार किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का निर्धारित प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जो अन्य राज्य से आया हुआ हो, उसके पिता के जन्म स्थान वाले राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर उन मामलों को छोड़कर, जिनमें निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता हो कि प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से पूर्व मूल राज्य से विस्तृत जांच करवाया जाना जरूरी हो, अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

2. यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना जारी किया जाएगा कि क्या संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया गया है, जिस राज्य को छोड़कर उसने अन्य राज्य में शरण ली है। यह सुविधा व्यक्ति के अन्य पिछड़े वर्ग के दर्ज को किसी एक राज्य अथवा अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मामले में नहीं बदलती। अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवास करने पर, जहां उसकी जाति अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल नहीं हो, अपने मूल राज्य तथा केन्द्र सरकार से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुमत्य शिकायतें/लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा, लेकिन उस राज्य से नहीं, जहां उसने प्रवास किया हो।
3. अनुरोध है कि सभी सक्षम प्राधिकारियों को यह सलाह दी जाए कि वे प्रमाण-पत्र की सत्यता से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 1.नवम्बर, 1993 के परिपत्र के अनुरूप शक्ति सम्पन्न सक्षम प्राधिकारियों की सूचियों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए। किसी अन्य प्राधिकारी को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

आपका

हस्ताक्षर

(एम.एस. पंडित)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

4145. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनका वित्त पोषण यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा किया जा रहा है और उसकी धनराशि कितनी है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने और अधिक नयी परियोजनाएं शुरू करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) इस समय उड़ीसा सरकार को जल क्षेत्र में किसी भी निर्माणाधीन परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कोई सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने उड़ीसा में एक परियोजना नामशः लघु सिंचाई परियोजना के वास्ते यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता का प्रस्ताव किया है। परियोजना अभिज्ञान मिशन ने अक्तूबर, 1992 में दौरा किया था। इस परियोजना को 6 वर्षों की अवधि में दो फेजों में शुरू किया जाना है। यह परियोजना पुरी, फुलबनी और गंजम जिलों में है। तीन वर्षों के पहले फेज में छः बड़ी योजनाओं और एक छोटी योजना की पुनः स्थापना की परिकल्पना है। तीन वर्षों के दूसरे फेज में राज्यभर में 10 बड़ी योजनाओं व 14 छोटी योजनाओं की पुनः स्थापना की परिकल्पना की है। इस परियोजना की कुल लागत का अनुमान 13.2 मिलियन ई.सी.यू. लगाया गया है, जिसमें से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का अंशदान 11.2 मिलियन ई.सी.यू. होगा।

केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विकास

4146. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 1993-94 के दौरान इस संबंध में सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालु) : केरल सरकार ने 1993-94 के दौरान राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास हेतु "गहन निवासी विकास कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के लिए 10 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 1992-93 के दौरान इसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने 80.22 लाख रुपये की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की थी। राज्य सरकार ने 1992-93 के दौरान प्राप्त प्रगति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तथापि, चूंकि केन्द्र सरकार के पास कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध नहीं थी, अतः उक्त योजना हेतु राज्य सरकार के 10 करोड़ रुपये के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका।

अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केरल सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार को 1993-94 के दौरान प्रियदर्शनी टी एस्टेट के प्रस्ताव के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है, जो कि आदिवासियों के लाभार्थ चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तेल की खुदाई

4147. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खंडवा और अन्य जिलों में तेल की खुदाई जारी रखने तथा नए स्थानों पर खुदाई शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किसी कूप का वेधन नहीं किया गया है। तथापि दामोह जिले में जाबेरा-I नामक एक कूप का वेधन किया गया था। क्रमशः शहडोल और छिंदवाड़ा जिलों के दो स्थानों अर्थात् टिहकी-I तथा अनहोनी-I को वेधन हेतु निर्गत किया गया है, जिसमें से टिहकी-I की 1994-95 में वेधन हेतु योजना बनाई गई है। सिंधी, शहडोल, रायसेन, छिंदवाड़ा, सागर और दामोह जिलों में भूकम्पीय और गुरुत्वचुम्बकीय सर्वेक्षण चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में कमान एरिया विकास कार्यक्रम

4148. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान एरिया विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, मध्य प्रदेश सरकार से तीन योजनाएं नामशः भादर नहर, थानवर और कन्हरगांव, जिनकी प्रस्तावित लागत क्रमशः 1338 लाख रुपए, 2276 लाख रुपए और 1434.827 लाख रुपए थी, केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्राप्त हुई थी। इन योजनाओं का कृष्य कमान क्षेत्र क्रमशः 110.96 हजार हेक्टेयर, 11.11 हजार हेक्टेयर और 2.9 हजार हेक्टेयर है।

(घ) इन योजनाओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गयी थीं, जिनके उत्तरों की प्रतीक्षा है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	शामिल करने का वर्ष	कृष्य कमान क्षेत्र (हजार हेक्ट.)	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4	5

मध्य प्रदेश

1.	तवा	1974-75	247.00	333.00
2.	चम्बल	1974-75	220.00	273.00
3.	ओष्वा	1985-86	4.86	4.86

1	2	3	4	5
4.	वरना	1974-75	55.00	60.70
5.	हलाली	1974-75	25.00	37.20
6.	कोलार	1985-86	45.00	60.86
7.	नरेन	1985-86	3.20	2.80
8.	केथन	1985-86	3.20	2.50
9.	हसदेव	1974-75	57.00	42.00
10.	खरंग	1974-75	47.77	48.58
11.	मनियरी	1974-75	55.00	50.20
12.	घोंगा	1985-86	8.10	7.70
13.	महानदी	1983-84	389.00	340.00
14.	पैरी	1983-84	43.00	73.00
15.	तन्दुला	1985-86	68.20	68.20
16.	जोंक	1985-86	15.51	14.00
17.	बलार	1985-86	6.55	5.57
18.	कोदर	1985-86	21.75	23.47
19.	अपर बैनगंगा	1985-86	93.00	113.93
20.	बाग	1985-86	16.60	14.79
21.	हर्षी	1985-86	68.42	53.16
22.	रामपुर मकरोड़ा	1985-86	7.53	8.06
23.	रानी अवन्तीबाई (बरगी)	1990-91	157.00	157.00
योग			1657.75	1794.58

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

4149. श्री छीतूभाई गामीत : क्या जल संसाधन मंत्री 5 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1664 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना में सिंचाई बाई पास टनल के निर्माण से संबंधित अनेक तकनीकी रुकावटें दूर कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) सरदार सरोवर परियोजना पर सिंचाई बाई-पास टनल के निर्माण संबंधी विभिन्न तकनीकी पहलुओं को अभी हल किया जाना है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की 23-8-1993 को आयोजित छठी बैठक में चर्चा के वास्ते यह मुद्दा उठा था, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि संबंधित पक्षकार राज्य आपस में विचार-विमर्श करेंगे तथा इस मुद्दे पर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। पक्षकार राज्यों ने किसी निर्णय/प्रगति के संबंध में सूचना नहीं दी है। पक्षकार राज्यों को इस मामले में प्रगति की सूचना देने की सलाह दी गयी है।

[हिन्दी]

कोयला स्टाक

4150. श्री लाल बाबू राय :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विभिन्न कोयला स्टाकों की जांच की गई है;

(ख) क्या उनमें कोई कमी पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयले के स्टाक का वार्षिक रूप में सत्यापन करता है। लेखा-स्टाक

तथा वास्तविक स्टाक के बीच अन्तराल लेखे स्टाक की पांच प्रतिशत की सीमा तक स्वीकार्य है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टाक की कमी (5% की स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई) जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े लाख टन में)

1990-91	4.15
1991-92	36.89
1992-93	9.75

(घ) से (च) लेखे स्टाक के 5% से अधिक के अंतराल के सभी मामलों में कोयला कंपनियां अन्तराल के कारणों का पता लगाने के लिए जांच आयोजित करती हैं और इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और इसके आधार पर अभी तक 11 व्यक्तियों को सजा दी गई है और सात व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है।

रसोई गैस कनेक्शन

4151. श्री काशीराम राणा :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों ने पांच वर्ष पहले रसोई गैस कनेक्शन के लिए अपने नाम पंजीकृत किये थे, उन्हें 31 दिसंबर, 1993 तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) राज्यवार किस-किस तिथि तक पंजीकृत लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दे दिए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) नए एल.पी.जी. कनेक्शन प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों को संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के पास पंजीकरण के अनुक्रम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को आबंटित नए ग्राहक पंजीकरण के आधार पर दिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को ग्राहक पंजीकरण का आबंटन डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध गुंजाइश, प्रतीक्षा सूची और उत्पाद उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, कनेक्शनों का दिया जाना पंजीकरण की बीती अवधि पर निर्भर नहीं करता।

(ग) प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों को निपटान भिन्न-भिन्न बाजार में और भिन्न-भिन्न डिस्ट्रीब्यूटरों के पास देशभर में भिन्न-भिन्न होता है। राज्यवार समरूप स्थिति नहीं होती।

आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठक

4152. श्री खेलनराम जांगडे :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठकें राज्यों के नियमों के अनुसार आयोजित नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) : (क) जी, हां। आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की एक प्रति विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

अ.शा.पत्र संख्या 18013/2/93-टी.डी. (आर)

कल्याण मंत्री

शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

सीताराम केसरी

13 अक्तूबर, 1993

प्रिय श्री,

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति (दसवीं लोकसभा) ने संसद में प्रस्तुत अपनी 15वीं रिपोर्ट में राज्यपाल की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में देरी तथा संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट की गुणवत्ता के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है। जैसा की आपको मालूम है संविधान का उपर्युक्त उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य की सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी सौंपता है कि वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। यह रिपोर्ट प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित हो प्रस्तुत की जानी है। सामान्यतः यह रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाती है।

2. संसदीय समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि यह रिपोर्ट सामान्यतः आदिवासी विकास में राज्य सरकारों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा है, इन रिपोर्टों में अनुसूचित क्षेत्रों के

प्रशासन की समस्याओं का कोई गुणवत्तात्मक विश्लेषण तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया गया है।

3. इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान मुख्यमंत्रियों को सम्बोधित तत्कालीन कल्याण राज्य मंत्री के दिनांक 5 जनवरी, 1987 के अर्द्धशासकीय पत्र सं. 18013/3/86-टी.डी. (आर) की ओर दिलाना चाहूंगा। उस में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की व्याख्या केवल प्रबंध पहलुओं तक सीमित संकुचित अर्थ तक नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसमें विकास संबंधी सभी प्रयासों का सम्पूर्ण ब्यौरा तथा विनियमनात्मक प्रशासन भी शामिल होना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों में समग्र रूप से प्रशासन की निकट से तथा आलोचनात्मक समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में आदिवासी उप योजना के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटनों तथा लक्ष्यों, कानून में कमियों और प्रशासन में किसी कमजोरी तथा कानून में कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तावित उपायों एवं प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रस्तावित उपायों के संदर्भ में कार्य निष्पादन का विशेष रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्य की आदिवासी सलाहकार परिषद (टी.ए.सी.) द्वारा की गई सिफारिश तथा उनके कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठकें भी जल्दी-जल्दी और शीघ्र की जानी चाहिए, ताकि वे और अधिक प्रभावी हो सकें।
5. मैं एतद् द्वारा उन मदों की सूची सहित राज्यपाल की रिपोर्ट का एक प्रोफार्मा भेज रहा हूं, जिसे राज्यपाल की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
6. मैं आभारी हूंगा यदि आप रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के सितंबर के अंत तक प्रस्तुत की जाने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट के बनाने हेतु दिए गए सुझावों का अनुपालन करने के लिए संबंधित लोगों को अनुदेश जारी कर दें।

सादर,

आपका,
हस्ताक्षर
(सीताराम केसरी)

सेवा में

अनुसूचित राज्यों के मुख्य मंत्री/राज्यपाल

विवरण-II

अ.शा.पत्र सं. 18013/3/86-टी.डी. (आर)

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी
कल्याण राज्य मंत्री

5 जनवरी, 1987

प्रिय,

1. जैसा कि आपको ज्ञात है संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 3 में यह निर्दिष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को इन क्षेत्रों के बारे में प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा यथा अपेक्षित समय पर उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा राज्यों के उक्त क्षेत्र के प्रशासन को निर्देश देने के लिए संघ को कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करेगा।
2. उन विभिन्न समितियों और आयोगों तथा कार्यकारी ग्रुपों ने, जिन्होंने अनुसूचित जाति विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन किया था तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (धेवर आयोग, 1961) एवं शिलुओ अध्ययन दल (199) एवं सातवीं योजना (1984) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास पर कार्यकारी दल ने यह मत व्यक्त किए थे कि संघ सरकार ने इन रिपोर्टों के फार्मेट एवं विषयवस्तु के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकारें इन रिपोर्टों को विभागीय रिपोर्टों के रूप में देखती हैं।
3. धेवर आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न बैठकों एवं सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया था और यह सहमति हुई थी कि राज्यपालों की रिपोर्टों को तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सचिवालय की होगी। आगे यह भी सहमति हुई थी कि राज्यपालों की रिपोर्टों में आदिवासी सलाहकार परिषदों के विचार भी शामिल किए जाएं एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, विधायकों तथा गैर सरकारी सदस्यों के विचारों को भी रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाए।
4. जबकि "अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन" की व्याख्या एक संकुलित में अर्थात् केवल प्रबंध पहलू के अर्थ में करना संभव है। इसके साथ-साथ यह भी मानना होगा कि आज के संदर्भ में विकास प्रयासों एवं विनियमनात्मक प्रशासन के संबंध में पर्याप्त ब्यौरे शामिल करना भी जरूरी दिखायी पड़ता है। वास्तव में, परिवर्तनशील परिस्थिति के महत्व को पहचानते हुए कुछ राज्य सरकार की रिपोर्टों में विकास की दिशा में किए गए कार्यनिष्पादन का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा में होता है।
5. पांचवीं अनुसूची के उपबंधों को अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने हेतु नीति निर्धारण में सहायक होने के लिए पांचवीं अनुसूची के उपबंधों को किस प्रकार और अधिक कारगर बनाया जाए इस प्रश्न पर हमने गहराई से विचार-विमर्श किया है। हमें इसमें कोई संदेह

नहीं है कि राज्य सरकारें भी इस मामले की ओर ध्यान देगी। फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि इन क्षेत्रों के प्रशासनों की समग्र रूप से निकटस्थ एवं आलोचनात्मक समीक्षा करना संभव होगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति विशेष आदिवासी उपयोजना के संदर्भ में विकास को उन्नत करने में हुई प्रगति भी शामिल की जाए।

6. उन मदों की सूची, जिन्हें राज्यपाल की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए, संलग्न है, ताकि राज्य सरकार राज्यपालों की रिपोर्टों के लिए एक फ्रेम वर्क अपना सके।
7. आमतौर पर मंत्रालय में ये रिपोर्टें देर से प्राप्त होती हैं, उदाहरण के लिए कई वर्षों की रिपोर्टें अभी भी आती हैं। गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 25 अक्टूबर, 1967 के पत्र सं. 16/2/67 स्थाना (सी) में तथा तत्पश्चात् अनेक अवसरों पर इस बात पर बल दिया है कि इन रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/जनजाति के आयुक्त ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में भी इस बात पर बल दिया है।
8. मैं आभारी हूंगा यदि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपालों की रिपोर्ट उपर्युक्त पैरों के अनुसार तैयार की जा सके, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में विकासशील गतिविधियों में हुई प्रगति एवं उनमें प्रशासनिक स्थिति की एक पूर्ण, स्पष्ट एवं समेकित तस्वीर राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जा सके।

सादर,

आपकी,
हस्ताक्षर
(डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी)

सेवा में,

अनुसूचित वाले आठ राज्यों के मुख्य मंत्री
अनुसूचित क्षेत्रों वाले आठ राज्यों के
राज्यपालों के सचिव को प्रतिलिपि

हस्ताक्षर
(वी.के. मिश्र)
संयुक्त सचिव

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल किया जाना चाहिए :

1. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन
(क) वे मुख्य तत्व यदि कोई हैं या वे तत्व जो अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी हित या शान्ति और उनके अच्छे प्रशासन की दिशा में निर्णायक हों। मूल्यांकन में भूमि

अन्तरण, राशि ऋण देने, वन, व्यापार और उत्पाद नीति, बन्धक श्रम, आदिवासियों का स्थानान्तरण, अत्याचार आदि के संबंधित अधिनियमों/विनियमों, अनुदेशों की कार्य प्रणाली को समग्र मूल्यांकन शामिल किया जाना चाहिए।

- (ख) शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों की पूरी रूप रेखा, जिसमें इस्तेमाल किए गए वित्तीय आबंटन और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का उल्लेख होना चाहिए। प्रारंभ में, पिछले वर्षों के आंकड़े, तथ्य और ब्यौरे होने चाहिए, ताकि संदर्भाधीन वर्ष के विकास की एक विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत की जा सके और इसके समर्थन में एक तुलनात्मक सांख्यिकी तालिका संलग्न की जानी चाहिए। ऐसी तालिकाओं में पिछले वर्ष रिपोर्टाधीन वर्ष के बजट और यथासंभव आने वाले वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट के वास्तविक आंकड़े दिए जाने चाहिए।
- (ग) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्तमान स्तर और इन मामलों में सुधार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए या अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित उपाय/इस भाग में क्षेत्र में वर्तमान वास्तविक प्रशासनिक ढांचे का उपयोगात्मक तथा विकासशील तंत्र की आवश्यकता के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कमियों और बुराइयों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए।
2. राज्यपाल की रिपोर्ट की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के स्तर में सुधार करने के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य और संघ राज्यों दोनों द्वारा किए गए विशिष्ट कार्रवाई का पता चल सके।
 3. जहां तक विकास का संबंध है, आदिवासी विकास के लिए विशिष्ट परियोजना पर रिपोर्टों की तैयारी के बारे में तथा इसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने एवं अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में स्पष्ट समय सारिणी दी जानी चाहिए। यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर छः मास के भीतर अर्थात् प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।
 4. रिपोर्ट की तैयारी समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के स्तर से शुरू की जानी चाहिए। परियोजना प्राधिकारी को चाहिए कि वह अपने क्षेत्र के भीतर प्रशासनिक स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन प्रस्तुत करे। प्रत्येक परियोजना की मसौदा प्रशासन रिपोर्ट को संबंधित परियोजना सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी प्रतिक्रिया को शामिल करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
 5. रिपोर्ट में यथा संभव पैरा (1) के (क) से लेकर (ग) तक उल्लिखित उपायों से निकले परिणामों का आई.टी.डी.ए./आई.टी.डी.पी./जिलावार विश्लेषण दिया जाना चाहिए।
 6. राज्य स्तर पर प्रत्येक विभाग को चाहिए कि वह अपने कार्यकारी क्षेत्र अधिकार के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करे और रिपोर्ट में विभागवार विश्लेषण शामिल करें।
 7. राज्य की आदिवासी सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तुत मतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में शामिल की जानी चाहिए, जिसमें आदिवासी सलाहकार परिषद की सिफारिशों के अनुसार किए गए उपायों का उल्लेख होना चाहिए।

8. आदिवासी विकास आयुक्त/सचिव आदिवासी विकास विभाग को चाहिए कि इस प्रकार एकत्रित तथ्यों के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों पर वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करे तथा मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करे। राज्यपाल की रिपोर्ट को आदिवासी सलाहकार परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज्यपाल द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित रिपोर्ट को कल्याण मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

29 मई, 1987

प्रिय,

जैसा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में कहा गया है, आपके राज्य में एक आदिवासी सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् में संविधान के अंतर्गत, पर्याप्त परामर्शदात्री दर्जे सहित एक तंत्र की व्यवस्था है, जिसमें आदिवासी विकास हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए आदिवासी हितों के प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण मंच है। आप इससे सहमत होंगे कि परिषद् की प्रभावोत्पादकता तभी सुनिश्चित की जाए यदि परिषद् की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं।

इस वर्ष बजट सत्र के दौरान एक लोक सभा प्रश्न के संबंध में हमारे द्वारा एकत्र की गई सूचना से यह देखा गया है कि आपके राज्य में आदिवासी सलाहकार परिषद् की बैठक 1985-86 या 1986-87 में नहीं हुई है। छठी तथा सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास पर कार्य दल ने भी आदिवासी सलाहकार परिषदों की बैठकों के अंतराल पर टिप्पणी की थी। इस संबंध में दो कार्य दलों की रिपोर्टों के अध्याय 4 के पैरा 16 तथा अध्याय 8 के पैरा 8 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है (प्रति संलग्न)।

हमने आदिवासी सलाहकार परिषद् को जो महत्व प्रदान किया है, उस पर विचार करते हुए यह जरूरी है कि इस परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें हों। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूँ कि आदिवासी सलाहकार परिषद् की पर्याप्त तैयारी तथा अनुवर्ती कार्रवाई सहित वर्ष में कम से कम दो बैठकें हों, ताकि ये बैठकें उपयोगी सिद्ध हो सकें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से यदि आप हमें सूचित करते रहें तो मैं आभारी हूंगी।

शुभ कामनाओं सहित,

भवदीय,
हस्ताक्षर
(राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी)

सेवा में,

टी.ए.सी.डी. वाले 10 राज्यों के मुख्य मंत्री

उर्वरक संयंत्रों को गैस

4153. श्री रमेश चेन्नितला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक संयंत्रों को प्राकृति गैस की कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है;

(ख) इसकी सप्लाई किस दर पर की जा रही है;

(ग) क्या इन एककों को अंतर्राष्ट्रीय दर पर गैस सप्लाई की मांग की गई है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) 1993-94 में उर्वरक इकाइयों को 17.58 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस की आपूर्ति की गई थी।

(ख) उत्तर पूर्व को छोड़कर जहां उर्वरक इकाइयों से 600 रु. प्रति 1000 घन मीटर की रियायती कीमत ली जा रही है,

बाकी क्षेत्रों में 31 दिसंबर, 1993 तक गैस की कीमत 1650 रु. प्रति 1000 घन मीटर तथा 1 जनवरी, 1994 से 1750 रु. प्रति 1000 घन मीटर थी।

(ग) कुछ अन्य क्षेत्रों में विद्यमान कीमतों के अनुसार अपेक्षाकृत कम कीमतों पर गैस की आपूर्ति के लिए मांग की गई है।

(घ) समस्त संदर्भगत पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 1995 तक गैस की कीमत तय की गई है।

वक्फ मामलों का निपटान

4154. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री छेदी पासवान :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वक्फ मामलों को शीघ्र निपटाने के बारे में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) 31 जनवरी, 1994 तक की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने वक्फ मामले विचाराधीन हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालु) : (क) और (ख) समय-समय पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का ध्यान शीर्षस्थ स्थल पर आकृष्ट करती रही है, ताकि वक्फ मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने

1976 में चुनिंदा राज्यों, जिनमें बड़े पैमाने पर वक्फ सम्पत्तियां हैं, के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था और यह सलाह दी थी कि किसी प्रकार राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों के अन्यथा कब्जे के मामलों को शीघ्रता से निपटाए। उसके बाद इसमें संबंधित कल्याण मंत्रियों ने राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य प्रशासकों के साथ पत्राचार किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा राज्य सरकारों से इसके प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

4155. श्री छेदी पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के राज्यवार कितने औषधालय किराये के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) क्या लाभार्थियों को इन औषधालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	औषधालयों की संख्या
1	2
दिल्ली	20
आंध्र प्रदेश	6
बिहार	5
गुजरात	2
कर्नाटक	9
मध्य प्रदेश	2

1	2
महाराष्ट्र	12
राजस्थान	3
तमिलनाडु	10
उत्तर प्रदेश	27
पश्चिम बंगाल	7
कुल	103

[अनुवाद]

डानकुनी कोयला परिसर

4156. डा. असीम बाला : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में डानकुनी कोयला परिसर की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसको पुनः चालू करने के लिए बने पैकेज के संबंध में राज्य सरकार के साथ परामर्श किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। इस प्रकार की अंतिम बार समीक्षा सचिव (कोयला) द्वारा दिसंबर, 1993 में की गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, मजदूर संगठन एवं कोयला कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस संयंत्र के बेहतर कार्य निष्पादन को आश्वस्त करने के लिए विशेषकर विभिन्न उत्पादों के विपणन और उनका मूल्यनिर्धारण के लिए एक सामरिक कार्रवाई योजना तैयार की गई है। इस कार्रवाई योजना की मुख्य मर्दे निम्नलिखित हैं :

- (1) "सिल-कोक" के वर्तमान स्टॉक की निकासी।
- (2) कोक फाइनों से ब्रिकेट्स का उत्पादन करने के लिए सांविधिक कार्य निष्पादित करना, ताकि उनका विपणन किया जा सके।
- (3) मोटर आयल के एक विकल्प के रूप में लाइट आयल का निपटारा/विपणन करना।

(4) ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाय कारपोरेशन (जी.सी.जी.एस.सी.) के साथ गैस का मूल्य निर्धारण।

(5) दानकुनी कोयला काम्प्लैक्स को जाने वाली सड़क की मरम्मत करना।

आवासीय फ्लैटों की बिक्री में कथित धोखाधड़ी

4157. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज बिल्डर्स ने उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिन्हें 10 भगवानदास रोड, नई दिल्ली पर निर्मित आवासीय फ्लैटों को बेचा था और उन्हें यह नहीं बताया कि जिस भूमि पर फ्लैट बना हुआ है वह इंडियन बैंक के पास गिरवी है और उन्होंने उस भूभाग के विकास तथा उस पर निर्माण के लिए ऋण लिया था, जिसे लौटाना अभी भी बाकी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी और जिन व्यक्तियों ने इन आवासीय फ्लैटों को खरीदा था, उनके हितों की रक्षा किस तरह की जाएगी;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार को दिल्ली में ऐसे कितने मामलों की अब तक जानकारी मिली है, और

(घ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि मैसर्स ताज वर्ल्ड फेम बिल्डर्स के खिलाफ तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी/420 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने आगे सूचित किया है कि इससे पहले मैसर्स ताज वर्ल्ड फेम बिल्डर्स के खिलाफ इसी प्रकार का कोई अन्य मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम राइफल के कर्मियों को सुविधाएं

4158. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राइफल के कर्मियों को थल सेना कर्मियों की तरह कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) क्या ये सुविधाएं असम राइफल के कर्मियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात भी दी जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) असम राइफल के सेवानिवृत्त कर्मियों को थलसेना के सेवानिवृत्त कर्मियों के समकक्ष लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) आर्मी आपरेशन कंट्रोल के अधीन काम करते समय वे सी.एस.डी. सुविधाओं के हकदार होते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) वे इन सुविधाओं के हकदार नहीं हैं।

(घ) सेवा शर्तों में अन्तर होने के कारण, असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कार्मिकों की तुलना सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों के साथ नहीं की जा सकती है।

जम्मू और कश्मीर में बम विस्फोट

4159. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी और मार्च, 1994 में जम्मू, ऊधमपुर और जम्मू और कश्मीर के अन्य भागों में हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी बम विस्फोटों के बारे में जांच पूरी करा ली गयी है और अपराधियों का पता लगाने, उन्हें पकड़ने तथा गिरफ्तार करने में कोई सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रारम्भिक छानबीन से पता चला है कि इन विस्फोटों में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई.एस.आई.) का हाथ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ज) यदि जांच पूरी नहीं हुई है, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार फरवरी और मार्च, 1994 के दौरान जम्मू में हुई 2 घटनाओं और उधमपुर में हुई एक घटना सहित राज्य में धमका/विस्फोट की 161 घटनाएं हुईं। जम्मू में हुए बम विस्फोट में 4 व्यक्ति मारे गए और 58 जख्मी हुए।

(ख) और (ग) कुछ मामलों में, 27 मार्च, 1994 को जम्मू में हुए विस्फोट सहित, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए और 21 व्यक्ति जख्मी हुए थे, संदिग्ध व्यक्तियों की शिनाख्त कर ली गयी है। बाद वाली घटना में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

(घ) और (ड) 27 मार्च को जम्मू में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी "खालिस्तान जिन्दाबाद" नामक गिरोह ने अपने ऊपर ली है। बताया गया है कि जम्मू में हुए दूसरे बम विस्फोट की जिम्मेदारी "अल-जेहाद" गिरोह ने ली है।

(च) और (छ) विभिन्न मामलों में की गयी जांच पड़ताल से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि प्रत्येक घटना में आई.एस.आई. की सीधी मिली भगत है, हालांकि यह सही है कि शस्त्र, गोलाबारूद, विस्फोटक इत्यादि उपलब्ध कराने और राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आई.एस.आई. जिम्मेवार हैं।

(ज) कई मामलों में धमका/विस्फोट "मारो और भागो" कार्रवाई के रूप में है और इन मामलों में अपराधियों का पता लगाना कठिन है। तथापि जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी करने के लिए निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज

4160. श्री धर्मभिक्षम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चालू शिक्षण वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में उन नए मेडिकल कालेजों का ब्योरा क्या है, जिन्हें खोले जाने की स्वीकृति दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कोई नया मेडिकल कालेज नहीं खोला गया है।

कश्मीरी विस्थापितों की समस्याएं

4161. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मंत्री कश्मीरी विस्थापितों की समस्याओं के बारे में 23 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3410 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) सूचना कब तक एकत्र कर ली जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 23-12-1993 के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3410 के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई हैं, जो इस प्रकार है :

प्रवासियों की समस्याओं की जांच करने और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थाई समिति की स्थापना जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा की

भई है। उक्त समिति द्वारा कार्य सूची की जिन मदों पर विचार-विमर्श किया गया और उन पर जो कार्रवाई की गई उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- (1) बीमा दावों के निपटान में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और बीमा कम्पनियों से लम्बित मामलों पर से तेजी से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
- (2) प्रवासियों द्वारा अपने पीछे घाटी में छोड़ी गई सम्पत्ति पर ऋण की स्वीकृति से संबंधित मामले पर विचार-विमर्श किया गया। यद्यपि अलग-अलग मामलों में, ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा गारंटी दिया जाना संभव नहीं समझा गया, परन्तु राज्य द्वारा समर्थक ऋणाधार दिए जाने संबंधी मामले की जांच की जा रही है।
- (3) प्रवास कर गए ठेकेदारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनसुलझे दावे घाटी में संबंधित मुख्य इंजीनियर को प्रस्तुत करें, जिन्हें कि इनके मामलों के निपटान में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
- (4) कश्मीरी प्रवासियों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा रिकार्ड करने के लिए रजिस्टर खोले गए हैं। इस काम के पूरा हो जाने पर ये ब्यौरे क्रासचेकिंग के लिए कश्मीर के सम्भागीय आयुक्त के पास भेजे जाएंगे।
- (5) ऊधमपुर, नागरोता, मुथी, परखू और मिश्रीवाला में टेण्टों में रह रहे प्रवासियों के लिए 1460 अतिरिक्त/नए कमरे वाले टीनामेंट बनाने का निर्णय लिया गया और निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- (6) जहां कहीं भी आवश्यकता है, वहां चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।
- (7) गैर-सरकारी कर्मचारियों को उनकी नकद सहायता में वृद्धि करके किराए भत्ते की स्वीकृति से संबंधित मामले पर यद्यपि विचार किया गया, परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया।
- (8) प्रवासी कर्मचारियों का सेवा अभिलेख जम्मू में उनके विभागाध्यक्षों को हस्तांतरित करने के बारे में सरकार द्वारा जरूरी निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
- (9) टेण्टों को खाली करने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को 1600 रु. प्रतिमाह (राशन की लागत सहित) के भुगतान से संबंधित मामले पर विचार किया गया, परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी प्रवासी के इस आधार पर टेण्ट खाली करने के लिए सहमत होने की सूचना नहीं थी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

स्टीम कोयले की मांग और आपूर्ति

4162. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योगों द्वारा कितने स्टीम कोयले की मांग की गई और उनके लिए कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए स्टीम कोयले की आपूर्ति मांग के अनुरूप की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले स्टीम कोयले की व्यवस्था उपभोक्ताओं द्वारा प्रायोजन एवं प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योगों को लगभग 10.11 लाख टन स्टीम कोयले की आपूर्ति की गई। कोल इंडिया लि. द्वारा ही सूचना के अनुसार और अधिक मात्रा में प्रेषण किया जा सकता था, किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा आपूर्ति कार्यक्रम को रद्द किए जाने के कारण ऐसा नहीं हुआ।

(घ) उपभोक्ताओं की, जिसमें उत्तर प्रदेश में स्थित उपभोक्ता भी शामिल हैं, स्टीम कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि. ने कई कदम उठाए हैं। कई कोलियरियों से कोयला, जिसमें स्टीम कोयले की आपूर्ति करने वाली कोलियरियां भी शामिल हैं, की भी उदारीकृत बिक्री योजना (एल.एस.एस.) के तहत पेशकश की गई है। कोयला, जिसमें स्टीम कोयला भी शामिल हैं, की भी आपूर्ति एल.एस.एस. के तहत थोक बिक्री व्यापारियों तथा छोटे व्यापारियों को की जाती है, जोकि लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करते हैं।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. परियोजनाएं

4163. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी गुजरात राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तावित रसोई गैस परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक बहुल जिले

4164. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं और इनमें विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता क्या है ?

(ख) उन जिलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या इन जिलों का पता लगाने का मानदंड उस जिले की जनसंख्या तथा वहां सभी अनुपात पर आधारित है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबाळु) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I और II दी गयी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अधीन शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कार्य योजना के संदर्भ में 40 (अब 41) अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की सूची तैयार की गई थी। बाद में इस सूची का उपयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1.5-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया गया था।

विवरण-I

अल्पसंख्यक बहुल जिले

क्र. सं.	राज्य/जिला	अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत				
		मुस्लिम	क्रिश्चियन	सिख	बौद्ध	जोरो आस्ट्रियनज
1	2	3	4	5	6	7
आ. प्रदेश						
1.	कुरुनूल	16.95	2.89	नगण्य	—	—
2.	हैदराबाद	35.91	2.77	0.35	0.06	0.02
बिहार						
3.	दरभंगा	21.55	0.04	0.02	नगण्य	—
4.	पुर्णिया	41.59	0.08	0.02	नगण्य	—
5.	कटिहार	36.92	0.15	0.08	0.01	—
गुजरात						
6.	कच्छ	18.77	0.12	0.09	नगण्य	नगण्य
हरियाणा						
7.	गुड़गांव	30.80	0.08	0.47	0.01	—
कर्नाटक						
8.	बिदार	18.01	2.94	0.04	2.09	—
9.	बीजापुर	12.71	0.11	नगण्य	नगण्य	नगण्य
10.	गुलबर्गा	16.61	0.68	0.01	0.03	नगण्य

1	2	3	4	5	6	7
	केरल					
11.	किनौर	25.69	9.55	नगण्य	नगण्य	नगण्य
12.	वायनद	24.56	24.66	नगण्य	नगण्य	—
13.	कोशकोडा	33.95	4.80	नगण्य	नगण्य	नगण्य
14.	मालापुरम	65.51	2.38	नगण्य	—	—
15.	पालघाट	23.13	3.75	नगण्य	नगण्य	—
	मध्य प्रदेश					
16.	भोपाल	23.40	1.22	0.76	0.91	नगण्य
	महाराष्ट्र					
17.	ग्रेटर बम्बई	14.80	4.79	0.63	5.67	0.61
18.	औरंगाबाद	15.97	0.99	0.11	7.89	नगण्य
	राजस्थान					
19.	जैसलमेर	23.19	0.05	0.16	—	—
	उत्तर प्रदेश					
20.	सहारनपुर	31.57	0.14	0.79	0.02	नगण्य
21.	मुजफ्फरनगर	28.74	0.08	0.40	0.02	—
22.	बिजनौर	39.45	0.09	1.16	0.04	—
23.	मेरठ	25.30	0.36	0.24	0.15	—
24.	गाजियाबाद	21.17	0.09	0.45	0.07	—
25.	मुरादाबाद	38.06	0.21	0.25	0.04	—
26.	रामपुर	47.22	0.62	3.53	0.01	नगण्य
27.	पीलीभीत	21.12	0.12	3.90	नगण्य	—
28.	बहरैच	25.02	0.08	0.16	नगण्य	—
29.	बस्ती	20.40	0.03	नगण्य	0.01	—
30.	गोंडा	22.48	0.01	0.03	—	—
31.	बाराबंकी	20.45	0.03	0.01	नगण्य	—
32.	देवरिया	20.72	0.04	नगण्य	नगण्य	—

1	2	3	4	5	6	7
प. बंगाल						
33.	कुच बिहार	20.78	0.08	नगण्य	0.02	-
34.	प. दिनाजपुर	35.79	0.81	नगण्य	0.01	-
35.	मालदा	45.27	0.20	नगण्य	नगण्य	-
36.	मुर्शिदाबाद	58.66	0.10	0.01	नगण्य	-
37.	नादिया	24.08	0.69	नगण्य	नगण्य	नगण्य
38.	हावड़ा	20.17	0.16	0.08	0.02	नगण्य
39.	बृहमूम	30.98	0.24	0.01	नगण्य	-
40.	24 उ. परगना	23.87	0.52	0.06	0.04	नगण्य
41.	24 द. परगना					

विवरण-II**अल्पसंख्यक बहुल जिले**

क्र. सं.	धर्म	देश की कुल आबादी 1981 की जनगणना की तुलना में 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत
1.	मुस्लिम	36.71
2.	क्रिश्चियन	8.75
3.	सिख	1.91
4.	बौद्ध	14.98
5.	जोरो अस्ट्रियनज	70.65

मोतियाबिंद का आपरेशन

4165. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान राज्यवार मोतियाबिंद आपरेशन के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) उपरोक्त अवधि में वास्तविक उपलब्धि क्या थी;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मोतियाबिंद आपरेशन पर होने वाले खर्च को वहन करने हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है, और

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ जनवरी-फरवरी, 1994 में बातचीत की गई है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य को शामिल किया गया है।

विवरण

कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 1990-91	उपलब्धि 1990-91	लक्ष्य 1991-92	उपलब्धि 1991-92	लक्ष्य 1992-93	उपलब्धि 1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	136000	125408	200000	129365	200000	117936
2.	अरुणाचल प्रदेश	500	198	600	242	600	251
3.	असम	15000	13392	25000	17252	25000	17223
4.	बिहार	105000	56412	155000	70000	155000	60083
5.	गोवा	2000	2774	2200	2568	3000	3108
6.	गुजरात	77000	104819	110000	122239	122000	124896
7.	हरियाणा	39000	30303	60000	51782	62000	63834
8.	हिमाचल प्रदेश	7000	4698	10000	7824	10000	7938
9.	जम्मू व कश्मीर	4000	4130	1000	7134	7000	4847
10.	कर्नाटक	54000	34149	90000	65078	90000	77760
11.	केरल	20000	20647	50000	24003	50000	23079
12.	मध्य प्रदेश	108000	91954	150000	113227	150000	117968
13.	महाराष्ट्र	110000	159410	180000	188251	191000	207902
14.	मणिपुर	1000	364	2000	364	1500	523
15.	मेघालय	3000	2312	5000	1356	4400	1030

1	2	3	4	5	6	7	8
16. मिजोरम		400	237	400	171	400	132
17. नागालैंड		600	95	600	76	250	158
18. उड़ीसा		35000	20341	70000	19641	60000	28175
19. पंजाब		39000	67081	10000	94017	90000	102531
20. राजस्थान		86000	84830	130000	80654	125000	81623
21. सिक्किम		100	116	1000	209	500	292
22. तमिलनाडु		108000	88634	160000	151323	160000	171946
23. त्रिपुरा		3000	1928	4000	2381	3000	2978
24. उत्तर प्रदेश		216000	197363	320000	247083	300000	234759
25. पश्चिम बंगाल		95000	57830	150000	90202	150000	116032
26. अंडमान और निको. द्वीप समूह		200	171	600	177	400	140
27. चंडीगढ़		2000	5266	5000	2579	4585	2513
28. दादरा और नागर हवेली		200	34	500	40	290	102
29. दमन और दीव			0	1000	0	100	194
30. दिल्ली		17000	19551	25000	18573	30000	30000
31. पांडिचेरी		2000	2547	5000	2475	4000	3337
32. लक्षद्वीप		10	2	100	19	50	13
33. ई.एस.आई.ए. एफ.सी.आर.			852		7077		1417
भारत		1286010	1198528	1990000	1516382	2000000	1604926

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

4166. श्री डा. चिंता मोहन :
 श्री गुमान मल लोढ़ा :
 डा. महादीपक सिंह शाक्य :
 श्री नीतीश कुमार :
 श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मझौली कितनी सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूरा नहीं हो पाने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा हो जाएगा;

(ग) इन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है, और

(घ) इनका कार्य पूरा करने के लिए कुल कितनी अनुमानित धनराशि की आवश्यकता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) 54,470 करोड़ रुपए, 4797 करोड़ रुपए तथा 6309 रुपए की अनुमानित लागत की क्रमशः 158 वृहद, 226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं आठवीं योजना में आगे लायी गयी हैं। परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, लागत बढ़ने, ठेका संबंधी समस्याओं, जल आंदोलन तथा निधियों के अपर्याप्त की वजह से हुआ है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान 55 वृहद, 98 मध्यम और 15 विस्तार/नवीकरण आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) इन परियोजनाओं पर मार्च, 1992 के अन्त तक व्यय की गयी राशि 7540 करोड़ रुपए है।

(घ) उनको पूरा करने के लिए 4490 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

बछावत न्यायाधिकरण का निर्णय

4167. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
 श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा, गोदावरी नदियों के जल के प्रयोग हेतु बछावत न्यायाधिकरण के निर्णय का अब तक कार्यान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) उक्त निर्णय का कब तक कार्यान्वयन कराया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय नदियों गोदावरी व कृष्णा और उनकी नदी घाटियों के संबंध में जल विवादों का अधिनिर्णय करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 10 अप्रैल, 1969 को न्यायमूर्ति आर.एस. बछावत की अध्यक्षता में क्रमशः गोदावरी जल विवाद अधिकरण एवं कृष्णा जल विवाद अधिकरण गठित किये थे। कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 27 मई, 1976 को दी थी और गोदावरी जल विवाद अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 7 जुलाई, 1980 को दी। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार भारत सरकार ने कृष्णा जल विवाद अधिकरण और गोदावरी जल विवाद अधिकरण के निर्णय क्रमशः 31 मई, 1976 व 26 जुलाई, 1980 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिये थे। इस प्रकार ये पक्षकार राज्यों पर अंतिम और बाध्यकारी हो गए। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में की गयी व्यवस्था के अनुसार इन निर्णयों को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

4168. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण/नवीकरण हेतु चुनी गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर कुल कितना खर्च किया जाएगा;

(ग) इनमें से विदेशी सहायता प्राप्त कर रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, तथा उन्हें कितनी सहायता दी जा रही है, और

(घ) इन परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/नवीकरण करने के बाद कुल कितने क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई की जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) एक वृहद परियोजना नामशः बैतरणी तथा तीन मध्यम परियोजनाओं नामशः एनली, पितामहल और बोलिदहा को 185.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर आठवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए शुरू किया गया है।

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना बाह्य सहायता प्राप्त नहीं कर रही है।

(घ) इन परियोजनाओं में कोई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना नहीं की गयी है, किन्तु ये विद्यमान कमान क्षेत्रों में सिंचाई के स्थरीकरण के लिए हैं।

[हिन्दी]

नीले रंग का मिट्टी का तेल

4169. श्री डा. साक्षी जी :

श्री बोल्ता बुल्ली रामय्या :

श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नीले रंग के मिट्टी के तेल की सप्लाई करने की केन्द्रीय योजना का चालू वर्ष के दौरान चरणबद्ध रूप में अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इतका दिम्तार सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में कब तक कर दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) 15 अप्रैल, 1994 तक 89 स्थानों से आपूर्ति किए जाने वाले बाजारों में नीला रंग रंजित मिट्टी के तेल को शुरू किया गया है तथा यह आशा की जाती है कि अप्रैल 1994 के अंत तक सभी स्थानों को कवर कर लिया जाएगा, ताकि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल नीले रंग रंजित मिट्टी के तेल की ही आपूर्ति की जा सके।

[अनुवाद]

दिल्ली में रैली का आयोजन

4170. डा. लाल बहादुर रावल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद में दो बच्चों की वीभत्स हत्या के विरुद्ध दिल्ली में मार्च, 1994 के प्रथम सप्ताह में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि 2 फरवरी, 94 को हैदराबाद में 9वीं गढ़वाल रेजीमेंट के हवलदार के दो बच्चों की हत्या के विरोध में दिल्ली प्रदेश भा.ज.पा. के उत्तरांचल प्रकोष्ठ ने 2 मार्च, 1994 को जन्तार-मन्तर, नई दिल्ली पर प्रदर्शन किया।

वे केन्द्रीय गृह मंत्री के कार्यालय की तरफ बढ़ना चाहते थे किन्तु उन्हें थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के सामने रोक दिया गया। कुल 487 व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत लगभग 12.10 बजे निरुद्ध किया गया और लगभग 12.15 बजे छोड़ दिया गया।

(ग) प्रदर्शनकारियों से कोई ज्ञापन नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बम विस्फोट

4171. श्री अमर रायप्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1993 के दौरान हुए बम विस्फोटों में अन्तर्राष्ट्रीय हाथ होने की कोई संभावना थी;

(ख) इस संबंध में करायी गयी जांच का ब्योरा क्या है, और

(ग) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कुछ बम-विस्फोटों के मामलों की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने में सहायता प्रदान करने और इसके लिए उकसाने में पाकिस्तान की अन्तर्ग्रस्तता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जांच से यह भी पता चला कि बंबई बम विस्फोट करने में अन्तर्ग्रस्त कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच प्रगति पर है। चूंकि विषय वस्तु संवेदनशील है। अतः इस संबंध में और ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा।

पुलिस हिरासत में मौतें

4172. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नौ महीनों के दौरान विभिन्न संघ-राज्य क्षेत्रों में पुलिस हिरासत में कुल कितने व्यक्तियों की मौत होने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) कितने पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, की सरकार ने पिछले 9 महीनों (जुलाई, 93 से मार्च, 94) के दौरान पुलिस हिरासत में दो मौतों का होना सूचित किया है। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी से भी एक मामला सूचित हुआ है। किसी अन्य संघ शासित क्षेत्र से ऐसी कोई अन्य घटना सूचित नहीं हुई है।

(ख) और (ग) दिल्ली में घटित मौत की एक घटना में भा.द.स. की धारा 304-क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है तथा मामला जांच पड़ताल हेतु लम्बित है। तथापि, सरकारी कार्य का निष्पादन करने में लापरवाही बरतने के लिए पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा

रही है। दिल्ली में हुई मौत की एक अन्य घटना में भा.द.सं. की धारा 341/342/304/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है तथा जांच पड़ताल हेतु लम्बित है। तथापि, विभागीय जांच की कार्रवाई के दौरान, चार कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है।

संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी से सूचित हुए एक मामले में अभी तक किसी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं पाया गया है। तथापि, आठ पुलिस कार्मिकों के खिलाफ एक आपराधिक मामला लम्बित है।

1991 की जनगणना

4173. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में 1991 की जनगणना से संबंधित कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या मितव्ययिता उपाय के रूप में राजस्थान जनसंख्या निदेशालय ने ग्रुप-ख ग और घ में अनेक पद समाप्त कर दिए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) राजस्थान में 1991 की जनगणना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। सारणीकरण एवं प्रकाशन योजना के अनुसार जनगणना के शेष आंकड़ों संबंधी संसाधन और सारणीकरण का कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) सरकार के सामान्य अनुदेशों के अन्तर्गत मितव्ययिता उपायों के रूप में जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान में समूह "ग" के केवल 10 पदों को समाप्त किया गया है।

“रेडियल केराटोमी”

4174. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ‘रेडियल केराटोमी’ लेसर आपरेशन से अंधापन हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में महामारी का फैलना

4175. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन दिल्ली के अस्पताल स्थानीय अपशिष्ट पदार्थों को और अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को स्रोत पर ही अलग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली में महामारी फैलने का खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पतालों में अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जलाने की कोई व्यवस्था है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नये अस्पताल

4176. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल प्रत्येक राज्य में खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इनकी स्थापना कब तक की जायेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

रानीगंज सुदृढीकरण कार्यक्रम

4177. **श्री हाराधन राय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) रानीगंज सुदृढीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र को शामिल किया जाएगा;

(ख) इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) अभी तक कुल कितने क्षेत्र को सुदृढीकरण हेतु लिया गया है;

(घ) यह कार्य कितने समय में पूरा किया जाना था;

(ङ) इस कार्यक्रम के लिए अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि खर्च की गई;

(च) कोल इंडिया लि. और अन्य सरकारी एजेंसियों से इस कार्यक्रम के लिए अब तक कितनी राशि प्राप्त की गई है, और

(छ) नमूना अध्ययन शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (च) पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड्स के कुछ क्षेत्र धंसावबहुल क्षेत्र हैं, जो कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले अवैज्ञानिक तरीके से किए गए उत्खनन क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न हुए हैं। धंसाव की समस्या अवैध-खनन के कारण वृद्धि हो गई है, जिसे राज्य सरकार को कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाना है। एक शीर्षस्थ निगरानी समिति, जिसमें कोयला कंपनियों के प्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन, खान सुरक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान और प्रमुख व्यक्ति (विधायक एवं सांसद) शामिल हैं, जिसके माननीय सांसद भी एक सदस्य हैं, की स्थापना रानीगंज के 49 अस्थिर क्षेत्रों की जांच करने के लिए गठित की गई है। इस समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि 38 क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 11.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, असुरक्षित हैं, जिसमें लगभग 4.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से निर्मित मकानों के अंतर्गत आता है, जो कि पश्चिम बंगाल के असुरक्षित क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध अधिनियम, 1979 के तहत प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद निर्मित किए हैं।

चूँकि पुराने अस्थिर कार्यों के नक्शे उपलब्ध नहीं हैं, ई.को.लि. ने अपने स्तर पर स्थिरीकरण परियोजना शुरू की है जिसका प्रमुख उद्देश्य उपयुक्त तकनीक विकसित करना है। 8.72 हेक्टेयर (0.0872 वर्ग किलो मीटर) के क्षेत्र को देशीय रूप में विकसित हाइड्रो-न्यूमैटिक रेत भराई तकनीक जांच किए जाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 3.76 करोड़ रुपये की है। मार्च, 1994 तक इस योजना पर व्यय की गई राशि लगभग 1.53 करोड़ रुपये की है, जिसकी कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क संग्रहित करके प्रतिपूर्ति की जा रही है।

भूमि पर धंसाव रोधक योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों का सजग सहयोग अपेक्षित है, ताकि क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में रह रही जनसंख्या के पुनर्वास एवं स्थानान्तरण की समस्या से निपटा जा सके। इस पृष्ठ भूमि में पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि विद्यमान आसनमोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी.डी.ए) जो कि पश्चिम बंगाल के शहर एवं ग्रामीण आयोजन अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी, को सुदृढीकरण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। सर्वेक्षण, योजना और योजना/परियोजना को तैयार करने/डिजाइन बनाने के लिए तकनीकी आगत, कोल इंडिया लि./ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा तकनीकी प्राधिकारियों को ए.डी.डी.ए. में नियुक्त करके उपलब्ध करायी जाएगी। 5 करोड़ रुपये की राशि को मूल राशि के रूप में योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने के लिए इस प्रयोजन के लिए भी आवंटित कर दी गई है। इस उद्देश्य के लिए संस्थागत प्रबंधक की स्थापना से संबंधित मामला अभी भी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श के अधीन है।

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अनुसार न तो भारत सरकार अथवा न ही कोल इंडिया लि. (अथवा इसकी सहायक कंपनी) नियम में किसी तरह के उल्लंघन/देनदारी के लिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के लिए जिम्मेदार नहीं है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973 और पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार एवं उत्पादन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उपकरण का संग्रहण करती रही है। यह ठीक है कि इन

संग्रहीत राशियों में से कुछ भाग कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उत्थान तथा उनकी सुविधाओं पर खर्च की जानी थी।

प्रौद्योगिकी के चयन का प्रश्न, जो कि धंसाव की समस्या से निपटने तथा समयावधि से सम्बद्ध है, जब तक कि सम्पूर्ण क्षेत्र को सुदृढीकृत किया जा सकता है, उसके संबंध में धंसाव नियंत्रण से संबंधित निष्पादित कार्यों के लिए संस्थानात्मक व्यवस्था किए जाने के बाद ही सुनिश्चय किया जा सकता है।

(छ) केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र ने एक मॉडल अध्ययन किया है। भूमिगत क्रियाकलनों के वास्तविक फैलाव की जानकारी न होने की स्थिति में मॉडल में एक सही प्रतिनिधियात्मक परिस्थिति पैदा नहीं की जा सकती।

बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

4178. श्री प्रेम चंद राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा बिहार में बाढ़ नियंत्रण हेतु बनाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने व्यापक थल सर्वेक्षण करने के बाद कोई योजना भेजी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में 42.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का आंकलन किया है।

(ख) बिहार में बाढ़ लाने वाली सभी नदियों के बाढ़ प्रबंध, जिसमें लघु आवधिक और दीर्घावधिक उपाय शामिल हैं, के लिए व्यापक योजना तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त, लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रूफिंग के लिए एक योजना भी बनायी गयी है। विस्तृत भूमि सर्वेक्षण करने के बाद अलग-अलग योजनाएं बनाने के वास्ते इन योजनाओं को राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ग) बिहार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत 251.71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गंगा बेसिन राज्यों, जिनमें बिहार भी शामिल है, में बाढ़ प्रूफिंग योजनाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में आठवीं योजना में 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध की गयी है।

(घ) से (च) कोई नई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

अम्बेडकर भवन

4179. श्री वी. कृष्णा राव :

श्री के.जी. शिवप्पा :

श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर डा. भीमराव अम्बेडकर भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की है, और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) जी, नहीं। कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में जिला मुख्यालयों पर डा. भीमराव अम्बेडकर भवन के निर्माण के किसी प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्त बैंक

4180. श्री पीटर जी. मरबनिआंग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मेघालय में कितने रक्त बैंक कार्यरत हैं और ये बैंक कहां-कहां हैं;

(ख) इनमें से कितने रक्त बैंक में एड्स परीक्षण के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के सभी रक्त बैंक को एड्स परीक्षण के उपकरणों से सुसज्जित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) मेघालय में 9 रक्त बैंक हैं, जिनमें से तीन शिलांग में तथा एक-एक तुरा, जोवाई, विलियम नगर, नोंगपोह, नोंगसटोयन तथा बाघमेरा प्रत्येक में स्थित है।

(ख) पाश्चूर संस्थान, शिलांग के रक्त बैंक को एड्स जांच (एलिसा रीडर) उपस्कर से सुसज्जित किया है। यह केन्द्र एक जौनल रक्त जांच केन्द्र के रूप में कार्य करता है तथा शिलांग में एक मिमिटरो तथा दो प्राइवेट रक्त बैंकों को संयोजन प्रदान करता है।

(ग) और (घ) एच.आई.वी. जांच सुविधाएं अर्थात् द्रुत जांच किटें, सभी 6 जिला रक्त बैंकों को प्रदान की गई हैं।

कम तोल वाले रसोई गैस सिलेन्डरों की बिक्री

4181. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1993 के दौरान कर्नाटक में रसोई गैस एजेंसियों द्वारा कम तोल वाले सिलेन्डरों की बिक्री और पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल में मिलावट के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुलिस दूरसंचार प्रणाली

4182. श्री श्रीकांत जेना :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) जी, नहीं, श्रीमान्। तथापि, जब इस परियोजना की रूपरेखा पहले पहल तैयार की गई थी उस समय से प्रौद्योगिकी में कई विकास हुई/हुए हैं और लागत में बढ़ोत्तरी भी हुई है, जिससे परियोजना की पुनरीक्षा आवश्यक हो गई है।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

4183. श्री रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. की सप्लाई में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा गैर-सरकारी वाहनों से दुलाई पर प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाता है;

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा उपकरण और मशीनें खरीदी गई हैं, और

(.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा उस पर कितना खर्च किया गया है।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) से प्रेषित किए गए कच्चे कोयले का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1991-92	25.181 मि.टन
1992-93	26.720 मि.टन
1993-94	28.494 मि.टन (अनन्तिम)

(ग) वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान परिवहन संविदाकर्ताओं को भा.को.को.लि. द्वारा अदा की गई कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

1991-92	1267.65
1992-93	2017.00
1993-94	2879.00 (अनन्तिम)

(घ) और (ङ) भा.को.को.लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार निम्न उपकरण तथा मशीनरी, जो कि प्रेषणों में वृद्धि किए जाने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती है, उनके द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान खरीद की गई :

1992-93		1993-94	
उपकरणों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	उपकरणों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
ट्रिपर्स 22	111.76	12	58.38
पेलोडर्स 13	413.06	10	183.04

कश्मीरी विस्थापित

4184. श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्री अन्ना जोशी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं;

(ख) दिल्ली चंडीगढ़, गाजियाबाद और जम्मू में पृथक-पृथक ऐसे कितने विस्थापित रह रहे हैं;

(ग) इन विस्थापितों को उनके आजीविकोपार्जन हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(घ) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विस्थापितों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि दी गई और 1994-95 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीरी में आतंकवादी हिंसा के कारण लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों का कश्मीर घाटी से देश के अन्य भागों में चले जाने का अनुमान है। इनमें से 27,000 परिवार जम्मू में, 18,800 परिवार दिल्ली में, 421 परिवार गाजियाबाद, में और 17 परिवार चंडीगढ़ में रह रहे हैं।

प्रवासियों को स्थायी रूप से घाटी से बाहर बसाने का कोई विचार नहीं है। इसलिए उनमें नगद सहायता और राशन, यथा अपेक्षित अस्थायी आवास, शिक्षा सुविधा के रूप में राहत और बैंक खातों को चलाने, जीवन बीमा पॉलिसियों का नवीकनीकरण करने, प्रवासी कर्मचारियों को वेतन/पेंशन का भुगतान से संबंधित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह उम्मीद है कि स्थिति में सुधार होने पर प्रवासी अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, जिसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

राहत के भुगतान और अन्य संबंधित मामलों पर होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने बजट से की जा रही है।

[अनुवाद]

“एमनेस्टी इन्टरनेशनल”

4185. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री पी.पी. कालियापेरुमल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने 1992 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में 1 जनवरी, 1985 और 1 मई, 1992 के बीच विभिन्न राज्यों में हिरासत में हुई मौत के 415 मामलों को प्रलेखित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में इस प्रकार के अधिक मामले दर्ज किए हैं जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या 1992 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात् हिरासत में हुई मृत्यु के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1992 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में 01-01-85 से 01-05-92 के बीच विभिन्न राज्यों में हिरासत में हुई मौतों के सूचित किए गए 415 मामलों का उल्लेख किया था। बाद में उन्होंने 69 मामलों की एक अतिरिक्त सूची भी उस समय दी थी जब उनके शिष्टमंडल ने नवम्बर, 92 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। प्रत्येक राज्य के मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा उल्लिखित आरोपों के संबंध में वास्तविक स्थिति जानने के लिए यह मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित सम्पर्क में रहा है और उन्हें तथ्य तथ्य भी मुहैया कराता रहा है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1992 में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद हिरासत में हुई मौतों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है।

विवरण

1-1-85 के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा सूचित की गई हिरासत में हुई मौतों की संख्या का ब्यौरा

राज्य	मार्च, 92 में सूचित मामले	नवंबर, 92 में सूचित मामले	योग
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	31	2	33
असम	22	7	29
बिहार	49	2	51
हरियाणा	4	0	4
जम्मू और कश्मीर	28	7	35
कर्नाटक	6	3	9
केरल	12	7	19
मध्य प्रदेश	20	2	22
महाराष्ट्र	21	1	22
मणिपुर	19	0	19

1	2	3	4
दिल्ली	37	8	45
उड़ीसा	6	1	7
पंजाब	28	1	29
राजस्थान	6	1	7
सिक्किम	1	0	1
तमिलनाडु	21	14	35
उत्तर प्रदेश	61	7	68
पश्चिम बंगाल	43	5	48
गुजरात	0	1	1
	415	69	484

[हिन्दी]

राजमहल कोयला परियोजना

4186. श्री नीतीश कुमार :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा राजमहल कोयला परियोजना की स्थापना कनाडा स्थित मेट केम बहुराष्ट्रीय कंपनी की सलाह पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) परियोजना की अनुमानित कुल निर्माण लागत कितनी है तथा मेट केम कंपनी को परामर्श देने के लिए कुल कितनी धनराशि देने का फैसला किया गया है;

(ङ) क्या परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी विदेशी स्रोतों से की गई है;

(च) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना के लिए कुल कितनी प्रतिशत विदेशी आर्थिक सहायता मिलना सुनिश्चित हो गया है;

(छ) क्या निर्माण लागत परियोजना की अनुमानित लागत से बढ़ने की संभावना है, और

(ज) यदि हां, तो परियोजना के निर्माण पर अंतिम रूप से अनुमानित लागत कितनी आएगी और यह परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) राजमहल परियोजना का 5 मि. टन से 10.5 मि. टन तक प्रति वर्ष का विस्तार कार्यक्रम कनाडा की सहायता से शुरू किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संविदा कोल इंडिया लि. की संविदा और कनाडा वाणिज्यिक कारपोरेशन, जो कि कनाडा सरकार का एक अभिकरण है, के बीच निष्पादित किया गया था। कनाडा वाणिज्यिक कारपोरेशन द्वारा दी गई सहायता के विस्तृत कार्य क्षेत्र में निम्न शामिल हैं : प्रबंधन एवं तकनीकी सेवाएं, लागत निर्माण तथा परियोजना कार्यक्रम, निर्माण प्रबंधन, तकनीकी निरीक्षण, अनुमोदन तथा अधिप्राप्ति।

(घ) और (ङ) इस परियोजना की कुल संशोधित लागत 966.7 करोड़ रुपये की है। कनाडा की सहायता की राशि 166 मिलियन कनाडाई डालर है। इसमें से तकनीकी परामर्शदात्री तथा पर्यवेक्षक संबंधी प्रभार 42.75 मिलियन कनाडाई राशि के हैं। इस परियोजना की विदेशी मुद्रा की राशि कनाडा की निर्यात विकास निगम से रियायती ऋण के अंतर्गत आती है।

(च) प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता की राशि लगभग 41.533% है।

(छ) और (ज) वर्तमान में स्वीकृत लागत में और आगे वृद्धि होने की कोई प्रत्याशा नहीं है और पूरा किए जाने संबंधी कार्यक्रम की अवधि मार्च, 1995 तक की है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति

4187. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के औषधि आपूर्तिकर्ताओं ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति करनी मार्च, 1994 में बन्द कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति कितने दिन स्थागित रही;

(घ) क्या इस बीच केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति शुरू हो गयी है, और

(ङ) इस संबंध में औषधि विक्रेताओं के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) भुगतान में विलम्ब होने के कारण केमिस्टों द्वारा 11-3-94 से 16-3-94 तक छह दिन के लिए औषधों की आपूर्ति रोक दी गई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य कार्यक्रम

4188. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1994-95 के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया है, और

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के लिए आन्ध्र प्रदेश में इन कार्यक्रमों पर कितना खर्च किया जायेगा और उसके कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 1994-95 के दो वर्षों के लिए कुल आवंटित बजट 15,306,300 अमेरिकी डालर है।

(ख) राज्यवार आवंटन नहीं किये गये हैं।

इन्जेक्शन द्वारा दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन

4189. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन्जेक्शन द्वारा दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन को प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के पक्ष में नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अहमदाबाद, जोधपुर, नागपुर और नई दिल्ली में कराये गये बहु-केन्द्रीय अध्ययन से यह पता चला है कि काली खांसी, टेटनस और कुकुर खांसी के लिए दी जाने वाली वैक्सीन सहित इन्जेक्शन द्वारा दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन सीधे मुंह द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन से अधिक असरदार होती है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन एक प्रभावी वैक्सीन है, क्योंकि पोलियो के उन्मूलन के लिए केवल यही एक उपयुक्त वैक्सीन है। इन्जेक्शन से दी जाने वाली

पोलियो वैक्सीन जो अच्छी व्यक्तिगत रोग प्रतिरक्षता प्रदान करती है, पोलियो उन्मूलन की कार्यनीतियों के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"दमा" के लिए प्रिक टेस्ट

4190. श्री आनन्द अहिरवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 23 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमा, कोल्ड-रेशेज, जोड़ो के दर्द, एग्जिमा, आदि बीमारियों के लिए सुइयां चुभाए बिना एलर्जी टेस्ट की प्रणाली विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आम लोगों के लाभ के लिए सरकारी अस्पतालों में इन टेस्टों को आरंभ करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कुछ प्रकार के एकजीमा तथा पित्ती के लिए त्वचा को प्रिक किए बिना पैच जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश में केंद्र द्वारा चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाएं

4191. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केंद्र द्वारा चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाएं इस समय किस चरण में हैं, और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) उत्तर प्रदेश में कोई केन्द्रीय प्रायोजित सिंचाई परियोजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहु-औषधि चिकित्सा-विज्ञान

4192. श्री बसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुष्ठ रोगियों के लिए बहु-औषधि चिकित्सा विज्ञान की सुविधाएं देश के कुछ और जिलों में भी प्रदान करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहु-औषधि चिकित्सा इस बीमारी को रोकने में सफल रही है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। शेष 66 स्थानिकमारी वाले जिलों और 77 साधारण स्थानिकमारी वाले जिलों को बहु-औषध उपचार के तहत लाया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1981 में 4 मिलियन कुष्ठ रोगियों की तुलना में जनवरी, 1994 के अंत में 9.55 लाख रोगी ही दर्ज थे। अभी तक उपचार के उपरांत 7.8 मिलियन से अधिक कुष्ठ रोगियों को छुट्टी दे दी गई है और इनमें से 4.2 मिलियन रोगी बहु-औषध उपचार वाले ही हैं।

[हिन्दी]

नेत्र बैंक

4193. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

प्रो. प्रेम धूमल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नेत्र बैंक हैं;

(ख) 1992-93 तथा 1994 में इन बैंकों से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को देश में नेत्र बैंकों के कार्यकरण में निष्क्रियता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) देश में 88 नेत्र बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) 1992-93 के दौरान 12729 नेत्र एकत्र किए गए, जिनमें से 8800 नेत्रों का उपयोग किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरोहों का भंडाफोड़

4194. प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन :

श्री पी.सी. थामस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने देश के अन्य भागों से लड़कियों को नौकरियों का लालच देकर दिल्ली लाने में संलग्न किन्हीं गिरोहों का हाल ही में भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गिरोहों की कार्य-प्रणाली क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि कुछ लड़कियों द्वारा शिकायत की गई थी कि सीतापुरी निवासी सुन्दम नामक एक व्यक्ति, उनको दिल्ली में रोजगार दिलवाने के बहाने केरल से दिल्ली लाया था। तथापि, उसने उनको अपने घर में बन्द रखा और उनका शील भंग किया। जांच पड़ताल के दौरान, एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया। भा.द.सं. की धारा 420/342/354/376 के अधीन एक मामला थाना डाबरी पर दर्ज किया गया और दो व्यक्तियों का गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त फरार है। पीड़ित तथा अभियुक्त केरल के रहने वाले हैं।

वरिष्ठ नागरिक

4195. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकता शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में लोगों को शामिल करने हेतु क्या मानदंड है;

(ग) क्या इन नागरिकों को पेंशन अथवा मानदेय देने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) देश में वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही प्रस्तावित अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.बी. तंकाबालु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान कर रहे हैं। पात्रता संबंधी मानदण्ड तथा पेंशन की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पेंशन की दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) कल्याण मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहायता संबंधी एक केन्द्रीय योजना दिनांक 1-4-92 से कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत दिवा देखाभाल केन्द्रों, वृद्धावस्था गृहों तथा सचल चिकित्सा देखाभाल सेवाओं को स्थापित करने/जारी रखने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इन संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यय के 10% का अंशदान करें तथा यदि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों तो 5% का अंशदान करें। तथापि, यह बताया जाता है कि सचल चिकित्सा देखाभाल सेवाओं, चिकित्सकों को मानदेय, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नर्सों, अंशकालिक रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों, ड्राइवर, आयोजक तथा हेल्पर के वेतन का भुगतान निश्चित दर पर किया जाता है। दवा पर होने वाले व्यय, जिसमें पैथोजॉजिकल जांच के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह, ईंधन तथा प्रतिमाह 500 रुपये की दर से वैन के रखरखाव, और 500 रुपये प्रतिमाह की दर से आकस्मिक शुल्क शामिल हैं, का भी भुगतान किया जाता है। तथापि, उपर्युक्त लागत के 10% का वहन संगठन को करना होता है। आदिवासी क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों के मामले में उनके द्वारा 5% लागत का वहन किया जाना है। वाहन की खरीद संगठन को करनी होगी। इस योजना के अंतर्गत वाहन की खरीद पर व्यय की जाने वाली लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती।

[अनुवाद]

कोयला धोवनशालाएं

4196. श्री गुमान मल लोढ़ा :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या कोयला मंत्री 16 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2292 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला धोवनशालाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है, और

(घ) क्या इन धोवनशालाओं का निर्माण मूल लागत से ही पूरा किया जा सकता था?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) दो कोककर कोयला वाशरियां अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) की मधुबंद और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. की केडला वाशरी वर्तमान में निर्माणाधीन है। प्रारंभ में मधुबंद वाशरी का निष्पादन में विलंब मुख्यतः "टर्न-की" संविदाकर्ता मेसर्स माइनिंग एंड एलाएड मशीनरी कारपोरेशन (एम.ए.एम.सी.) तथा इसके संविदाकर्ता द्वारा धीमी गति से कार्य निष्पादन किए जाने और केडला वाशरी के मामले में विलंब मुख्यतः निर्माण शुरू किए जाने में भूमि का वास्तविक रूप में कब्जा पाने में हुए विलंब के कारण हुआ। इन परियोजनाओं द्वारा समयावधि में हुए विलंब के कारण निर्माण कार्य मूल स्वीकृत लागत के अंदर पूरा नहीं किया जा सका। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित लागत अनुमान सरकार द्वारा स्वीकृत करने पड़े। इन वाशरी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। मधुबंद वाशरी के मार्च, 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है और केडला वाशरी कार्यक्रम के अनुसार संशोधित रूप में दिसम्बर, 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

जनजातीय कल्याण

4197. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत देश की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी जनजातीय जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप-योजना में प्रति व्यक्ति कितना निवेश किया गया;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक किन-किन आदिम जनजातियों का पता लगाया गया है, और

(घ) उनके लिए कार्यान्वित की जा रही/की जाने वाली कल्याण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आदिवासी उप-योजना के लिए राज्य योजना से उपलब्ध निधियों तथा विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) से उपलब्ध निधियों में से सातवीं योजना के दौरान प्रति व्यक्ति निवेश 2123.00 रुपये आंका गया है।

(ग) और (घ) कल्याण मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी आदिम जाति समूह की पहचान नहीं की है। तथापि, अभी तक 15 आदिवासी उपयोजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 74 आदिम जनजाति समूहों की पहचान की गई है। आदिवासी उप-योजना पद्धति के अधीन समेकित आदिवासी विकास परियोजना सहायता के अतिरिक्त इन समूहों के विकास के लिए अलग से राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निधियां भी प्रदान की जाती हैं। आदिवासी उपयोजना पद्धति के तहत इन समूहों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जाते हैं।

विवरण

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में शामिल अनुसूचित जनजाति जनसंख्यावार कार्यक्रम

(जनगणना 1981)
(रुपये लाख में)

राज्य	आई.टी.डी.पी. अ.ज.जाति जनसंख्या	भाड़ा जनसंख्या	समूह	पी.टी.जी. जनसंख्या	कुल
आंध्र प्रदेश	17.15	6.00	0.63	2.28	26.06
असम	13.10	—	—	—	13.10
बिहार	43.29	4.99	0.22	1.99	50.49
गुजरात	44.41	0.07	—	0.61	45.09
हिमाचल प्रदेश	1.04	0.20	—	—	1.24
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—
कर्नाटक	3.07	—	—	0.34	3.41
केरल	1.97	—	—	0.22	2.19
मध्य प्रदेश	82.58	6.10	0.36	3.95	92.99
महाराष्ट्र	22.06	3.34	0.85	3.59	29.84
मणिपुर	3.64	—	—	0.06	3.70
उड़ीसा	39.90	8.81	1.05	0.45	50.21
राजस्थान	18.30	10.33	0.34	0.34	29.31
सिक्किम	0.31	—	—	—	0.31
तमिलनाडु	2.10	—	—	1.44	3.54
त्रिपुरा	4.53	—	—	0.84	5.37
उत्तर प्रदेश	0.16	0.11	—	0.31	0.58
पश्चिम बंगाल	14.05	—	—	0.55	14.60
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.21	—	—	0.006	0.216
दमन और दीव	0.10	—	—	—	0.10
कुल	311.97	39.95	3.45	16.976	373.346

एड्स

4198. श्री दत्ता मेघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात को एड्स की रोकथाम हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान विश्व बैंक ने कितना धन दिया, और

(ग) प्रत्येक राज्य ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन महाराष्ट्र और गुजरात को प्रदान की गई धनराशि तथा अब तक किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है :

	1992-93		1993-94	
	जारी की गई राशि	सूचित व्यय	जारी की गई राशि	सूचित व्यय
महाराष्ट्र	90,67,000	73,64,000	1,66,68,600	16,84,041
गुजरात	56,41,000	शून्य	65,83,200	28,42,997

योजना के अनुसार अनुमोदित मदों के व्यय के लगभग 84% की विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

[अनुवाद]

उपकर तथा रायल्टी

4199. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने पश्चिम बंगाल सरकार को देय उपकर तथा रायल्टी का भुगतान अब तक नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है और अपनी सांविधिक देय राशियों का भुगतान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का इस विवादास्पद मुद्दे का किस तरह समाधान करने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अगस्त, 1991 में कोयले पर रायल्टी की दर में 20% की वृद्धि करते समय पश्चिम बंगाल सरकार की उपेक्षा की थी, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। को.इं.लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. की और पश्चिम बंगाल सरकार की उप-कर के रूप में 483.67 करोड़ रुपये की और रायल्टी के रूप में 2.20 करोड़ रुपये की उप-कर तथा रायल्टी की देय बकाया राशि शेष थी।

पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रमों की ओर कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि की तुलना में अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम और दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड जिनकी ओर कोल इंडिया लि. की 489.24 करोड़ रुपये की राशि 175.35 करोड़ रुपये की ब्याज की राशि बकाया है।

अतः 180.92 करोड़ रुपये की राशि देय है और यह राशि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम तथा दुर्गापुर परियोजना लि. की ओर कोल इंडिया लि. की देय है।

कोल इंडिया लि. ने यह सूचित किया है कि जबकि रायल्टी की अदायगी की जा रही है, किन्तु उप-कर तथा कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि को.इं.लि. और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मासिक आधार पर एक दूसरे के एवज में समायोजित की जा रही है। इस समायोजन दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श के लिए औपचारिक किए जाने की आवश्यकता है। किन्तु, पश्चिम बंगाल का उप-कर संबंधी दावा उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई हेतु विचाराधीन है, जिस पर अंतिम सुनवाई की समीक्षा की जा रही है। अतः उक्त समायोजन विभेदन से किया गया है।

(घ) और (ङ) कोयले पर रायल्टी की दरों में 1-8-1991 से वृद्धि की गई थी। वृद्धि की गई थी। वृद्धि की दरें असम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में उत्पादित कोयले के लिए प्रभावी नहीं की गई थी। चूंकि, ये दोनों राज्य कोयले पर ऊंची दर पर उप-कर लगा रहे थे, अब असम सरकार ने उप-कर को वापस ले लिया है और रायल्टी की संशोधित दरों को लागू कर दिया गया है।

रसोई गैस और एल.एस.एच.एस. का आयात

4200. श्री श्री चित्त बसु :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री राम निहोर राय :

श्री राजनारायण :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी का तेल, रसोई गैस और एल.एस.एच.एस. के लिए दोहरी विपणन प्रणाली के लागू होने के बाद इसकी आपूर्ति में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब निजी क्षेत्र की कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों को इन मदों के आयात की अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन वस्तुओं के बाजार मूल्य पर नई नीति का क्या असर पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क), (ख) और (घ) 1993-94 के दौरान निजी विपणनकर्ताओं द्वारा कैरोसीन तथा एल.पी.जी. (रसोई गैस) की आयातित मात्राएं निम्नानुसार हैं :

कैरोसीन आयल	-	102.6 टी.एम.टी. 30 मार्च, 94 की स्थिति के अनुसार
एल.पी.जी. (रसोई गैस)	-	11.1 टी.एम.टी. 12 अप्रैल, 94 की स्थिति के अनुसार

समानांतर विपणन प्रणाली के तहत अभी तक एल.एस.एच.एस. का आयात नहीं हुआ है। तथापि एक पार्टी ने 8 टी.एम.टी. लो सलफर वैक्सी रेसीड्यू आयात किया है।

(ग) जी, हां।

(ङ) आयातित उत्पादों को बाजार निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता/जा सकता है।

[हिन्दी]

एड्स परीक्षण की मशीनें/किट्स

4201. श्री भीम सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के सभी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को एड्स परीक्षण की मशीनों/किटों की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एड्स परीक्षण की इन मशीनों/किटों का रख-रखाव ठीक से नहीं हो रहा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उनके रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) एच.आई.वी. किटें तथा उपस्कर 62 निगरानी केन्द्रों, 150 जोनल रक्त जांच केन्द्रों तथा 9 संदर्भ केन्द्रों को सप्लाई किए

गए हैं। इनमें से ज्यादातर विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए तथा कुछ यू.एस. एड के जरिए खरीदे गए थे।

(ग) से (ड) उपस्करों के रख-रखाव के संबंध में विनिर्माता द्वारा प्रदान किया गया एक मैनुअल सभी केन्द्रों को सप्लाई किया गया है। इसके अलावा नियमित रूप से पर्यवेक्षी दौरे तथा यथा अपेक्षित मरम्मत कार्य करने के लिए सेवा अनुबंध किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले स्टेशन

4202. श्री के. प्रधानी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़-प्रवण मैदानी क्षेत्रों को जोनों में विभक्त करने तथा उनके मानचित्र तैयार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई, और

(ग) देश में स्थापित किए गए बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने जुलाई, 1975 में सभी सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को माडल बाढ़ प्लेन जोनिंग विधेयक परिचालित कर दिया था, ताकि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से संशोधित करने के बाद उसे अपना सकें। अभी तक मणिपुर और राजस्थान ने उपयुक्त कानून लागू किए हैं तथा हाल ही में बिहार और गुजरात सरकारों द्वारा भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 1978 में भारतीय सर्वेक्षण के जरिये सर्वेक्षणों का कार्यक्रम शुरू किया था। 7वीं योजना के अन्त तक लगभग 54,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था, तथा राज्य सरकारों को अपने उपयोग के लिए लगभग 80,000 सर्वेक्षण नक्शे जारी किए गए थे, ताकि बाढ़ जोखिम नक्शे तैयार किए जा सकें तथा बाढ़ अंचलों का सीमांकन किया जा सके।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश में स्थापित क्रांतिक स्थलों पर 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्य	बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	11
असम	23

1	2
बिहार	36
गुजरात	10
हरियाणा	1
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	7
उड़ीसा	11
उत्तर प्रदेश	33
पश्चिम बंगाल	14
दिल्ली	2
संघ राज्य क्षेत्र	
दादरा एवं नागर हवेली	2
योग	157

रब्बा फील्ड का विकास

4203. श्री जी.एम.सी. बालयोगी :

प्रो. उम्मारैडिड वेंकटेश्वरलु :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कृष्णा गोदावरी बेसिन के रब्बा क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुओं से कितने तेल का उत्पादन हुआ, और

(ख) उक्त अवधि में रब्बा क्षेत्र के विकास पर कितना खर्च हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान रब्बा अपतट से कच्चे तेल का उत्पादन 0.147 मिलियन टन था।

(ख) 1992-93 के दौरान तथा अप्रैल, 93 से जनवरी, 1994 की अवधि में विकास वेधन पर किया गया व्यय लगभग 26.43 करोड़ रुपये था।

हाई स्पीड डीजल का मूल्य नियंत्रण

4204. श्री सुल्तान सुलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम.बी. सिदनाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाई स्पीड डीजल पर से मूल्य नियंत्रण हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों के अनुरूप हाई स्पीड डीजल के मूल्य निर्धारित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

हरभंगी सिंचाई परियोजना

4205. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से हरभंगी सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने हेतु केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) मार्च, 1988 तक विश्व बैंक द्वारा पहले सहायता प्रदान की गयी हरभंगी मध्यम सिंचाई योजना के शेष भाग को उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव है जिस पर विचार किया जा रहा है, ताकि इसे विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

(ख) हरभंगी मध्यम सिंचाई योजना की लगभग 93.82 करोड़ रुपए की संशोधित लागत में से, 52.3 करोड़ रुपए की बैंक सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र

4206. श्री पी. कुमारसामी :

श्री सुधीर गिरि :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले राज्यवार/संघ राज्य/क्षेत्रवार कितने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण/कोचिंग केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन और कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेष रूप से उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें या तो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या अपर्याप्त है, में केन्द्रीय प्रायोजित कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अंतर्गत ऐसे और परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसे और केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय सचिव (कल्याण) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा लिया जायेगा। तदनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से नये परीक्षा पूर्व केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। इस उद्देश्य के लिए उनसे विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संस्थाओं की पहचान करने तथा सिफारिश सहित कल्याण मंत्रालय को अपने प्रस्ताव भेजने का भी अनुरोध किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कुछ चुनिंदा राज्यों में विख्यात अनुसंधान एजेंसियों को इस योजना पर कुछ अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	असम	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	बिहार	3

1	2	3
5.	गुजरात	8
6.	गोवा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	हरियाणा	6
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	7
11.	केरल	4
12.	महाराष्ट्र	3
13.	मध्य प्रदेश	13
14.	मिजोरम	—
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	नागालैंड	1
18.	उड़ीसा	16
19.	पंजाब	3
20.	राजस्थान	32
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	1
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	13
25.	पश्चिम बंगाल	4
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादरा और नागर हवेली	—
29.	दिल्ली	4

1	2	3
30.	दमन और दीव	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	1
कुल		135

पंजाब में भूमिगत जल का स्तर

4207. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भूमिगत जल का स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने राज्य में भूमिगत जल की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) जी नहीं, तथापि राज्य के कुछ क्षेत्रों में मौसम के अनुसार भूजल के स्तर में क्रमिक रूप से गिरावट देखी गयी है।

(ख) फतहगढ़, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, रोपड़ और संगरूर जिलों के कुछ भागों में जनवरी, 1994 में किए गए प्रेक्षणों के अनुसार जनवरी, 1993 में किए गए इसी प्रकार के प्रेक्षणों की तुलना में भूजल के स्तर में 2 से 4 मीटर तथा 4 मीटर से अधिक गिरावट देखी गयी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अनुसार पंजाब के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 17832.01 मिलियन घन मीटर आंके गए हैं।

(ङ) प्रायोगिक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण योजनाओं के प्रतिपादन के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं। बोर्ड द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण योजनाओं के प्रतिपादन के लिए मार्ग-निर्देश वाले मैनुअल के प्रारूप को राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग

4208. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

प्रो. उम्मारैडिड वेंकटेश्वरलु :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1994 के "स्टेट्समैन" में कन्सर्न ओवर मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में चिकित्सकों के परामर्श के बिना ही एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक प्रयोग का रोगियों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) एंटीबायोटिक्स केवल पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लिखे गए नुस्खे के आधार पर ही बेचे जाने होते हैं। यदि केमिस्ट एंटीबायोटिक्स बिना नुस्खे के सप्लाई करते हैं, तो वे औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) एंटीबायोटिक्स के अधिक प्रयोग से गौण प्रभाव हो सकते हैं।

(घ) सभी चिकित्सकों को सलाह दी गई है कि वे रोग का चिकित्सीय निदान करने तथा रोगी को उपचारावधि में अनुपालन की जाने वाली सही विधि के बारे में सूचित करने के उपरान्त ही एंटीबायोटिक्स का नुस्खा लिखें। इसके अलावा औषध के संभावित गौण प्रभावों को चिकित्सकों तथा रोगी के मार्गदर्शन के लिए पैकेज में उजागर किया जाए। इस संबंध में चिकित्सा व्यावसायियों को कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों के माध्यम से शिक्षित करने एवं उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं।

अर्ध सैनिक बलों में भर्ती

4209. प्रो. पी.जे. कुरियन :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए क्या मानदंड निधारित किए गये हैं;

(ख) क्या इन बलों में भर्ती के दौरान राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में कांस्टेबलों/राईफल मैनों की भर्ती, अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को वार्षिक रिक्तियां आवंटिक की जाती हैं। यह प्रक्रिया, सुरक्षा बलों में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कांस्टेबल रैंक के व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10533
2.	अरुणाचल प्रदेश	1652
3.	असम	15071
4.	बिहार	32213
5.	गोवा	141
6.	गुजरात	6715
7.	हरियाणा	25513
8.	हिमाचल प्रदेश	13519
9.	जम्मू और कश्मीर	12723
10.	कर्नाटक	9649
11.	केरल	15495
12.	मध्य प्रदेश	15740
13.	महाराष्ट्र	13753
14.	मणिपुर	4568

1	2	3
15.	मेघालय	2047
16.	मिजोरम	1596
17.	नागालैंड	3129
18.	उड़ीसा	7971
19.	पंजाब	24501
20.	राजस्थान	25819
21.	सिक्किम	502
22.	तमिलनाडु	12485
23.	त्रिपुरा	5049
24.	उत्तर प्रदेश	62929
25.	पश्चिम बंगाल	26269
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	381
27.	चंडीगढ़	82
28.	दादरा व नागर हवेली	57
29.	दमन और द्वीप	57
30.	दिल्ली	2770
31.	पांडिचेरी	289
32.	लक्षद्वीप	27
योग		353245

[हिन्दी]

घटिया कोयला

4210. श्री राजेश कुमार :
 श्री मुमताज अंसारी :
 श्रीमती शीला गौतम :
 श्री प्रेम चन्द्र राम :
 डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला वितरण केन्द्रों से तापीय विद्युत संयंत्रों और फैक्ट्रियों को खराब कोयले की सप्लाई हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन पर घटिया कोयले का प्रभाव पड़ा है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में, को.इं.लि. के अंतर्गत कोयला कंपनियां तापीय विद्युत गृहों तथा अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूर्णतः पूरा कर रही हैं। को.इं.लि. से कोयला के उपभोक्ता क्षेत्रों से कोयले की आपूर्ति में सराहनीय वृद्धि हुई है। को.इं.लि. से समग्र रूप में कोयले की आपूर्ति का स्तर वर्ष 1974-75 के 78.2 मि.टन की तुलना में, वर्ष 1993-94 में 216.32 मि.टन (अनंतिम) के स्तर तक पहुंच गया है।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियां अपने सभी उपभोक्ताओं को, जिसमें बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के विद्युत गृह भी शामिल हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किए जाने का सुनिश्चय कर रही हैं। कोयला अपने प्राकृतिक स्वरूप के नाते यह अन्तर-बैंडों के साथ कंकड़/पत्थर, आदि के साथ परतों में पाया जाता है। बहुत प्रयास किए जाने के बाद भी खनन तथा रख-रखाव प्रक्रिया के दौरान कोयले से कंकड़/पत्थर, आदि को पूरी तरह से अलग किया जाना संभव नहीं है। किन्तु, अवशिष्ट सामग्री रहित कोयले के प्रेषण का सुनिश्चय किए जाने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं :

- (1) लदान के समय तथा वैगनों से भी कोयले से पत्थरों/अवशिष्ट सामग्री को उठाए जाने के लिए व्यवस्था की गई है।
- (2) फीडर ब्रेकरों तथा कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना किए जाने के लिए कार्रवाई योजना क्रियान्वित की जा रही है, ताकि बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का सुनिश्चय किया जा सके।
- (3) कंकड़ तथा पत्थर के टुकड़ों को उठाए जाने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्रों को धीमी गति की पिकिंग बैल्टें मुहैया की जा रही हैं।
- (4) इन उपायों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को लदान स्थल पर ही गुणवत्ता के संबंध में संतुष्ट किए जाने, आदि के बारे में वैगनों का लदान स्तर पर ही पर्यवेक्षण किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- (5) कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लदान स्थल पर ही बेहतर पर्यवेक्षण का सुनिश्चित किया जा रहा है और रेलवे साइडिंग पर लदान में कार्यरत कामगारों, पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों में जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

- (6) कोयला कंपनियों ने उपभोक्तों की शिकायतों को दूर किए जाने के लिए कोयला उपभोक्ता परिषद भी गठित किया है। कोयले की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत का निपटारा किए जाने के लिए इस परिषद के सामने लाया जा सकता है।
- (7) हाल ही में, एक कानून भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत निजी पार्टियों द्वारा कोयले का परिष्करण किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

4211. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ सिंचाई परियोजनाएं आरंभ की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राज्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है, को यदा-कदा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अलावा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उदार केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

(ख) इस परियोजना को केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से प्रदान की गयी है :

(करोड़ रुपये)

	सातवीं योजना के अंत तक	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
(i) अग्रिम योजना सहायता	45.00	—	—	—	—
(ii) सूखा राहत सहायता	20.00	—	—	—	—
(iii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	60.70	28.60	27.80	52.00	52.00
(iv) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	—	—	—	10.00	—
	125.70	28.60	27.80	62.00	52.00

ए.सी.ई. इनहिबिटर औषधि

4212. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.सी.ई. इनहिबिटर औषधि से दिल के दौरों के पश्चात् होने वाली मौतों को कम करने में सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल के मरीजों की चिकित्सा के लिए देश के अस्पतालों में इस औषधि को उपलब्ध कराने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि कैप्टोप्रिल और एनालेप्रिल जैसी ए.सी.ई. इनहिबिटर औषधों से दिल के दौरों के पश्चात् होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलती है। तथापि, गंभीर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रोगियों को ए.सी.ई. औषधों को नेमी रूप से देने की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि उनकी प्रभावकारिता का आगे मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) दिल के रोगियों के उपचार के लिए कैप्टोप्रिल और एनालेप्रिल जैसी ए.सी.ई. औषधें केन्द्र सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम

4213. श्री विजय नवल पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षण कार्यक्रम में प्रगति होने के बावजूद देश में प्रतिदिन कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और

(घ) यदि हां, तो बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां। टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति का नियमित अनुवीक्षण किया जाता है।

(ख) से (घ) शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 1985 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 97 थी, वर्ष 1992 में घटकर 79 हो गयी टीकाकरण के उच्च कवरेज स्तरों को कायम रखकर तथा अतिसार और निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के उपाय प्रदान करके इन दरों में और कमी लाने के उद्देश्य से शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया गया है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण

4214. श्री आर. अन्बारासु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ी जातियों के छात्रों हेतु शैक्षिक संस्थानों में स्थान आरक्षित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक आदेश जारी किए जाएंगे, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालु) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

असम में क्षयरोग

4215. श्री प्रवीन डेका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने लोग क्षयरोग से पीड़ित हैं;

(ख) राज्य में क्षयरोग की रोकथाम के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में क्षयरोग की दवाइयों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 12.5 प्र. जनता के सक्रिय क्षय रोग से पीड़ित होने का अनुमान है।

(ख) राज्य में 11 जिला क्षयरोग केन्द्र 9 क्षय रोग क्लिनिक तथा 809 क्षयरोग पलंग उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार को असम से क्षयरोग रोधी औषधों की कमी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) क्षयरोग रोधी औषधों इत्यादि की खरीद के लिए केन्द्रीय बजट प्रावधान जो 1991-92 में 33 लाख रुपये था को बढ़ाकर 1994-95 के लिए 112.50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

धनराशि का आवंटन

4216. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विशेष सहायता हेतु अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को क्रमशः 560.06 करोड़ रुपए, 545.18 करोड़ रुपए और 541.91 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं।

(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऐम्बुलेंस की आपूर्ति

4217. **प्रो. उम्मारैडिड वेंकटेश्वरलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिला और तालुक अस्पतालों में ऐम्बुलेंस वाहनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी आपूर्ति करने की कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य रक्षा सेवा योजनाएं

4218. **डा. के.डी. जेस्वाणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ चुनिन्दा जिलों में विदेशी विकास अभिकरणों (ओ.डी.ए.) की सहायता से कुछ स्वास्थ्य रक्षा सेवा योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या विदेशी विकास अभिकरणों की सहायता से गुजरात में स्वास्थ्य रक्षा सेवा योजना चलाने के लिए किसी जिले को चुना गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सित्वेरा) : (क) उड़ीसा के पांच जिलों, अर्थात् क्यौंझर, सम्बलपुर, घेनकनाल, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ में समुद्रपारीय विकास एजेंसी (ओ.डी.ए.) सहायता प्राप्त एक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र परियोजना चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) गुजरात में समुद्रपारीय विकास एजेंसी की सहायता से कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण

4219. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा और बटालियनों में लगे दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों को ही फायरिंग का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके तहत काम कर रहे सभी पुलिसकर्मियों को यह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार आतंकवाद का सामना करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक हथियारों के पूर्ण प्रशिक्षण देने की कोई योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को गोली चलाने का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) से (ङ) अत्याधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करने के बारे में प्रशिक्षण देना दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों के प्राथमिक प्रशिक्षण का एक भाग है। किसी संभाव्यता का सामना करने के लिए सभी पुलिस कार्मिकों को अत्याधुनिक शस्त्रों से गोली चलाने और उनका प्रयोग करने के लिए नियमित रूप से उचित प्रशिक्षण पहले ही दिया जा रहा है।

महिला बटालियन

4220. श्री धिन्मयानन्द स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अर्द्ध सैनिक बलों की कोई महिला बटालियन गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तरह की कुछ और बटालियन गठित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। महिलाओं की अंतर्ग्रस्तता वाली स्थितियों से निपटने में विधि प्रवर्तन अधिकारियों की सहायता करने के लिए 1-2-1986 से के.रि.पु. बल की एक महिला बटालियन गठित की गई है।

(ग) और (घ) के.रि.पु. बल में एक अतिरिक्त महिला बटालियन गठित करने का निर्णय लिया गया है।

एड्स से मौतें

4221. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में “एड्स” से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार ने एड्स से पीड़ित लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम चलाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एड्स से पीड़ित लोगों के लिए अस्पताल खोलने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एड्स रोगियों के सभी कभी-कभार होने वाले रोगों के लिए मुफ्त इलाज केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में विदेशियों को छोड़कर एड्स के कारण मरने वाले व्यक्तियों की राज्यवार तथा वर्षवार मौतें

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		1991	1992	1993
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	1
2.	असम	—	—	1

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली	11	10	23
4.	गुजरात	1	2	3
5.	हरियाणा	1	4	3
6.	जम्मू और कश्मीर	—	—	1
7.	केरल	—	—	40
8.	कर्नाटक	1	2	9
9.	मध्य प्रदेश	—	—	14
10.	महाराष्ट्र	12	18	37
11.	मणिपुर	1	4	6
12.	हिमाचल प्रदेश	—	2	—
13.	गोवा	—	—	8
14.	पांडिचेरी	1	5	6
15.	पंजाब	1	5	30
16.	तमिलनाडु	—	17	10
17.	उत्तर प्रदेश	—	—	6
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	12
		29	69	210

[अनुवाद]

तेल का उत्पादन

4222. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एवं आयल इंडिया लिमिटेड ने किन-किन बेसिनों में तेल का दोहन एवं उत्पादन शुरू किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दोनों उपक्रमा द्वारा तेल के उत्पादन संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों कम्पनियों ने आगामी वर्षों के लिए क्या योजना बनाई है, और

(घ) इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए बेसिनों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. ने बंबई अपतट, कैम्बे, अपर असम और असम अरकन फील्ड बेल्ट, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन से कच्चे तेल का अन्वेषण और उत्पादन किया है। 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन बेसिनों से कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः 30.346 एम.टी. 26.950 एम.टी. और और 27.015 एम.टी. है।

(ग) और (घ) ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. नए क्षेत्रों के विकास और कुछ मौजूदा बेसिनों के अतिरिक्त विकास के माध्यम से मौजूदा बेसिनों से कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपने प्रयासों में गति लाएंगे। इसके अलावा ओ.आई.एल. राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर नागौर बेसिनों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने के प्रयास करेगा। सौराष्ट्र अपतट, उत्तरपूर्व तट के अपतट और गंगा घाटी (उ.प्र.) में अन्वेषण प्रयास भी शुरू किए जाएंगे।

[हिन्दी]

चिकित्सा उप केन्द्र

4223. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने चिकित्सा उप केन्द्र खोले गये हैं, और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए उपकेन्द्रों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। देश में 31 दिसंबर, 1993 तक कार्य कर रहे उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

जनसंख्या मानदण्ड

	पहाड़ी और आदिवासी मैदानी क्षेत्र		केन्द्रों की संख्या
उपकेन्द्र	3,000	5,000	1,31,471
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20,000	30,000	22,040
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80,000	1,20,000	2,297

विवरण

सातवीं योजना के दौरान स्थापित उपकेन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खोले गए उपकेन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1765
2.	अरुणाचल प्रदेश	100
3.	असम	3569
4.	बिहार	6500
5.	गोवा	10
6.	गुजरात	1965
7.	हरियाणा	708
8.	हिमाचल प्रदेश	552
9.	जम्मू और कश्मीर	851
10.	कर्नाटक	2829
11.	केरल	2824
12.	मध्य प्रदेश	5295
13.	महाराष्ट्र	2857
14.	मणिपुर	119
15.	मेघालय	100
16.	मिजोरम	58
17.	नागालैंड	111
18.	उड़ीसा	1800
19.	पंजाब	250
20.	राजस्थान	4210
21.	सिक्किम	50

1	2	3
22.	तमिलनाडु	2821
23.	त्रिपुरा	276
24.	उत्तर प्रदेश	4500
25.	पश्चिम बंगाल	1773
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52
27.	चंडीगढ़	0
28.	दादरा व नागर हवेली	15
29.	दिल्ली	0
30.	लक्षद्वीप	0
31.	पांडिचेरी	0
32.	दमन व दीव	0
कुल :		45960

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

4224. श्री राम सिंह कंस्वा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक और अन्य विदेशी संगठनों द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है, और

(ख) चालू सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त “बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्स्थापना परियोजना” में भागीदार राज्यों में राजस्थान भी है। द्विपक्षीय सहायता कुछेक सिंचाई परियोजनाओं के लिए ही प्रदान की जाती है। इन निधियों का ब्यौरा और स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

(दाता मुद्रा में राशि मिलियन में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्त पोषण अभिकरण	करार की तारीख	वित्त पोषण सहायता की समापन तिथि	कुल सहायता	वितरण			फरवरी, 94 तक संचयी वितरण
						1990-91	1991-92	1992-93	
1.	बांध सुरक्षा आशवासन व पुनर्स्थापना परियोजना	विश्व बैंक	10-6-91	30-9-1997	131.370 अमे. डालर	-	8.000 अमे. डालर	2.421 अमे. डालर	10.921 अमे. डालर
2.	लघु सिंचाई परियोजना राजस्थान	जर्मनी	24-9-88	31-12-95	12.300 डच मार्क	0.101 डच मार्क	1.028 डच मार्क	1.268 डच मार्क	5.478 डच मार्क
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इंजीनियरी सेवाएं)	जापान	27-3-90	25-9-93	84.000 येन	-	-	24.788 येन	50.388 येन
4.	राजस्थान कृषि जल विकास अनुसंधान परियोजना	कनाडा	13-2-90	31-12-88	62.070 कनेडियन डालर	-	-	7.395 कनेडियन डालर	13.446 कनेडियन डालर
5.	सिद्धमुख व नोहर परियोजना	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	10-5-93	31-12-2000	43 यूरोपीय मुद्रा यूनिट	-	-	-	अभी प्रारंभ की जानी है -

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन का लक्ष्य

4225. श्री छोदूभाई गामीत :

श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई और उत्तर गुजरात के तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक तौर पर तेल भंडारों में कमी आने के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन के लक्ष्य में सात मीट्रिका टन की कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस कटौती के कारण अनुमानतः कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता

4226. श्री महेश कनोडिया :

श्री खेलनराम जांगडे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में ग्रामीण और अनुसूचित बैंक स्थापित करने के क्या प्रयास किए हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबाबू) : (क) से (ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

ढेका श्रमिक प्रणाली

4227. श्री खेलनराम जांगडे :

श्री लाल बाबू राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कार्यरत कार्यालयों तथा विभागों में अभी तक ठेका श्रमिक प्रणाली के अंतर्गत श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को मुक्त करने तथा उनसे सीधे कार्य कराने के लिए कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोयला मंत्रालय के सीधे रूप में अधीन विभिन्न कार्यालयों में संविदा श्रमिक (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणियों में संविदा श्रमिकों द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं की लत

4228. श्री छेदी पासवान :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री गुरुदास कामत :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नशीली दवाओं के सेवन की लत बढ़ रही है और बेघर बच्चों में भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(घ) स्थिति में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए और क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.बी. तंकाबालु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी तक कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि नशीली दवाओं के दुरुपयोग संबंधी समस्या की प्रकृति तथा परिमाण की समन्वित तस्वीर प्राप्त करने के लिए कल्याण मंत्रालय ने 1990-91 में 33 चुनिंदा नगरों/शहरों/सीमा क्षेत्रों में 23 परियोजनाओं को प्रायोजित किया। इन अध्ययनों के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(1) नशीली दवाओं का दुरुपयोग धर्म/जाति विशिष्ट नहीं है;

(2) यद्यपि सबसे अधिक प्रभावित समूह 16-35 वर्ष की आयु का है, लेकिन इसकी बड़ी संख्या 16 वर्षों की आयु से भी पहले शुरू हो जाती है;

- (3) नशीली दवाओं के दुरुपयोग की व्यापकता के साथ वैवाहिक स्थिति का यह संबंध नहीं पाया गया;
- (4) महिलाओं (2.5%) की तुलना में पुरुषों में (96.5%) नशीली दवाओं का दुरुपयोग अधिक पाया गया;
- (5) निम्न आय वर्ग अधिक संवेदनशील है;
- (6) आमतौर पर सर्वाधिक दुरुपयोग की जाने वाली नशीली दवाओं में भांग, हेरोइन और कच्ची अफीम थे;
- (7) नशीली दवाओं की आपूर्ति के स्रोत फेरी वाले होते हैं, जो दुकानदारों और पानवालों के माध्यम से यह कार्य करते हैं;
- (8) व्यसनियों का एक बड़ा अनुपात या तो बेरोजगार, श्रमिक, परिवहन कामगारों का था या छात्रों का;
- (9) उत्कंठा तथा संगी-साथियों के दबाव नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीछे प्रमुख कारण थे। 20% व्यसनियों द्वारा चिकित्सा संबंधी कारण बताए गए;
- (10) नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में व्यक्ति एवं उसके परिवार दोनों में जागरूकता थी।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने संबंधी एक योजना कार्यान्वित की जा रही है, ताकि स्वयंसेवी संगठनों को नशीली दवाओं के व्यसनियों के उपचार और पुनर्वास के लिए परामर्श, निर्व्यसन तथा उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र चलाने और नशीली दवाओं एवं मद्यपान के विरुद्ध जनसमूह के बीच चेतना सृजन करने के वारंटे वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत, अनुमोदित वार्षिक व्यय का 90% इस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और शेष 10% का वहन स्वैच्छिक संगठनों को स्वयं करना होता है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/सामाजिक कार्य संस्थाओं/उच्चतर अध्ययन संस्थाओं को 100% अनुदान दिया जाता है। फिलहाल 152 परामर्श, 104 निर्व्यसन तथा 15 उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में अप्रैल, 1986 से सितम्बर, 1993 तक 10.50 लाख व्यसनी लाभान्वित हुए हैं।

[अनुवाद]

नसबंदी की नई तकनीक

4229. प्रो. एम. कामसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुषों की नसबंदी की कोई ऐसी तकनीक विकसित की गई है, जिसमें कोई चीरा या टांका नहीं लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तकनीक में अन्य तकनीकों की तुलना में कम समय लगता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार जनसंख्या में चिंताजनक वृद्धि पर रोक लगाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा समुचित चित्रों और निरूपण के साथ इस तकनीक का प्रचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सित्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस नई तकनीक (बिना चीरा-टांका) में परंपरागत नसबंदी की अपेक्षा कम समय लगता है। इस तकनीक में वृषणकोष को एक धारदार नुकीले उपकरण से पंक्चर कर शुक्राणु वाहिकाओं बांध दिया जाता है।

(घ) से (च) समाचार पत्रों, दूरदर्शन आदि के माध्यम से इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए पहले से ही उपाय किए जा चुके हैं। शल्य चिकित्सकों को इस नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केरल में रसोई गैस कनेक्शन

4230. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा कर रहे कुल कितने आवेदक हैं;

(ख) क्या केरल में रसोई गैस कनेक्शन के लिए आवेदक को पांच वर्षों से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और

(ग) यदि हां, तो प्रतीक्षा अवधि को कम करने के क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31 दिसम्बर, 1993 को स्थिति के अनुसार केरल में नए एल.पी.जी. (रसोई गैस) कनेक्शनों के लिए 4.25 लाख लोग प्रतीक्षा सूची पर थे।

(ख) नए एल.पी.जी. (रसोई गैस) कनेक्शन प्रतीक्षा सूची बद्ध लोगों को संबंधित वितरक के पास उपलब्ध पंजीयन क्रमादेश के अनुसार वितरक को आबंटित नए ग्राहक-नामांकन पर निर्भर करते हुए तथा जिसे वितरक के पास उपलब्ध बकाया, प्रतीक्षा सूची तथा उत्पाद उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाता है, निर्गत किए जाते हैं। कनेक्शन देना पंजीयन की बीती अवधि पर आधारित नहीं है।

(ग) अधिक से अधिक लोगों को यथासंभव शीघ्र एल.पी.जी (रसोई गैस) कनेक्शन देने के संबंध में प्रयास सतत रूप से जारी है। इस उद्देश्य हेतु विद्यमान उत्पादन संसाधनों की क्षमता को बढ़ाकर, नए संयंत्र लगाकर तथा आयातों के माध्यम से आपूर्तियों में वृद्धि करके एल.पी.जी. (रसोई गैस) उपलब्धता बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में परियोजनाएं

4231. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिल्कुल हाल ही में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कई परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय तेल निगम और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा और परियोजनावार व्यय का विवरण क्या है;

(ग) क्या कुछ ऐसी भी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें कुछ निजी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से पूरा करेंगी, और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं और उनमें होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) से (घ) 1-1-94 से 15-4-94 के मध्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) ओ.एन.जी.सी., आई.ओ.सी., और गेल की परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत अनुमान (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	ओ.एन.जी.सी. द्वारा दक्षिण हीरा चरण-II का विकास	452.54
2.	ओ.एन.जी.सी. द्वारा, एस-1 सैंड क्षेत्र (बंबई हाई) का विकास	542.39
3.	आई.ओ.सी द्वारा बरौनी रिफाइनरी में कैटिलिटिक रिफार्मर स्थापित करने पर आर.सी.ई. के प्रस्ताव	248.11

1	2	3
4.	आई.ओ.सी. द्वारा मथुरा रिफाइनरी में कैटिलिटिक रिफार्मर स्थापित करना	545.00
5.	गेल द्वारा एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन की क्षमता को 18.2 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से बढ़ाकर, 33.4 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक करना।	2376.00
6.	गेल द्वारा उसार में एल.पी.जी. रिकवरी संयंत्र के लिए सुविधाएं स्थापित करना	319.59

(ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के सहयोग से निजी कम्पनियों की परियोजनाएं।

1. कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, विडियोकान इंटरनेशनल, भारत और मेरुबेनी कारपोरेशन, जापान के परिसंघ द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में रव्वा क्षेत्र का विकास।
2. एनरान एक्सप्लोरेशन कंपनी, अमेरिका तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत के परिसंघ द्वारा पश्चिमी अपतट में पन्ना मुक्ता और मध्य तथा दक्षिणी ताप्ती क्षेत्रों का विकास। इन क्षेत्रों को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर करने के उपरांत प्रस्तुत और अनुमोदित की जाने वाली विकास परियोजनाओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इस प्रकार इस चरण में इन उद्यमों में इन उद्यमों में से प्रत्येक पर वहन किए जाने वाले व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कुओं की खुदाई

4232. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने भूमिगत जल अन्वेषण संबंधी वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कोई कुआं खोदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड का उक्त योजना के अंतर्गत और कुएं खोदने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) भूजल अन्वेषण से संबंधित वैज्ञानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने फरवरी, 1994 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 753 बेधनछिद्र ड्रिल किए हैं, जिनमें 348 अन्वेषणात्मक कुएं, 313 प्रेक्षण कुएं 32 स्लिम छिद्र तथा 60 पिजोमीटर कुएं शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना में 500 बेधन छिद्रों की ड्रिलिंग करने का संभावित लक्ष्य है। तथापि, बेधन छिद्रों को ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर नियत किये जाते हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान बोर्ड ने इस राज्य में 62 बेधन छिद्र ड्रिल करने का लक्ष्य बनाया है जिनमें 31 अन्वेषणात्मक, 17 प्रेक्षण, 11 स्लिम छिद्र तथा 3 पिजोमीटर कुएं शामिल हैं।

फाइलेरिया उन्मूलन केंद्र

4233. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में कितने फाइलेरिया उन्मूलन केंद्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) केंद्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन केंद्रों को वर्षवार कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या ये केंद्र किसी विदेशी एजेंसी से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसी कितनी सहायता प्राप्त हुई है, और

(ङ) सरकार इन केंद्रों के विकास के लिए क्या कदम उठाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) गुजरात राज्य में 9 नियंत्रण यूनिटें तथा 7 रात्रि क्लिनिक काम कर रहे हैं।

(ख) निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :

1991-92	1.32 लाख रुपये
1992-93	9.35 लाख रुपये
1993-94	9.53 लाख रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने राज्य सरकार को स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों में और केन्द्र खोलने तथा मक्खनों के प्रजनन की रोकथाम करने के लिए अभियांत्रिक तरीकों के इस्तेमाल करने, लार्वा भक्षी मछलियों का प्रयोग करने तथा रासायनिक तेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

टाडा

4234. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 को टाडा के अंतर्गत हिरासत में लिए गए लोगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के हाले के आदेश की तिथि के दिन कितने लागू टाडा में बंदी थे और केन्द्रीय एवं/या राज्य स्तर पर पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप कितने बंदी छोड़े गए या जमानत पर छोड़े गए;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा के लिए राज्य सरकारों से ऐसे बंदियों के मामलों के विवरण मांगे हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उच्चतम न्यायालय के फैसले में निहित टिप्पणियों/सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए समग्र नीति के एक भाग के रूप में पुनरीक्षा समितियां गठित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1-1-93 को टाडा के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5842
2.	अरुणाचल प्रदेश	98
3.	असम	10781
4.	बिहार	90
5.	गोवा	4
6.	गुजरात	15522
7.	हरियाणा	1608

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	57
9.	जम्मू और कश्मीर	1898
10.	कर्नाटक	88
11.	महाराष्ट्र	1325
12.	मध्य प्रदेश	260
13.	मणिपुर	1147
14.	मेघालय	—
15.	मिजोरम	28
16.	पंजाब	14457
17.	राजस्थान	430
18.	तमिलनाडु	142
19.	त्रिपुरा	47
20.	उत्तर प्रदेश	892
21.	पश्चिम बंगाल	525
		55241

टिप्पणी : उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल, नागालैण्ड, उड़ीसा और सिक्किम राज्य सरकारों ने टाडा के उपबधों को अवैध घोषित नहीं किया है।

तपेदिक के रोगी

4235. श्री सुरील चन्द्र वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के लगभग सभी राज्यों में तपेदिक के रोगियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तपेदिक के इलाज में अल्पकालिक केमोथेरापी का क्या परिणाम है;

(घ) क्या आने वाले वर्षों में देश के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ड) अल्पाकालिक केमोथिरेपी से क्षयरोग के रोगियों की उपचार की अवधि में कमी हुई है जो 12-18 महीने से घटकर 6-8 महीने हो गई है। अल्पाकालिक केमोथिरेपी की कवरेज में चरणबद्ध ढंग से वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

जम्मू और कश्मीर का मुद्दा

4236. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री बारे लाल जाटव :

डा. रमेश चन्द तोमर :

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री रमेश चेन्नितला :

प्रो. एम. कामसन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाले ही में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के राज्य-नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का है, और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) श्रीनगर में, हाल ही में, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राज्य-नेताओं की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) का ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ड) उपरोक्त (घ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

क्षय रोग नियंत्रण

4237. डा. साक्षी जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पुरुष एवं महिला क्षय रोग से पीड़ित हैं;

(ख) राज्य में क्षय रोग की रोकथाम के लिए 1994-95 में आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता मांगी है, और

(घ) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार द्वारा 1993-94 में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और 1994-95 के लिए राज्यों को कितनी निधि नियत की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) उत्तर प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 प्रतिशत जनता के क्षयरोग से पीड़ित होने का अनुमान है। पुरुष एवं महिला रोगियों को अनुपात लगभग 2.1 है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारें 50:50 का व्यय वहन करती हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 1993-94 का केन्द्रीय आवंटन 458.00 लाख रुपये का तथा 1994-95 के लिए 560.00 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवादी

4238. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने मार्च 1994 के दौरान बहुत से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये आतंकवादी किन-किन देशों के हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) उनसे जब्त किए गए हथियारों, विस्फोटों और अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन आतंकवादियों का मुख्य इरादा क्या था;

(च) क्या उनका पाकिस्तान की इण्टर सर्विसिज इन्टेलीजेंस (आई.एस.आई.) से कोई संबंध है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) टाऊन हाल, गोकुलपुरी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के थानों में कानून के विभिन्न उपबन्धों के अधीन दर्ज तीन विभिन्न मामलों में क्रमशः सात व्यक्तियों (पांच विदेशी नागरिकों तथा दो भारतीयों) को गिरफ्तार किया गया। इन पांच विदेशी नागरिकों में से चार पाकिस्तानी तथा एक बंगलादेशी नागरिक है। इस समय सभी अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं।

(घ) उनके कब्जे से दो पिस्तौलें, दो-हथगोले, 126 उच्च विस्फोटक छड़ें, 7 जीवित डिटोनेटर्स, 9 जीवित कारतूस और रसायन की 20 बोतलें, कम्प्यूटर की 8 फ्लापी, जिनमें आई.आई.डी. की तैयारियों के ब्यौरे इत्यादि थे, बरामद किये गए।

(ङ) सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि इन आतंकवादियों की मुख्य मंशा आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां, जैसे कि, दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाजारों, व्यापार केन्द्रों, सरकारी इमारतों इत्यादि में बम विस्फोट की घटनाएं करना, बैंकों में लूटपाट करना तथा पेय जल के जलाशयों (टैंकों) में विष मिलाना था।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान। सभी पांचों विदेशी आतंकवादियों के पाकिस्तान की आई.एस.आई. के साथ संबंध थे तथा आई.एस.आई. द्वारा पाकिस्तान में चलाए जा रहे विभिन्न शिविरों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों, विस्फोटकों का प्रयोग करने और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण प्राप्त था।

विदेशी नागरिक

4239. श्री एस.एन. वेकारिया :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री अवतार सिंह भठाना :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री संजय लाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कितने विदेशी नागरिक लिप्त पाए गए;

(ख) इसमें से पाकिस्तानी नागरिक कितने हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने विदेशी आतंकवादी मारे गए और कितने गिरफ्तार किए गए, और

(घ) गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त विदेशी नागरिकों की मौजूदगी के बारे में सरकार को जानकारी है। तथापि, ऐसे व्यक्तियों, जो कि राज्य में चोरी-छिपे घुस आए हैं, की ठीक-ठीक संख्या और राष्ट्रीयता का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 121 विदेशी नागरिकों के मारे जाने तथा 34 के गिरफ्तार होने की सूचना मिली है।

(घ) राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानून के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

सिंचाई सुविधाएं

4240). **श्री हाराधन राय :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल सिंचाई योग्य ऐसी भूमि कितनी है जहां सिंचाई की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इन राज्यों में नई सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा और अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) वर्ष 1992-93 के अन्त तक वृहद एवं मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित की गयी राज्यवार सिंचाई क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस समय देश में 158 वृहद परियोजनाएं, 226 मध्यम परियोजनाएं तथा 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा, 18 वृहद परियोजनाओं, 57 मध्यम परियोजनाओं तथा 38 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है, ताकि उन्हें आठवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किया जा सके।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अतिरिक्त उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

राज्य	परियोजना/योजना	राशि (करोड़ रुपए)
राजस्थान	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	52
पश्चिम बंगाल	तीरता बराज परियोजना	27
नागालैण्ड	लघु सिंचाई योजनाओं का नवीकरण और उनका स्तर बढ़ाना	1

विवरण

वर्ष 1992-93 के अन्त तक वृहद एवं मध्यम तथा लघु योजनाओं से
सृजित की गयी सिंचाई क्षमता

(हजार हेक्टेयर)

क्रम सं.	राज्य/संघ	सृजित क्षमता		
		वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3039.00	2936.83	5975.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	69.59	69.59
3.	असम	179.00	590.58	769.58
4.	बिहार	27996.00	5085.90	7881.90
5.	गोवा	13.00	19.06	32.06
6.	गुजरात	1281.00	1934.30	3215.30
7.	हरियाणा	2058.00	1534.67	3592.67
8.	हिमाचल प्रदेश	8.00	144.61	152.61
9.	जम्मू और कश्मीर	174.00	367.62	541.62
10.	कर्नाटक	1434.00	1480.48	2914.48
11.	केरल	504.00	536.42	1040.42
12.	मध्य प्रदेश	2025.00	2634.42	4659.42
13.	महाराष्ट्र	2080.00	2493.40	4573.40
14.	मणिपुर	62.00	51.48	113.48
15.	मेघालय	-	45.08	45.08
16.	मिजोरम	-	11.06	11.06
17.	नागालैंड	-	65.80	65.80
18.	उड़ीसा	1444.00	1264.83	2708.83

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	2386.00	3318.82	5708.82
20.	राजस्थान	2047.00	2437.71	4484.71
21.	सिक्किम	—	22.58	22.58
22.	तमिलनाडु	1550.00	2129.76	3679.76
23.	त्रिपुरा	3.00	91.88	94.88
24.	उत्तर प्रदेश	6876.00	19912.00	26788.00
25.	पश्चिम बंगाल	1370.00	2872.37	4242.37
कुल राज्य		31329.00	52051.25	83380.25
कुल संघ राज्य क्षेत्र		25.00	82.23	97.23
कुल योग		31344.00	52133.48	83477.48

कोयले की दुलाई

4241. श्री प्रेमचन्द राम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास कोयला की दुलाई के लिए बिहार की सड़कों को पक्की करने और चौड़ा करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिलांग में मेडिकल कालेज

4242. श्री पीटर जी. मरबनिआंग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से शिलांग में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) केन्द्र सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम 1993 के उपबंधों के अधीन शिलांग में मेडिकल कालेज खोलने के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अमेरिका की सहायक विदेश सचिव के साथ बैठक

4243. श्री एम.वी.एस. मूर्ति :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अमेरिका की सहायक विदेश सचिव की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विषयों पर चर्चा की गयी और बैठक में क्या निर्णय लिये गये, और

(ग) इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) अमरीकी सरकार की सहायक विदेश सचिव, सुश्री रोबिन राफेल ने दिनांक 23 मार्च, 1994 को दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान, जम्मू व कश्मीर के मुद्दे सहित भारत-अमरीकी संबंधों के विविध विषयों पर चर्चा की गई कश्मीर मसले पर सरकार के मत को दोहराया गया और स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस देश के नागरिक राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को क्षति पहुंचाने के प्रयासों को सहन नहीं करेंगे। अमरीकी अधिकारी को इस बात से भी अवगत कराया गया कि कुछ अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्यों ने जम्मू और कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और आतंकवादियों तथा पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों, दोनों को ही इससे बढ़ावा मिला है। इस बात पर बल दिया गया कि यदि अमरीकी सरकार शांति और द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ावा देने में वास्तविक रुचि रखती है, तो उन्हें ऐसे किसी भी कार्य को करने अथवा कहने से बचना होगा, जिससे कि विरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले और पाकिस्तान से दृढ़ता से यह कहना होगा कि वह जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को लगातार दिए जा रहे समर्थन को बंद करे। इस संबंध में गृह मंत्री ने प्रैसलर संशोधन के बावजूद भी पाकिस्तान को एफ-16 जहाजों की आपूर्ति करने के अमरीकी प्रस्ताव के प्रति भी चिन्ता व्यक्त की।

सुश्री रोबिन राफेल ने इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी सरकार के बिचार से कश्मीर समस्या का समाधान भारत और पाकिस्तान को शिमला समझौते के अधीन आपसी बातचीत के द्वारा खोजना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके वक्तव्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में भारत की पारदर्शिता की प्रशंसा की और इस बात पर बल दिया कि अमरीकी

सरकार द्वारा कश्मीर में उग्रवाद को समर्थन देना बंद करने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है।

यह आशा की जाती है कि रोबिन राफेल के साथ हुए गहन विचार-विमर्श के पश्चात अमरीकी सर्किल में जम्मू व कश्मीर के बारे में हमारे दृष्टिकोण को अब और बेहतर रूप से समझा जाएगा।

विदेशी राष्ट्रों की सिक्किम यात्रा

4244. श्री डी. नेंकटेश्वर राव :

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री संजय लाल :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ विदेशी राष्ट्रों की सिक्किम यात्रा के संबंध में कोई जानकारी है, जैसा कि 28 जनवरी, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की राष्ट्रीयता क्या है और उनकी यात्राओं का प्रयोजन क्या था;

(घ) क्या सरकार ने इन यात्राओं की अनुमति दी थी, और

(ङ) ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) 28-1-1994 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार श्री रैगई नाथ (फ्रांसीसी राष्ट्रिक), श्री चैल ली एन (ताईवान राष्ट्रिक) और सुश्री रोसलिया (जर्मन राष्ट्रिक) ने सिक्किम की यात्रा की थी। यात्राएं अवैध नहीं थीं। इन विदेशी राष्ट्रिकों की यात्राओं के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। सुश्री रोसलिया का परमिट रद्द कर दिया गया था। संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान पुनः एक बार इस विषय से संबंधित विनियमों की ओर आकर्षित किया गया है।

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता

4245. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के अंत तक बड़ी, मझौली और लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी सिंचाई क्षमता जुटाई गई, और

(ख) इस पर पृथक-पृथक कुल कितना व्यय हुआ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1992-93 के अंत तक "वृहद एवं मध्यम" सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए वृजित की गयी सिंचाई क्षमता क्रमशः लगभग 31.34 मिलियन हेक्टेयर तथा 52.13 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) वर्ष 1951-52 से वर्ष 1992-93 तक वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

I	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	34,340.27
II	लघु सिंचाई	
	राज्य	10,222.09
	संस्थागत	8,949.25
	कुल (लघु सिंचाई)	19,171.34
III	कुल जोड़ (वृहद एवं मध्यम और लघु सिंचाई)	53,511.61

[अनुवाद]

क्षय रोग के मामले

4246. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के सात क्षय रोगियों में एक भारतीय होता है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षय रोग से निपटने एवं इस पर नियंत्रण पाने के लिए किसी सहायता की पेशकश की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) अनुमान है कि विश्व भर में होने वाली क्षयरोग की घटनाओं में से लगभग 25 प्रतिशत घटनाएं भारत में होती हैं।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, उपकरण, आपरेशन अनुसंधान स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लिए धन देकर राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता करता रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

4247. श्री सत्येदव सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संगठनों द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितना धन दिया गया;

(ख) चालू सिंचाई परियोजनाएं इस समय किस चरण में हैं, और

(ग) सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संगठनों द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियां निम्न प्रकार हैं :

	1990-91	1991-92	1992-93
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	(अमेरीकी डालर मिलियन में)		
उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	19.36	4.27	—
अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	20.43	24.36	16.77
नीदरलैण्ड सरकार से सहायता प्राप्त परियोजना	(डच गिल्डर मिलियन में)		
उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	9.24	20.46	—

(ख) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :

- (i) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना में लगभग 86 प्रतिशत प्रगति हुई है तथा इसकी उप-परियोजना मध्य गंगा नहर परियोजना में लगभग 82 प्रतिशत हुई है। राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना (अनेक राज्यों की भागीदारी) तथा अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 28-2-94 तक विश्व बैंक सहायता का संचयी उपयोग क्रमशः 90.424 मिलियन अमेरीकी डालर तथा 114.532 मिलियन अमेरीकी डालर था।

(ii) उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना के लिए नीदरलैण्ड सरकार की सहायता के अंतर्गत फरवरी, 1994 तक संचयी उपयोग लगभग 76.298 मिलियन डच गिल्डर है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में उत्तर प्रदेश के लिए 6.4 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य नियत किया गया है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए अपनायी जा रही नीति में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :

- (i) वृहद एवं मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर बल।
- (ii) नये नलकूपों और लिफ्ट नहरों का निर्माण।
- (iii) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण, प्रदर्शन, कृषकों की भागीदारी, प्रबोधन और मूल्यांकन जैसे कार्यक्रमों को शुरू करना।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

4248. श्री वसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति ने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसमें दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को लागू कर दिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां। समिति की 1982 में प्राप्त मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- अध्वार्धर दांचे को जारी रखना और बुनियादी दांचे को सुदृढ़/व्यवस्थित करना।
- रोगियों का पता लगाने के लिए व्यवस्थित अभियान।
- एकल औषध चिकित्सा को सम्पूरित किया जाना।
- स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करना और अनुदानों को समय पर रिलीज करना।
- कुष्ठ के बारे में गलत धारणाओं और अंधविश्वास को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम।
- कुष्ठ-रोगी औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- कुष्ठ अधिनियम (1892) को रद्द करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर विधायी उपाय, और
- पुनर्वास को कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाना।

(ग) कार्यक्रम को वर्तमान नीति मुख्यतया समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

एड्स के उपचार के लिए आयुर्वेदिक औषधि

4249. प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन् : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की एक भेषज कम्पनी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से एड्स के उपचार के लिए आयुर्वेदिक औषधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्वास्थ्य एवं स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से इस औषधि को बेचने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सूचना दी है कि उन्होंने कानपुर की किसी निजी कंपनी के सहयोग से एड्स के उपचार के कोई औषधि विकसित नहीं की है।

नये अस्पताल

4250. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कितने नए अस्पताल खोले जाने का विचार है;

(ख) योजना आयोग ने इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की है, और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए 31 अक्तूबर, 1993 तक कितनी धनराशि जारी कर दी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दण्ड प्रक्रिया संहिता

4251. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह विधेयक कब तक पुनः स्थापित किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) संसद के चालू सत्र के दौरान एक विधेयक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ।

जल का बंटवारा

4252. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1994 को "आब्जर्वर आफ बिजनेस एंड पोलिटिक्स" नई दिल्ली, में छपे समाचार "यू.एन.डी.पी. टू रिजोल्व इंडो-बंगला वाटर प्रोब्लम एमेनेटिंग फ्राम डाका" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत और बंगलादेश के बीच उनकी नदियों के जल बंटवारे संबंधी विवाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आवश्यकता है;

(घ) क्या यह समाचार भी है कि बंगलादेश सरकार ने यू.एन.डी.पी. के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कलकत्ता पोर्ट का जल स्तर बढ़ाने के लिए भारत द्वारा फरक्का बांध के निर्माण से पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की जानकारी दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने यू.एन.डी.पी. के कार्यकारी निदेशक को एक संक्षिप्त विवरण भी दिया है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) से (च) समाचार पत्रों के अनुसार, भारत के साथ जल के बंटवारे की समस्या के संबंध में बंगलादेश ने यू.एन.डी.पी. के अधिकारियों को बताया है तथा उन्होंने इस मुद्दे को हल करने में अपनी सहमति व्यक्त की है । प्रधान मंत्री स्तर पर मई, 1992 में हुए समझौते के अनुसार भारत और बंगलादेश इस मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने के वास्ते बचनबद्ध हैं ।

पूर्वोत्तर परिषद्

4253. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् का 37वां अधिवेशन हाल ही में शिलांग में हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिवेशन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्तर पूर्वी परिषद् के 37वें सत्र के दौरान की गयी सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

- (i) परिषद् ने उत्तर-पूर्वी परिषद् योजना के अन्तर्गत चल रही विद्युत परियोजनाओं के लिए लगातार अपर्याप्त राशि के आवंटन की बात दोहरायी और पुरजोर मांग की कि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त धन का आवंटन सुनिश्चित किया जाय ।

- (ii) परिषद ने अनुरोध किया कि क्रियान्वित की जा रही सड़क योजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाये, ताकि उन्हें 8वीं योजना के दौरान पूरा किया जा सके और अन्य प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा धन देने की पुरजोर सिफारिश की, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग या सामारिक महत्व की सड़कें संबंधित मंत्रालयों के अधीन हैं।
- (iii) परिषद इस बात का स्वागत करेगी यदि मंत्रिमंडल एन.ई.आर.आई.एस.टी. के संशोधक आंकलन को शीघ्र अनुमोदित कर दे और गृह मंत्रालय से अनुरोध किया कि, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मूल परियोजना के अनुसार एन.ई.आर.आई.एस.टी. को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की कार्रवाई तेजी से करें।
- (iv) परिषद के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्र के हित में रीजनल मेडीकल कालेज इम्फाल को भारत सरकार को हस्तांतरित न किया जाय। उन्होंने आगे यह सुझाव दिया कि संस्थान को परिषद द्वारा धन उपलब्ध कराया जाय। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि रीजनल मेडीकल कालेज की प्रबंध समिति का पुनर्गठन किया जाय, ताकि वह कुशल ढंग से कार्य करे।
- (v) परिषद ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया कि उत्तर-पूर्वी परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई की जाय, ताकि परिषद सुस्पष्ट और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और यह सिफारिश की कि रिक्त पदों को समाप्त करने के बारे में भारत सरकार के वर्तमान आदेश उत्तर-पूर्वी परिषद सचिवालय पर लागू नहीं होने चाहिए।

[हिन्दी]

बाण सागर परियोजना

4254. श्री भीम सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में बाण सागर सिंचाई परियोजना के लिए कुल कितना धन आवंटित किया है;

(ख) केंद्र सरकार ने अब तक कितनी राशि दी है;

(ग) इसमें शामिल प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा है, और

(घ) इस समय परियोजना किस चरण में है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. शुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने बाण सागर परियोजना के लिए निधियां आवंटित नहीं की हैं।

(ग) बाण सागर बांध की लागत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 2:1:1 के अनुमात में बांटी जायेगी।

(घ) बाग सागर की 740 करोड़ रुपये की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले, 2/94 तक 317.56 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। कंकरीट बांध, राकफिल बांध और सैडल बांध पर भौतिक प्रगति क्रमशः 96 प्रतिशत, 91 प्रतिशत और 80 प्रतिशत हुई हैं।

[अनुवाद]

समान जनजातीय नीति

4255. श्री के. प्रधानी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में समान जनजातीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) : (क) और (ख) देश में इस समय एक समान आदिवासी नीति है। आदिवासी उप योजना कार्यनीति तैयार करके पांचवीं पंचवर्षीय योजना से प्रचलन में है। इसके द्विकोणीय उद्देश्य हैं अर्थात्

(1) अनुसूचित जनजातियों का समाजार्थिक विकास, और

(2) आदिवासियों की शोषण से सुरक्षा।

यह 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा जम्मू एवं कश्मीर में प्रचलन में है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदिवासी उपयोजनाएं तैयार की जानी अपेक्षित हैं। उन्हें अपने योजना बजटों में से अनु. जनजाति जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी उपयोजना हेतु निधियों की मात्रा निर्धारित करनी है। इसके अतिरिक्त राज्यों को परिवार आय सृजन योजनाओं तथा अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है। विभिन्न स्रोतों जैसे कि राज्य योजना, केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं, विशेष केंद्रीय सहायता तथा संस्थागत वित्त से उपलब्ध निधियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। 94 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त आदिवासी संकेंद्रण के 250 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) पाकेटों तथा 77 समूहों की पहचान की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सुझाव

4256. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकार को अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल के गठन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुझाव पर विचार किया है, और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता

4257. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वास्थ्य क्षेत्र ने विदेशी सहायता का अल्प-उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विशेष रूप से एड्स के नियंत्रण, बाल कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों से वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार ने अल्प-उपयोग कम करने के लिए प्रक्रियात्मक पहलुओं सहित कोई विशेष सुधारात्मक उपाय किए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान 152.40 करोड़ रुपये की कुल बाहरी सहायता में से 103.79 करोड़ राशि का समुपयोजन किया गया।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन सितंबर, 1992 में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए बाहरी सहायता के रूप में दिया गया धन क्रमशः 8.99 मिलियन तथा 5.64 मिलियन यू.एस. डालर था। शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अगस्त, 1992 में शुरू किया गया। बाहरी एजेंसियों से 1992-93 के लिए 29.028 मिलियन यू.एस. डालर की राशि प्राप्त हुई है तथा वर्ष 1993-94 के लिए 42.781 मिलियन यू.एस. डालर की उम्मीद है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों के साथ लगातार परामर्श की प्रक्रिया बनाई रखी जा रही है। समुपयोजन पैटर्न में सुधार नजर आ रहा है।

खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज

4258. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में खम्बात की खाड़ी में खोजे गए तेल क्षेत्रों से, जो सरकार को विकासात्मक स्वीकृति के लिए लंबित है, तेल निकालने का कार्य बाहरी कंपनियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यहां कई तेल क्षेत्रों को विकसित करने के कार्य को रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों से तेल निकालने का कार्य बाहरी कंपनियों को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) भारत में तेल क्षेत्रों का पता लगाने पर इसको क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) कैम्बे की खाड़ी में हाइड्रोकार्बन की दो खोजें तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं। तेल और गैस के अन्वेषण के लिए छठे दौर में कैम्बे की खाड़ी में दो ब्लॉकों के लिए बोली दी गई है। प्राप्त बोलियों के निर्णय पर कैम्बे की खाड़ी में आगे अन्वेषण कार्य किए जाएंगे।

जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली में मारे गए निर्दोष व्यक्ति

4259. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ों में, आतंकवादियों और डकैतों द्वारा कितने निर्दोष व्यक्ति मारे गए, और

(ख) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-93 के दौरान जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार की आतंकवादी हिंसा में लगभग 2500 सिविलियन मारे गए थे, जबकि इसी अवधि में दिल्ली में ऐसी 73 मौतें सूचित हुई थीं।

(ख) गहन गश्त लगाकर, सूचना पर आधारित लक्षित अभियानों, नाजुक और संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेट स्थापित करके और नियंत्रण रेखा/सीमा पर सतर्कता में वृद्धि करके उग्रवादियों पर दबाव बढ़ाया गया है और सुरक्षा बलों के अभियानों को सुप्रवाही बनाने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि अत्यधिक उत्तेजित परिस्थितियों में भी वे अत्यधिक संयम का परिचय दें, जिससे कि निर्दोष सिविलियनों की जान और माल को न्यूनतम हानि पहुंचे।

एलिसा मशीनें

4260. **प्रो. उम्मारुड्डी वेंकटेश्वरलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी प्रमुख रक्त संग्रह केंद्रों को एलिसा मशीनों की आपूर्ति करने की योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश में सभी रक्त सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने के लिए एक मिशन स्थापित करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार ने एलिसा परीक्षण उपकरण तथा रीडर 62 निगरानी केन्द्रों, 150 जोनल रक्त जांच केन्द्रों और 9 संदर्भ केन्द्रों में उपलब्ध किए हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 608 रक्त बैंकों को उन्हें उपस्कर तथा रक्त बैंकों, अभिकर्मक शीशे के समान तथा डिस्पोजेबल वस्तुओं इत्यादि की खरीद में होने वाले आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करके चरणवार ढंग से आधुनिक बनाया जा रहा है। एच.आई.वी. जांच सुविधाएं जोनल रक्त जांच केन्द्रों के जरिए प्रदान की जाती हैं। रक्त बैंकों में कार्य करने वाले तकनीशियों को एच.आई.वी. के लिए रक्त की जांच करने हेतु क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

कैंसर अस्पताल

4261. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने कैंसर अस्पताल कार्यरत हैं और 1992-93 के दौरान कितने कैंसर संस्थान खोले गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों को कितनी सहायता दी गयी;

(ग) क्या इन संस्थानों को विदेशी वित्तीय सहायता दी गयी थी, और

(घ) यदि हां, तो 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितनी सहायता दी गयी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए रेडियोथिरेपी सुविधाओं वाली संस्थाओं की राज्यवार संख्या का विवरण संलग्न है। वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को 10.64 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) और (घ) इन संस्थाओं को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 या 1992-93 के दौरान कोई विदेशी वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

विवरण

कैंसर रोगियों के उपचार के लिए रेडियोथिरेपी सुविधाओं वाली संस्थाओं का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टेलीथिरेपी संस्थाओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	13
असम	2

1	2
बिहार	3
चंडीगढ़	1
दिल्ली	5
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	11
केरल	6
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	16
मणिपुर	1
मेघालय	1
उड़ीसा	3
पांडिचेरी	1
पंजाब	4
राजस्थान	4
तमिलनाडु	17
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिमी बंगाल	7
योग	124

रसोई गैस का उत्पादन

4262. डा. कृपासिंधु बोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान रसोई गैस के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या सरकार का विचार नये एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने तथा मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं, और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या-क्या योजनाएं बनायी हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) प्रस्तावित नए स्रोतों के आरंभ होने तथा योजनाओं के अनुसार विद्यमान स्रोतों से उत्पादन वृद्धि की स्थिति में 1992-93 के दौरान हुए 2278 टी.एम.टी.एल.पी.जी. (रसोई गैस) उत्पादन के 1996-97 के दौरान 3818 टी.एम.टी. के लिए बढ़ना प्रत्याशित है।

(ख) से (घ) पैकड एल.पी.जी. (रसोई गैस) की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के दौरान देश में एल.पी.जी. (रसोई गैस) भरण क्षमता 2.8 एम.एम.टी.पी.ए.से 4.38 एम.एम.टी.पी.ए.तक बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव है। इस उद्देश्य हेतु देश में 741 टी.एम.टी.पी.ए.जी. (रसोई गैस) भरण क्षमता नियोजित की गई है। विद्यमान एल.पी.जी. (रसोई गैस) भरण संयंत्रों में से कुछ पर एल.पी.जी.(रसोई गैस) भरण क्षमता बढ़ाना तथा नए भरण संयंत्रों को चालू करना भी, जो कि क्रियान्वयन के विविध स्तरों पर है, प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कोयला परियोजनाएं

4263. श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु दस नई कोयला खान परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है, और

(घ) प्रत्येक परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश में अवस्थित सरकार द्वारा स्वीकृति कई परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं।

परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	परियोजना/कंपनी	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड रुपए में)
1.	दुधीचुआ ओ.का.प. (विस्ता.)ना.को.लि. (उ.प्र. और म.प्र.)	10.00	868.93
2.	खादिया ओ.का.,ना.को.लि.	4.00	588.75
3.	निगाही ओ.का.,ना.को.लि.	4.20	648.04
4.	टांडसी भू.ग.,वे.को.लि.	0.90	51.58
5.	अमलई ओ.का.,मा.ई.को.लि.	0.70	46.61
6.	बंगवार भू.ग.,सा.ई.को.लि.	0.65	25.14
7.	चुर्चा वेस्ट भू.ग.,सा.ई.को.लि.	0.60	32.64

इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्थित नीचे दी गई योजना के लिए अग्रिम कार्रवाई योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है :

1.	टावा भू.ग., वे.को.लि.
2.	उरधान ओ.का., वे.को.लि.
3.	शीतलाधारा भू.ग., सा.ई.को.लि.
4.	ब्लाक "बी" ओ.का.प., ना.को.लि.

[अनुवाद]

दक्षिणी गैस ग्रिड

4264. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हाल ही में दक्षिणी गैस ग्रिड के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में समयबद्ध तरीके से दक्षिणी गैस ग्रिड के कार्यान्वयन हेतु एक पृथक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी गैस ग्रिड हेतु प्रारंभिक कार्यवाहियों पर विचार करने के लिए 26 मर्च, 1994 को बैठक की गई थी तथा इसमें भारत सरकार तथा पांच दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने इस सुझाव पर ध्यान दिया है।

एम्बुलेंस सेवा

4265. प्रो. एम. कामसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ अस्पतालों में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में कुछ गैर-अस्पताल संस्थाओं को भी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव दिल्ली के विस्तार को देखते हुए दिल्ली में इस सेवा को और कारगर बनाने का है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (च) दिल्ली में कार्य कर रही केन्द्रीकृत दुर्घटना और अभिघात सेवा योजना, दुर्घटन के शिकार व्यक्तियों को आपाती अस्पताली परिचर्या के लिए ले जाने हेतु एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आपाती एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गई हैं। आपाती एम्बुलेंस सेवा के संपर्कों सहित एक दुर्घटना और अभिघात परिचर्या परिसर स्थापित करने की परियोजना भी बनाई गई है।

कावेरी बेसिन में भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा समेकित पाइपलाइन

4266. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लि. के पास तमिलनाडु और इससे लगे क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन युक्त कावेरी बेसिन में उपलब्ध सहायक मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पाइपलाइन से जोड़े जाने वाले गैस के कुओं के स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या पाइपलाइन से जोड़े जाने के बाद गैस को जलाये जाने में कमी आयेगी, और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :
(क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित पाइपलाइनें आदियकमंगलम, नारीमनम, कमलपुरम/नन्नीलम क्षेत्रों को जोड़ेंगी।

(ग) लगभग 25 करोड़ रुपए।

(घ) और (ङ) वर्तमान 0.14 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के दहन को कम करके केवल अपरिहार्य तकनीकी दहन तक सीमित कर दिया जाएगा।

बाढ़ नियंत्रण

4267. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान गुजरात में बाढ़ नियंत्रण के लिए कुल कितना धनावंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण उपायों को और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए गुजरात को अतिरिक्त धनराशि देने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात को बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 160 लाख रुपए की राशि आवंटित की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ठ रोग उन्मूलन

4268. श्री सुशील चन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अंत तक देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने हेतु क्या योजना बनाई गई है;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने बहु-औषधि उपचार के लिए किन जिलों का चयन किया गया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बहु-औषधि उपचार के अंतर्गत कुछ और जिलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) कुष्ठ उन्मूलन की कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) रोगियों का शुरू में ही पता लगाना,

(II) बहु-औषध उपचार से रोगियों का नियमित उपचार और

(III) विकलांगताओं और अल्सर का उपचार।

(ख) से (घ) मध्यप्रदेश के सभी जिलों को बहु-औषध उपचार सेवाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इस समय 22 स्थानिकमारी वाले जिलों को बहु-औषध उपचार की मंजूरी दी गई है। शेष सामान्य से कम स्थानिकमारी वाले 23 जिलों को दिसम्बर, 1994 के अंत तक कवर किया जाएगा।

[हिन्दी]

जयपुर (कोटा) स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन के गोदाम में आग लगना

4269. **डा. साक्षी जी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर (कोटा) में इंडियन आयल कारपोरेशन के गोदाम में हाल ही में लगी आग में हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इस आग से कितनी क्षति हुई;

(ग) इसमें हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या आग के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(च) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है, और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) हाल में जयपुर (कोटा) में इंडियन आयल कारपोरेशन के गोदाम में आग नहीं लगी थी। तथापि दूषित एस.के.ओ. के प्रयोग की वजह से हुई आग लगने की दुर्घटनाओं के कारण झालावाड़, बरान, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ गढ़ जिलों में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। परिणामस्वरूप 30 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 225 लोग जलने से जख्मी हो गए।

(ग) जो लोग मारे गए हैं, उनके निकटतम संबंधी को इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा 1 लाख रुपए भुगतान किए गए हैं तथा जख्मी लोगों को एक उपयुक्त धनराशि दी गई है।

(घ) जी हां। आग लगने के कारणों की जांच करने तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं तथा घटनाओं को रोकने संबंधी उपायों को सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी।

(ङ) रिपोर्ट जांच हेतु दिनांक 19 अप्रैल, 94 को प्राप्त हो गई है।

(च) और (छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तेल उद्योग से गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुरक्षा विनियमनों के संबंध में निर्धारित किए गए निर्देशों का ठीक से पालन करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान की सहायता

4270. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्रीमती सरोज दुबे :

डा. चिन्ता मोहन :

श्री गुरुदास कामत :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रमशः दिनांक 2 जनवरी, 1994 के संडे टाइम्स और दिनांक 19 मार्च, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पाक इन्डक्ट्स लेटेस्ट आर्सनल इन वैल्ली" और "पाक ट्रांसफरिंग आर्मस डम्पस् : बिग रोल ऑफ अफगान मुजाहिदीन इन जे. एण्ड के." शीर्षकों से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पाकिस्तान द्वारा घाटी में भेजे गये हथियार और गोला-बारूद के प्रकार, स्रोत और मात्रा का कोई आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार को पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा भारत में नशीली दवाओं तथा स्वापक पदार्थों का संग्रह किये जाने की कोई जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को, पाकिस्तान द्वारा

अफगानियों सहित विदेशी राष्ट्रों को प्रशिक्षित करने और उनकी घसुपैठ कराने और जम्मू और कश्मीर राज्य में चलाए गए अघोषित युद्ध को जारी रखने के लिए अत्याधुनिक हथियार और उपकरण भेजने के पाकिस्तान के प्रयासों की जानकारी है। उग्रवादियों को दिए जा रहे शस्त्रों में, उच्च विकसित आधुनिकतम संप्रेषण उपकरणों के अलावा ए.के. श्रेणी की राइफलें, दूरबीन युक्त एस.बी.डी. ड्रागुनोव स्नाइपर राइफलें, पी.के. मशीन गन, राकेट लांचर, मोर्टार तथा आर.डी.एक्स. सहित विस्फोटक, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, सोलर पावर ट्रिगरस आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) राज्य में तस्करी करके लाए गए शस्त्रों की संख्या की ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है तथापि पर्याप्त मात्रा में बरामदगी जारी रही और पिछले एक वर्ष (मार्च, 1994 तक) में मूल स्रोत (निर्माता) के विभिन्न चिह्नों वाले निम्नलिखित हथियार बरामद किए गए :

राकेट लांचर	115
मशीन गन	192
ए.के. श्रेणी की राइफल	2601
स्नाइपर राइफल	66
पिस्तौल/रिवाल्वर	1027
गोला-बारूद (असॉर्टिड)	556576
हथगोले	5263
राकेट	196
राकेट बूस्टर	105
बारूदी सुरंगें	934
बंदूक	109
विस्फोटक (कि.ग्रा.)	3458
बम	463
हथगोला प्रेक्षक यंच	12
मोर्टार	14
वाकी टाकी सेट	211

(घ) और (ङ) जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है, 13 मार्च, 1994 को जम्मू जिले में सीमा के नजदीक 1 करोड़ से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा और 2.125 किग्रा. हेराइन बरामद की गयी। हालांकि नशीली दवाओं और मादक पदार्थों को एकत्र करने के बारे में कोई विशिष्ट ब्योरे देना संभव नहीं है, लेकिन भारत में मादक द्रव्यों और शस्त्रों की तस्करी तथा आतंकवादी गतिविधियों के बीच के संबंधों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(च) तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ लगाने, तटीय गश्त और जम्मू व कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा/सीमा पर सतर्कता गहन करने जैसे अनेक उपाय किये गए हैं। देश में संबद्ध एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियों का पता लगाने, प्रकट करने और रोकने के लिए विदेशों में संबंधित एजेंसियों की सहायता भी ली जा रही है।

वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन

4271. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन योजना चल रही है;

(ख) योजना शुरू करने की तिथि, पेंशन की वर्तमान राशि, पात्रता के लिए निर्धारित मानदंड, 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या सहित योजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार साठ वर्ष से अधिक इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वृद्धाश्रमों तथा वृंदों के लिए चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की है अथवा स्थापना करने में सहायता दी है, और

(घ) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं, संगठनों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इन संगठनों को कितनी सहायता अनुदान दिया गया तथा उसमें क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां। संघ सरकार स्वैच्छिक संगठनों को वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों और सचल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए सहायतानुदान दे रही है। यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि इस योजना के तहत सचल चिकित्सा इकाई हेतु वाहनों की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है। रख रखाव, पेट्रोल, डाक्टरों, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के वेतन पर खर्च की गई राशि निश्चित दर से 10 प्रतिशत कम करके भुगतान की जाती है। यह 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठन को वहन करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के मामले में स्वैच्छिक संगठन का अंशदान 5 प्रतिशत होता है।

(घ) उन संगठनों का नाम दिखाते हुए जिन्हें वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों तथा सचल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए सहायतानुदान दिया गया था, एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1993-94 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत जिन स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनकी सूची

क्रम सं.	संगठन/राज्य का नाम	निर्मुक्त धनराशि (रुपये)	
		1992-92	1992-93
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	वृद्धावस्था कल्याण केंद्र, हैदराबाद	1,66,590	3,30,660
2.	इंदिरा स्मारक कमजोर वर्ग विकास, सोसायटी, गुंटूर	1,04,490	—
3.	महिला दक्षता समिति, हैदराबाद	21,600	81,000
4.	डा. अम्बेडकर दलित वर्ग अभिवृद्धि संगम, जिला कुड्डपक	70,673	1,93,590
5.	रायाला सीमा सेवा समिति, तिरुपति	83,835	5,67,487
6.	श्री महालक्ष्मी महिला पंडली, जिला प्रकाशयम	38,700	1,36,350
7.	प्रकाशयम मंडली, जिला गुंटूर	27,900	—
8.	प्रकाशयम जिला बालहीना वर्गुला कालोनी, जिला प्रकाशम	15,615	2,97,900
9.	हैदराबाद ग्रामीण समन्वित दलित विकास सोसायटी, जिला प्रकाशम	44,010	1,41,930
10.	रूरल आन्ध्रगणदलित इंटिगरेटेड अपलिफ्टमेंट सोसायटी, जिला प्रकाशम	—	1,33,785
11.	अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग कर्मचारी कल्याण एसोसियेशन, हैदराबाद	—	1,36,058
12.	जगजीवन बालहीन वर्ग अभिमुक्ति संगम, जिला कुड्डापा	—	34,020
13.	अन्नपूर्ण मानव समक्षेमा सेवा समिति, हैदराबाद	—	15,120
14.	सोसल एक्शन रूरल रिटेबिलिटेशन किमेटिव एमेलिमोरेशन एंड रिलीफ, जिला गुंटूर	—	70,358

1	2	3	4
15.	कल्चर एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, आनन्दपुर	73,283	—
16.	विजय सामाजिक एवं आर्थिक सोसायटी	13,838	—
17.	संजय गांधी मेमोरियल आपपैनेज एंड बोर्डिंग होम जिला	46,770	—
18.	प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापत्तनम	75,083	—
19.	डा. पी.एच. हनुमन्तराव धर्मार्थ ट्रस्ट, सिकन्दराबाद	74,638	—
20.	लक्ष्मी महिला मंडली, जिला प्रकाशम	51,143	—
21.	ज्योति कल्याण एसोसिएशन, हैदराबाद	66,195	—
22.	कन्द्री वुमेन्स एसोसिएशन आफ इंडिया, विजयवाड़ा	73,283	—
23.	साई सेवा संघ, हैदराबाद	38,385	—
बिहार			
1.	जन विकास केन्द्र, रांची	20,790	—
2.	इंदिरा गांधी समाज सेवा आश्रम पटना	36,405	—
असम			
1.	बहुमुखी कृषि एसोसिएशन समाज कल्याण समिति, नौगांव	60,638	—
2.	एड फार द डिजेबुल्ड सोसायटी, मरीगांव	15,165	—
हिमाचल प्रदेश			
1.	इन्दिरा लेडीज क्लब, नाहन	15,300	—
हरियाणा			
1.	ग्रामीण शिक्षा समिति, होडल	58,199	67,140
2.	आर.के.एम. धर्मार्थ तथा शैक्षिक ट्रस्ट, फरीदाबाद	49,500	56,891
3.	चौकबीसी विकास संघ, मेहम, रोहतक	27,900	55,100
4.	हरियाणा नवयुवक कला संगम, रोहतक	16,650	70,200
5.	हरियाणा ग्रामीण विकास किसान एसोसिएशन, रोहतक	17,550	22,612
6.	सीनियर सिटजन काउंसिल, पंचकुला	33,642	—

1	2	3	4
7.	भारतीय नव चैतन्य विकास समिति, फरीदाबाद	—	98,500
8.	आदर्श सरस्वती शिक्षक समिति, सोनीपत	—	10,197
महाराष्ट्र			
1.	मुक्त द्वारा, उन्नति मंडल, जलगांव	59,400	75,600
2.	इंडियन काउंसिल आफ सोशल वेलफेयर, बम्बई	3,02,957	7,010
3.	बम्बई उपनगरीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, बम्बई	8,100	9,000
4.	जानकी बाई ट्रस्ट, धुले	30,375	91,500
5.	भारतीय सेवा निवृत्त जन एसोसिएशन मेहम, बम्बई	15,476	11,748
6.	वैस्ट इहन्देश भगिनी सेवा मंडल, धुले	23,220	74,520
मणिपुर			
1.	आदिवासी श्रम सहकारी सोसायटी, इम्फाल	1,07,259	—
2.	सेंटर फार सोशल डेवलपमेंट, इम्फाल	96,625	72,877
3.	व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता एसोसिएशन, इम्फाल	—	3,90,420
4.	मणिपुर अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन, इम्फाल	—	75,083
5.	मानसिक आरोग्य केन्द्र, इम्फाल	—	11,778
6.	समेकित ग्रामीण विकास एवं शैक्षणिक संगठन, मणिपुर	—	35,055
कर्नाटक			
1.	गौतम वेलफेयर सोसायटी, गुलबर्गा	—	1,79,505
2.	मट्टाहली जगजीवन राम सर्वोदय संघ, बंगलौर	—	73,920
केरल			
1.	सेंट जोसफ दया भवन, कोट्टायम	47,520	23,760
मध्य प्रदेश			
1.	प्रमोद वन आनंद धाम, सतना	47,115	—
2.	भारतीय कृषि कल्याण परिषद, भोपाल	36,500	3,74,760
3.	छत्तीसगढ़ बाल एवं वृद्ध कल्याण परिषद रायपुर	—	59,518

1	2	3	4
उड़ीसा			
1.	भैरवी क्लब, पूरी	72,560	1,18,876
2.	इस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एडवासमेंट फॉर रूरल डिवेलपमेंट, क्योजर	73,800	—
3.	शहीद राव महापात्र धमार्थ ट्रस्ट, गंजम	16,125	11,897
4.	नीलालंगा शैल्टर, भुवनेश्वर	78,300	99,900
5.	कैलिगा सितल, भुवनेश्वर	40,500	18,540
6.	सिंघनाथ क्लब, कटक	32,805	15,053
7.	जय जगननाथ क्लब, जिला पुरी	20,070	85,635
8.	आर्गनाइजेशन फॉर सोशल चेंज एंड रूरल डिवेलपमेंट, भुवनेश्वर	54,000	1,26,000
9.	सुभद्रा मेहताब सेवा सदन, फूलबनी जिला	95,536	3,39,300
10.	ग्राम सेवा मंडल धेनकनाल	3,54,715	3,28,523
11.	बनवासी सेवासमिति, फुलबनी	—	1,34,190
12.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर	—	6,42,003
13.	विद्युत क्लब, पुरी	—	73,350
14.	लोकनायक क्लब, जिला कटक	—	32,873
15.	आशा नाश्यकम सेवा संघ, जिला कटक	—	72,615
16.	बसुन्धरा	—	19,800
17.	काउंसिल ऑफ कल्चरल ग्रोथ एंड कल्चरल रिलेशनस, कटक	—	13,500
राजस्थान			
1.	विक्टोरिया मार्टेसरी पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	40,500	40,500
2.	बाल भारती सोसायटी, उदयपुर	40,500	21,600
3.	राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर	23,642	—
4.	चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	37,350	70,650

1	2	3	4
5.	बेला स्कूल समिति, जयपुर	26,820	-
6.	वरिष्ठ नागरिक परिषद, जयपुर	91,800	1,09,623
7.	सरस्वती शिशु निकेतन प्रबंधक समिति, उदयपुर	-	3,346
पंजाब			
1.	गुरु नानक धर्मार्थ ट्रस्ट, लुधियाना	-	13,770
तमिलनाडु			
1.	सोसायटी फार इम्प्रूवमेंट ऑफ वीकर सैक्शन, गांधी नगर	1,24,740	4,35,808
2.	क्लायसेल्वी अरुणालय सोशल वेलफेयर सोसायटी, मद्रास	1,67,265	4,08,020
3.	मदुरै समाज कार्य संस्थान, मदुरै	1,11,330	2,22,881
4.	सोसायटी फार प्रोमोशन आफ रिसर्च एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, मदुरै	75,600	34,270
5.	पी.एम.डी. सोसायटी	1,79,010	1,79,010
6.	धर्मपुरी मधुर संगम, धर्मपुरी	43,700	46,575
7.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	-	75,060
8.	गिल्ड आफ सर्विस, मद्रास	-	66,419
9.	गांधी सेवा संघ, अन्ना जिला	-	53,790
10.	अन्ना इंदिरा सत्यनाला महावीर मंदरम, कीलकुरीची	-	13,010
11.	गुरुस्वामी जनरस समाज शिक्षा सोसायटी, चेंगल, एम.जी.आर.	-	13,010
12.	विशराथी धर्मार्थ ट्रस्ट, मद्रास	-	63,081
13.	ग्राम स्वराज, पुडुकोटाई जिला	-	74,408
14.	तमिलनाडु पोंगल नाला संगम	-	70,808
15.	श्री सेवा मंदिर, मद्रास	-	63,293
16.	सेंट एन्टोनी होम फार दी ऐज्ड त्रिची	-	23,652

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	श्री राम सदन स्मारक सेवा संस्थान, बंदायू	59,220	34,020
2.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, लखनऊ	—	1,29,600
3.	रिस्पेक्ट ऐंज इंटरनेशनल, आगरा	—	53,100
4.	बंजारा विकास परिषद, अलीगढ़	—	95,904
5.	बैरागी शिक्षा संस्थान, वाराणसी	—	34,200
6.	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान, लखनऊ	—	15,210
7.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, लखनऊ	—	45,900
8.	लोक सेवा मंडल, इलाहाबाद	—	15,300
9.	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्राम विकास समिति, रामपुर	—	6,120
10.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	—	15,300
11.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद	—	15,120
12.	विश्व जाट महासंघ, वृन्दावन	—	15,120
13.	ग्राम विकास शिक्षा समिति, इलाहाबाद	—	15,300
14.	शहीद स्मारक सोसायटी, लखनऊ	—	15,300
15.	सार्वजनिक शिक्षणालय संस्थान, हरदोई	—	88,898
त्रिपुरा			
1.	अबलाबन, अगरतला	53,825	3,36,320
2.	समग्र त्रिपुरा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक उत्थान परिषद, अगरतला	1,75,680	2,50,564
पश्चिम बंगाल			
1.	भगीरथी शिल्प आश्रम, नादिया	8475	-
2.	जे.पी. इंस्टीट्यूट आफ सोशल चेंज, कलकत्ता	98,842	93,420
3.	प. बंगाल अनु. जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक कल्याण एसोसिएशन, मिदनापुर	84,570	7,09,820

1	2	3	4
4.	सेनपुकर मात्री सेवक समिति, मिदनापुर	62,010	2,17,408
5.	सरोज नलनी दत्त मेमोरियल एसो., कलकत्ता	75,000	-
6.	श्री कृष्ण चेतन्य मिशन, नादिया	75,000	-
7.	हलदिया समाज कल्याण परिषद, मिदनापुर	2,48,445	3,04,650
8.	ऐलमिनिस्ट इंस्टी. ऑफ कम्प्यूनिटी, बिरभूम	37,135	52,978
9.	बिपलूबाई रूलर डेवलपमेंट सोसा., मालदा	1,62,810	3,25,620
10.	भागरा डायमंड क्लब, बुरुद्धवार	27,270	82,215
11.	सत्यभारती, हुगली जिला	14,400	35,100
12.	विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन, हुगली जिला	34,740	-
13.	सतलापुर अन्ना समाज उन्नयन समिति, मिदनापुर जिला	63,833	62,730
14.	चन्द्रनाथ बसु सेवा संघ, कलकत्ता	53,033	96,795
15.	विलेज वेलफेयर सोसा., हावड़ा	14,310	48,600
16.	वूमेन्स कोर्डिनेटिंग काउंसिल, कलकत्ता	1,00,710	-
17.	अनुशिलन समिति, कलकत्ता	-	1,50,000
18.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वूमेन वेलफेयर, कलकत्ता	-	85,320
19.	चिरावनीन, हावड़ा जिला	-	52,110
20.	आल बंगाल वूमेन्स यूनियन, कलकत्ता	-	1,69,326
21.	अलीपुर उद्यान कल्प, मिदनापुर	-	69,480
22.	नेताजी पथचक्र, मिदनापुर जिला	-	1,10,948
23.	कलकत्ता मेट्रोपोलिटिन इंस्टीट्यूट ऑफ जरोल्लोजी, कलकत्ता	-	13,580
24.	चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी, मिदनापुर जिला	-	47,024
25.	बंशजेरिया प्रतिभा क्लब, मिदनापुर जिला	-	1,56,330
26.	सतदुवी महिला मंडल, मिदनापुर	-	1,56,330
27.	गुरु भोलानन्द आश्रम, 24 परगना	-	62,607
28.	निम्बार्क मठ सेवा समिति, मिदनापुर	-	74,633
29.	बिक्रम नगर, उद्यान संघ, मिदनापुर	-	75,083

1	2	3	4
दिल्ली			
1.	हेलपेच इंडिया, नई दिल्ली	3,25,735	—
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	69,840	—
3.	अलोक चेरी टेबल ट्रस्ट, वी. बिहार	48,600	8,342
4.	भारतीय नव चेतन विकास समिति	37,800	14,900
5.	समाज सेवा संघ, ब्रह्मपुरी	3,95,375	3,85,830
6.	आल इंडिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, 6 भगवान दास रोड,	67,191	12,752
7.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, डा. अम्बेडकर मार्ग	3,29,670	7,82,911
8.	ऐज केयर इंडिया	—	1,20,110
पांडिचेरी			
1.	सेंट जोसफ क्लूनी होसपीस कांवेन्ट, पांडिचेरी	—	1,95,772

एल.पी.जी. का आयात

4272. डा. असीम बाला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1800 मिलियन टन एल.पी.जी. का आयात किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1994-1995 के लिए अनुमोदित तेल आर्थिक बजट में 0.450 मि.मि. ट. एल.पी.जी. के आयात की व्यवस्था है। एल.पी.जी. का आयात स्थल निविदाओं के प्रति प्राप्त प्रतियोगी प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है तथा इनका मूल्यांकन बाजार से संबद्ध कीमतों के आधार पर किया जाता है।

इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस की गतिविधियां

- 4273. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
- श्री आनन्द रत्न मौर्य :
- श्री गोपीनाथ गजपति :
- श्रीमती वसुन्धरा राजे :
- श्री अन्ना जोशी :
- श्री राम सिंह कस्वा :
- श्री गुरुदास कामत :
- श्री विजय एन. पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में साम्प्रदायिक गड़बड़ी फैलाने के पाकिस्तानी प्रयास की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस बात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के पूर्वी भाग में आई.एस.आई. की गतिविधियां प्रकाश में आयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन-किन राज्यों में आई.एस.आई. ने शिविर लगाये हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने हेतु मुख्य मंत्रियों/गृह मंत्रियों की कोई बैठक बुलायी गई है अथवा बुलाई जाएगी, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री.पी.एम. सईद) : (क) और (ख) विद्रोही गतिविधियों, आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे फैलाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने के पाकिस्तान के मंसूबों की सरकार को जानकारी है। इन प्रयासों को रोकने और इन्हें विफल करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

(ग) से (छ) रिपोर्टों से यह पता चलता है कि बंगलादेश में पाकिस्तान इन्टर सर्विसज इन्टेलीजेंस एजेंटों द्वारा उत्तर-पूर्व में कुछ एक विद्रोही ग्रुपों को सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण हथियार इत्यादि उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की जा रही है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा, इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री द्वारा 22 जनवरी, 1994 को शिलांग में और राज्य मंत्री (आ.सु.) द्वारा 7 फरवरी, 1994 को गुवाहाटी में की गयी बैठक में की गयी।

हथियारों का जब्त किया जाना

4274. श्री एम. वी. एम. मूर्ति :

श्री मोहन रावले :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री काशीराम राणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में अब तक तस्करों और आतंकवादियों से जब्त किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से विदेशी मार्का वाले कितने हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि में दिल्ली और मुम्बई में जब्त किये गये हथियारों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) ये हथियार किन-किन अधिकारियों को आवंटित किये गए हैं;

(ङ) इन हथियारों के आबटन के लिए क्या दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(च) क्या इन हथियारों के आवंटन में इन दिशा-निर्देश का अनुपालन किया गया है, और

(छ) विभिन्न किस्म के ऐसे हथियारों के लिए क्या कीमत वसूल की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में पाक-प्रशिक्षित उग्रवादियों की गतिविधियां

4275. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में राजौरी जिले के मंजकोट क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के शिविर पर टाइम बम युक्त सोलर राकेट दागा था, जैसा कि 2 मार्च, 1994 के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या इस घटना में शामिल आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किस देश के हैं, और

(च) भारत में राकेटों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री राजेश पायलट : (क) से (ग) 28 फरवरी, 1994 को लगभग 07.00 बजे, राजौरी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी से लगभग 500 मीटर दूर, गांव मंगलनार के पास तीन सोलर राकेट दागे गए थे। इससे कोई क्षति/चोटें नहीं पहुंचीं/क्षेत्र की तलाशी में एक पेड़ से बंधे तीन सक्रिय राकेट बरामद किए गए।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

(च) सीमा पार से राज्य में घुसपैठ और हथियारों आदि की तस्करी को रोकने के लिए नियंत्रण रेखा/सीमा पर सघन चौकसी और गश्त जारी है।

जम्मू और कश्मीर में विदेशी भाड़े के सैनिक

4276. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
 श्री बी. देवराजन :
 श्री बापू हरि चोरे :
 श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
 श्री राम प्रसाद सिंह :
 श्रीमती सरोज दूबे :
 श्री परसराम भारद्वाज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन भाड़े के विदेशी सैनिकों की संख्या का कोई अनुमान लगाया है जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में 1993 के अन्त तक तथा 1994 के आरंभ से अब तक घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या निर्दोष लोगों की हत्या, लूट और अपहरण किये जाने की घटनाओं के परिणामस्वरूप घाटी में उग्रवादी को जनसमर्थन न मिलने के कारण अधिकांश लोगों का उग्रवाद के प्रति मोहभंग हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सरकार को उन विदेशी नागरिकों की मौजूदगी के बारे में जानकारी है जो जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ विद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं। तथापि, ऐसे व्यक्तियों की सही-सही संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है। नियंत्रण रेखा/सीमा पर तथा भीतरी भाग में लगातार चौकसी तथा दबाव बनाए रखा जा रहा है, ताकि विदेशी नागरिकों सहित आतंकवादियों की घुसपैठ और उनकी गतिविधियों की रोकथाम की जा सके।

(घ) और (ङ) आतंकवादियों की गतिविधियों से लोग तंग आ चुके हैं और भ्रमित हो चुके हैं। सरकार बन्दूक का भय कम करने के लिए प्रयास कर रही है तथा विकास की गतिविधियां बढ़ा कर सामान्य स्थिति की बहाली करने के लिए लोगों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य में स्थानीय प्रशासन और शिकायत निवारण तंत्र को पुनः सक्रिय बनाने के लिए स्थिति को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है।

सिंधियों का ज्ञापन

4277. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधी नागरिकों का एक शिष्टमंडल उनसे 27 नवम्बर, 1992 को सिंधियों के एक मात्र ज्ञापन के साथ मिला था;

(ख) क्या उन्होंने शिष्टमंडल को यह आश्वासन दिया था कि ज्ञापन में निहित उचित मांगों को पूरा किया जाएगा, और

(ग) यदि हां, तो इस आश्वासन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) सिंधी नागरिकों का एक शिष्टमंडल 27 नवम्बर, 1992 को प्रधान मंत्री जी से मिला था और उन्हें एक अभ्यावेदन दिया था।

(ख) प्रधान मंत्री ने शिष्टमंडल को यह आश्वासन दिया था कि वे उनकी मांग की जांच कराएंगे।

(ग) ज्ञापन में विहित मांग की जांच की जा रही है।

अल्पसंख्यक समुदाय

4278. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और समृद्धि के बारे में उनको 1990 में कोई अभ्यावेदन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में क्या-क्या प्रमुख सुझाव दिये गये थे, और

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) अभिलेखों से ऐसे किसी अभ्यावेदन का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सफाई कर्मियों का पुनर्वास

4279. **प्रो. उम्मारुडिड वेंकटेश्वरलु :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी सफाई कर्मियों के पुनर्वास हेतु कम लागत में सफाई तथा मैला ढोने वालों की मुक्ति संबंधी योजना और उनके लिये वैकल्पिक रोजगार की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना को विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित करने के लिए दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी, और

(ग) पैदा किये गये रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने सफाई कर्मियों का पुनर्वास किया गया?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी क्रियान्वित की जा रही कम लागत में सफाई की योजना के अंतर्गत 1038241 शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने तथा 942708 नये शौचालयों के निर्माण करने के लिए 304.72 करोड़ रुपये की एक समेकित आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। इस योजना के तहत मुक्त

कराए जाने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या 68362 होगी। सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत अब तक 7.19 लाख सफाई कर्मचारियों की पहचान की गई है तथा 1992-93 के दौरान 18578 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 18913 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया गया है।

वर्ष 1993-94 में 36989 लोगों को प्रशिक्षित करने तथा 106917 सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को पुनर्वासित करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है, जो सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना से संबंधित है।

विवरण

सफाई कर्मचारियों को मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने की राष्ट्रीय योजना के तहत वित्त वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राज्य सरकारों को आवंटित निधियाँ तथा प्रशिक्षित और पुनर्वासित किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	के दौरान आवंटित निधियाँ		पुनर्वासित किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या
		1992-93	1993-94		
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.55	4.59	989	-
2.	असम	2.02	-	-	-
3.	बिहार	3.13	-	-	-
4.	गुजरात	1.86	-	-	-
5.	हरियाणा	1.76	7.14	-	-
6.	हिमाचल प्रदेश	2.53	-	10	115
7.	जम्मू और कश्मीर	1.00	-	-	-
8.	कर्नाटक	3.99	-	-	-
9.	केरल	0.38	-	-	86
10.	मध्य प्रदेश	13.36	12.26	10194	11395
11.	महाराष्ट्र	6.59	3.78	1675	1248

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	0.58	1.19	26	209
13.	पंजाब	0.58	-	-	130
14.	राजस्थान	1.01	2.27	178	528
15.	तमिलनाडु	0.80	-	-	-
16.	उत्तर प्रदेश	14.94	37.63	4620	1867
17.	पश्चिम बंगाल	3.63	-	-	-
18.	दिल्ली	0.05	-	505	-
19.	पांडिचेरी	0.05	-	93	-
20.	नागालैंड	-	0.11	-	-
कुल		68.73	70.97	18,913	15,578

सीमा पार हथियार भेजना

4280. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जम्मू और कश्मीर में विद्रोह को बढ़ाने तथा पाकिस्तान से सीमा पार हथियार भेजने संबंधी पाकिस्तान की कार्यवाही के संबंध में हाल की रिपोर्टों की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। शस्त्रों की आपूर्ति करने सहित जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों का पाकिस्तान द्वारा समर्थन देना अनियंत्रित रूप से जारी है। राजनयिक और अन्य मार्गों से इस तथ्य को प्रकाश में लाने के सरकार नियमित रूप से उपाय करती आ रही है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने का बार-बार आग्रह किया है।

विकिरण के द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना

4281. श्री राम नाईक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्याज, समुद्री खाद्य पदार्थों एवं काला चना जैसे खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए विकिरण का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि विकसित देशों में संरक्षण की इस विधि को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि मानव शरीर पर इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सरकार ने खाद्य पदार्थों जैसे प्याज, मसालों तथा आलू के संरक्षण के लिए किरणन के इस्तेमाल की अनुमति देने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में संशोधन करने के लिए कार्यवाही शुरू की है।

(ख) विकसित देश जैसे यू.एस.ए., यू.के., फ्रांस, जर्मनी इत्यादि इस विधि का निर्धारित सीमाओं, जिनमें कोई हानिप्रद प्रभाव नहीं है, को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

11.25 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल, 1994/वैशाख 2, 1916 (शक) के

11.00 बजे म.पू. तक के लिये स्थगित हुई।